खण्ड-261, अंक-2
सोमवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1887
(27 सितम्बर, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 261 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९९–१०३
प्रश्नोत्तर	१०३–१३०
उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार नियमावली, १९६४ (मेज पर रखी गयी)	१३०
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१३०
प्रदेश में गिरे पाकिस्तानी विमान के क्रू का पता न मिल सकने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१३०–१३१
पाकिस्तानी छतरी सैनिकों एवं भेदियों के न पकड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	१३१–१३४
उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल के दो निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन अनियमित घोषित तथा पुनः निर्वाचन कराने हेतु कार्यक्रम	१३४–१३५
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों का निर्वाचन संबंधी मतदान का कार्यक्रम	१३५
पाकिस्तानी छतरी सैनिकों एवं भेदियों के न पकड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१३५
नियम ५२ की सूचना के संबंध में जानकारी की मांग ..	१३५–१३६
विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का संकल्प (स्वीकृत)	१३६
सदन का कार्यक्रम	१३६–१३७
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	१३७–१९२
नत्थियां	१९३–२०३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २७ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमारकरुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम श्री
खूबसिंह, श्री
खमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काठी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री

जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
वंशीधर पान्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भोलालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री
(लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरराम, श्री

रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रताप सिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्री निवास, श्री

श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्तकाण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराजसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री श्री कैलाश प्रकाश तथा गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २७ सितम्बर, १९६५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध जांच

**१--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्त्ता और बलिया जिले के अन्य नागरिकों के शिकायत करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध डी० डी० आर०, वाराणसी ने जांच करके शिक्षा विभाग के सचिव को रपट दी तथा शिक्षा विभाग के सचिव ने भी उन आरोपों को सही मान कर अपनी टिप्पणी लिखी, जिला विद्यालय, निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये, लेकिन वह फाइल दबा कर क्यों रखी गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

यह सही है कि माननीय सदस्य तथा बलिया जिले के अन्य नागरिकों के शिकायत करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध जांच हुई है और रिपोर्ट सचिवालय में आ गई है। पत्रावली की टीपें गोपनीय होती हैं अतः किसने क्या टीप दी है यह बताना उचित नहीं। मामला दबाया नहीं गया वरना आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया, श्री हामिद हसन के विरुद्ध डी० डी० आर०, वाराणसी ने आपके सचिवालय में रिपोर्ट कब दी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मेरे पास तारीख नहीं है कि कब दी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डी० डी० आर०, वाराणसी को जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के विरुद्ध रिपोर्ट किये करीब करीब ६ महीने से अधिक हो रहा है और अब तक उसके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—

किसी चीज पर कार्यवाही होती है चारों तरफ से उसको देखने के बाद, और जो शिकायत आती है उसकी पूरी तरह से जांच होने के बाद।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री हामिद हसन ने बलिया जिले की कई संस्थाओं के गबन की रिपोर्ट की है जिससे कुछ लोग क्षुब्ध हैं और उन्हें यह भी शिकायत मिली है कि डी० डी० आर०, वाराणसी, श्री शर्मा जी पर भी यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने जातिगत पक्षपात किया है, ऐसी शिकायतें भी उनको मिली हैं जो विधायकों की हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो माननीय सदस्य मुझसे उम्मीद नहीं करेंगे कि सारी बात मुझे इस समय याद हो। शिकायतें जिले के विधायकों की भी आती हैं, शिकायतें अधिकारियों की भी आती हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के खिलाफ क्या क्या शिकायतें हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री छांगुरराम (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, निरीक्षक के विषय में जो आरोप लगाये गए थे उस पर जांच होकर डी० डी० आर० की रिपोर्ट आ गई है, यह माननीय मंत्री जी ने कहा और सदस्य महोदय ने कहा कि छः महीने से अधिक हो गया है रिपोर्ट आये हुए लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी जांच हो रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब एक बार रिपोर्ट आ गई तो अब फिर से कौन सी जांच कराना चाहते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य ने और कुछ अन्य नागरिकों ने कुछ शिकायत की, जहां उस इंसपेक्टर के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं वहां दूसरे माननीय सदस्यों और नागरिकों ने उसके पक्ष की बात भी कही है, उन्होंने यह भी बात कही है कि क्योंकि वह इंसपेक्टर विद्यालयों में इन चीजों को भी देखता है इस वजह से भी शिकायतें हैं तो मामला इस तरीके से पेचीदा है कि एक कहता है कि यह शिकायत है दूसरा कहता है कि नहीं शिकायत नहीं है, तो इन सब चीजों की जांच करना आवश्यक है और जब तक पूरी जांच सब चीजों की न हो जाय तब तक किसी भी निर्णय पर पहुंचना कठिन है। माननीय सदस्य

को उनकी जानकारी ज्यादा हो सकती है अपने दृष्टिकोण से किन्तु शासन जब तक पूरे तरीके से एन्क्वायरी न कर ले तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना और उसका निर्णय लेना उचित नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने इंसपेक्टर के खिलाफ शिकायत की है और कुछ ने उसकी तारीफ की है । मैं कहना चाहता हूं कि बलिया जिले में आठ विधायक हैं, उन आठ में से ६ विधायकों ने श्रीमन्, लिखित शिकायत माननीय मंत्री जी को दी है और जो शिकायतें इन विधायकों ने दी हैं उन आरोपों की पुष्टि इनके शिक्षा विभाग के हर स्तर के अधिकारी ने, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर तथा शिक्षा सचिव, हर एक ने की है और यह जो गबन की बात माननीय मनेजर सिंह ने कही तो जिन स्कूलों में गबन की शिकायत है, उन स्कूलों के गबन में विद्यालय निरीक्षक का हाथ है ...

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप बहस कर रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब किस तरह से जांच करायेंगे, आपके पास जितनी मशीनरी थी, जो साधन आपके पास थे उस साधन से जांच करा ली, अब किन साधनों का प्रयोग कर के जांच करायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

अधिकारियों के भिन्न-भिन्न स्तर होते हैं और जब कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो उनमें जिस भी अधिकारी से जांच कराना आवश्यक महसूस होता है उससे जांच करायी जाती है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अभी शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि शिकायतों का विवरण हमारे पास नहीं है । इस प्रश्न को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शिकायत के ही आधार पर यह सारा प्रश्न है, तो मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसे प्रश्न यदि पूछे जायं जिनका बेस ही शिकायतें हों तो क्या कारण है कि माननीय मंत्री जी के पास शिकायतों का पूरा विवरण नहीं आया और यदि आया तो बताते क्यों नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है और इसी वजह से अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को स्वीकार करने में जरा कठिनाई होती है । क्योंकि यहां तो उसका अल्प उत्तर दिया जा सकता था इसलिये स्वीकार कर लिया गया लेकिन इसी तरह से इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो, जिसकी सूचना दो, तीन रोज पहले पहुंचती हो उसमें इतने ब्यौरे की सूचना उपलब्ध करना हर जगह से सम्भव नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया के तमाम विधायकों ने जो शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ की उसका पत्रक माननीय काशीनाथ ने स्वयं माननीय मंत्री जी को दिया था, यदि हां, तो वह क्या है और कहां पर है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

मुझे भी दिया है तो जो पत्रक आदि आते हैं वह तो भेजने पड़ते हैं एन्क्वायरी के लिये । अभी जैसा मैंने आपसे निवेदन किया यदि पूरा समय होता तो वह पत्रक भी

और उसमें क्या-क्या शिकायतें हैं, इन सब चीजों का पूरा ब्यौरा मैं आपके समक्ष उपस्थित कर सकता था किन्तु अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होने के कारण वह सारी सामग्री एकत्रित नहीं की जा सकती थी ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर कोई ब्यौरा ही नहीं प्राप्त हो सकता लेकिन यह तो बड़ी टेढ़ी बात है, आपके यहां जब प्रश्न जाता है तो तारांकित और अल्पसूचित तारांकित वहां से होकर जाता है, तो उसके बाद बार-बार यह कहना कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में इतना ब्यौरा ही नहीं दिया जा सकता, ठीक नहीं है, जब सवाल आप एलाऊ करेंगे तो उसका ब्यौरा मंत्री जी के पास होना ही चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं उनका कहना सिर्फ यह है कि जो विस्तृत सूचनायें हैं, वह मैं इतनी जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इनके पास दो तरह की टीपें होती हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला बुलन्दशहर में सीमेंट व टीन का वितरण

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में १ जनवरी, १९६४ से ३० जून, १९६५ तक कुल कितना सीमेन्ट और टीन भेजा गया ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जिला बुलन्दशहर में १-१-१९६४ से ३०-६-६५ तक प्राप्त हुई सीमेन्ट व टीन का विवरण निम्न प्रकार है ।

सीमेन्ट	.. ..		१०,२५३ टन
टीन	..	(१) नालीदार चादर ..	११५.६ टन
		(२) बी० पी० शीट ..	४१.८ टन

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में जिलाधीश ने अपने हुक्म से कितना सीमेन्ट बांटा और बी० डी० ओ०, तहसीलदार इत्यादि अन्य अधिकारियों के द्वारा कितना बांटा गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

वितरण सम्बन्धी सूचना निम्नलिखित है—

पदाधिकारी	सीमेन्ट
	टन.
जिलाधीश	१,२४६
बी० डी० ओ०	५,६७४
तहसीलदार	१,६४०
जिला पूर्ति अधिकारी	१,२११
सेक्रेटरी सैनिक बोर्ड	६७१

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि इस सीमेंट के अलावा कुछ लोगों ने सीधे सरकार से भी सीमेंट प्राप्त किया है? यदि हां, तो किन्होंने और कितना-कितना ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जी जांच करावेंगे कि बी० डी० ओ०, तहसीलदार और डी० एस० ओ० के यहां कुछ लोगों ने गुट बना रखा है कि सीमेंट पहुंचते ही फर्जी प्रार्थना-पत्र बनाकर ब्लैक करते हैं और इसे रोकने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यदि माननीय सदस्य ब्यौरा लिख कर दें तो जांच करा लेंगे।

फारेस्ट डिवीजनों के हेडक्वार्टर

*३—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ से पहले कितने कन्जरवेटर व कितने डि० कन्जरवेटर थे और अब कितने-कितने कन्जरवेटर और कितने डि० कन्जरवेटर हैं तथा पहले कितने रेंजर थे, अब कितने हैं?

कृषि उप मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

सन् १९६३ से पहले ९ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स थ और ५३ डिप्टी कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स थे। अब १२ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स हैं और ७१ डिप्टी कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स हैं तथा पहले २३६ रेंजर थे और अब ३२३ हैं।

*४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि सन् १९६३ के पहले कौन-कौन फारेस्ट डिवीजन थे और उनके हेडक्वार्टर पहले कहां थे और अब १९६५ में कहां रखे गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना संलग्न अनुसूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९३–१९६ पर)

*५--श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

क्या यह बात सही है कि एक नया गढ़वाल फारेस्ट डिवीजन भी बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार डी० एफ० ओ० का हेडक्वार्टर गढ़वाल जिले के अन्दर रखगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह सही नहीं है कि एक नया गढ़वाल फारेस्ट डिवीजन भी बना है। उत्तर गढ़वाल व दक्षिण गढ़वाल दो फारेस्ट डिवीजन पहले से ही थ जिनका हेडक्वार्टर पौड़ी में है जो जिला गढ़वाल में है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

क्या सरकार बताएगी कि गढ़वाल डिवीजन के कन्जरवेटर का हेडक्वार्टर कहां है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

देहरादून में है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि ऐसा क्यों है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह सोचा गया था कि यदि सर्किल में हो तो अच्छा है वरना उससे लगी हुई जगह हो। देहरादून में आने-जाने की सुविधा से वहां रखा गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि यह गढ़वाल में हो ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

इस पर सरकार विचार कर लेगी।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)---

क्या गढ़वालियों की सुविधा के ध्यान से मन्त्री जी प्रधान कार्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) में स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

जब विचार होगा तो इसे भी देख लिया जायगा।

सीमेन्ट

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों को कितना-कितना सीमेंट का कोटा निर्धारित है तथा १९६२-६३, १९६३-६४ और जून, १९६५ तक कितनी-कितनी सीमेंट इन जिलों को दी गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जिलों का सीमेंट का कोई निश्चित कोटा निर्धारित नहीं है। यह कोटा आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर हर तिमाही के लिए निर्धारित किया जाता है।

शेष प्रश्न से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९७-१९९ पर)

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सीमेंट का भाव १९६२-६३, १९६३-६४ में क्या था तथा इस समय किस रेट से सीमेंट बेची जाती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

	प्रति टन रु० पै०
१९६२-६३	१३२.३५
१९६३-६४	१३४.९२
वर्तमान दर	१५५.०२

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में १९६२-६३, १९६३-६४ तथा जून, १९६५ तक कितने आदमी सीमेंट के ब्लैक में पकड़े गये ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

१२० आदमी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार प्रदेश से सामेंट का कन्ट्रोल हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

यह केन्द्रीय सरकार का काम है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मन्त्री जी जांच करावेंगे कि जनपदों का फिक्स किया हुआ कोटा नहीं मिलता है, जैसे गाजीपुर का कोटा केवल १८ प्रतिशत दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

गवर्नमेंट तो एलाट कर देती है। देती हैं फैक्ट्रियां। वह कह देती हैं कि उनके यहां तैयार ही नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन को हम बराबर लिखते रहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

जिले वाइज कोटा निर्धारित करने का आधार क्या है ? आबादी है या आवश्यकता है या क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो बातें माननीय सदस्य ने बताई वही हैं। कानून होते हुए भी गड़बड़ी होती है और अगर नान-आफीशल मदद करें तो आसानी हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार से जो कोटा मिलता है वह नगरों में ही खत्म हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं पहुंच पाता ? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से कोई भाग निश्चित है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस वक्त तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ७५ प्रतिशत कोटा जाता है।

श्री मैनेजरसिंह—

१९६४-६५ का जो बलिया का कोटा था वह ७,६१३ टन था जिसमें से केवल ३,३६३ टन ही सप्लाई हुआ है जो ५० प्रतिशत से भी कम है। क्या वर्तमान वर्ष में उस कमी को पूरा करने के लिए बलिया जिल को अधिक कोटा देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

केन्द्र ने सारे प्रदेश के कोटे को ही कम कर दिया है। अगर वे बढ़ा देंगे तो हम भी बढ़ा देंगे। फैक्टरीज जिस कोटे को नहीं देती हैं उसके लिए हम उनको लिखते हैं, लेकिन वे उसको लैप्स मान लेते हैं, उसको नहीं देते।

श्री छाँगुर--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उनको यह मालूम नहीं रहता कि फैक्टरी के पास सीमेंट तैयार है या नहीं तो फिर वे कोटा कैसे निर्धारित करते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कोटा तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के थ्रू आता है कि तुमको इतना मिलेगा। अब फैक्टरी कहती है कि हमारे यहां लेबर ट्रबिल हो गई या मशीन बन्द हो गई, इसलिए सीमेंट कम बन पाया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

इलाहाबाद को जो सीमेंट का कोटा दिया गया है वह पूरा स्टाक में पड़ा हुआ है और उसके परमिट नहीं काटे जाते हैं, मकान अधूरे पड़े हैं। क्या सरकार आदेश देगी कि सीमेंट के परमिट काटे जा कर सीमेंट का वितरण किया जाय?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर आप लिख कर दे देंगे तो मैं आदेश दे दूंगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि किसी जिले को पूरा कोटा मिल जाता है और किसी जिले को २५ प्रतिशत भी नहीं मिलता, ऐसा कैसे होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कोई जिले देर से पहुंचते होंगे, जब कोटा खत्म हो जाता होगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि बोरे में जो सीमेंट कम आता है, उसका क्या इलाज किया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इलाज तो यही है कि अगर आप शिकायत करेंगे तो फैक्टरी को लिखा जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि लोगों को जो वैगन दिए जाते हैं वह सीमेंट इसी कोटे में से होता है अथवा अलग होता है? अलग कितना होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कोई फिक्स नहीं है। वैगन बहुत कम दिए जाते हैं स्कूल वगैरह के लिए दे दिये जाते हैं। उस की मात्रा बहुत थोड़ी होती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में सीमेन्ट की फैक्टरीज में भी पहुंच गया है और जो वहां अधिक पैसा देते हैं उन्हीं को अधिक मात्रा में वहां से सीमेंट मिलता है, क्या इस चीज को देखकर सरकार चक करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे किसी केस के बारे में तो देख लिया जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या मन्त्री जी की जानकारी में यह है कि पूरे सूबे में जो सीमेंट सरकार के द्वारा डीलर्स को दिया जाता है उसका अधिकांश भाग ब्लैक में चला जाता है और जो वजन सीमेंट के बोरों पर लिखा रहता है वह फैक्टरी से ही कम होता है और वह लोग लाखों रुपए का लाभ उठा रहे हैं? यदि यह सत्य है तो क्या मन्त्री जी इस की जांच करायेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यू० पी० में तो सीमेंट का बहुत बड़ा भाग चुर्क सीमेंट फैक्टरी का ही आता है, और बाकी और फैक्टरीज से आता है लेकिन अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है, अगर कोई बोरा पकड़ कर चेक कर के शिकायत आए तो जांच की जा सकती है।

कासगंज तहसील को सीमेन्ट

*९---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कासगंज, जिला एटा में पहली जुलाई, १९६४ से ३१ जुलाई सन् १९६५ तक कितनी बोरी सीमेंट का कोटा मिला और वह किस-किस व्यक्ति को बांटा गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सूचना एकत्र की जा रही है क्योंकि जो उत्तर जिले से प्राप्त हुए उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है और पूछ-ताछ की आवश्यकता प्रतीत होती है।

लखनऊ में गृह निर्माण योजनायें

*१०---श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो गृह योजनायें हैं उनके लिए भूमि अर्जित करने का पृथक-पृथक कितना व्यय होगा और उनके एक्जीक्यूशन प्लान क्या-क्या हैं? सरकार ने इन योजनाओं की स्वीकृति कब-कब दी थी? सब प्लानों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाय?

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*११---श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गृह योजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने की भी योजनायें लखनऊ नगरपालिका ने बना रखी हैं और वह उन्हें पूरा करने में सक्षम है? क्या सरकार विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बताने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२---श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगरपालिका पर उसका कितना ऋण है और क्या वह नियमित किस्तों में अदा किया जा रहा है? तथा नजूल की कितनी रकम नगर-

पालिका ने १९६२–६५ तक खर्च कर ली है और इसमें से कितनी रकम वापस हुई और कितनी बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

सूचना एकत्र की जा रही है।

वन विभाग के कर्मचारियों की सीनियारिटी तथा वेतन-क्रम

*१३––श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी––

क्या वन मंत्री प्रत्येक सर्किल में फारेस्टरों, डिप्टी रेंजरों, फारेस्ट रेंजरों, सहायक लिपिकों व प्रधान लिपिकों की सीनियारिटी, अपने-अपने कैडर से उनकी नियुक्ति की तिथि से जंचवाने और उसे सुधारने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

प्रत्येक सर्किल में प्रचलित नियमों के अनुसार फारेस्टरों, डिप्टी रेंजरों, फारेस्ट रेंजरों, सहायक लिपिकों व प्रधान लिपिकों की ज्येष्ठता (सीनियारिटी) अपने-अपने कैडर में स्थाई होने की तिथि से निश्चित की जाती है । केवल अस्थाई कर्मचारियों की ज्येष्ठता उनकी नियुक्ति की तिथि से निश्चित की जाती है । अतः उक्त पदों के स्थायी कर्मचारियों में सीनियारिटी को नियुक्ति की तिथि से जंचवाना तथा सुधारना नियमानुकूल नहीं होगा ।

*१४––श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी––

क्या यह बात सही है कि दिनांक १ अप्रैल, १९४७ से रेंज क्लर्क सहायक लिपिकों का वेतन स्केल एक ही किया गया था ? यदि हां, तो क्या रेंजर क्लर्कों व सहायक लिपिकों का कडर एक ही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

यह सही है कि दिनांक १–४–४७ से रेंज क्लर्क व सहायक लिपिकों का वेतन स्केल एक ही किया गया था किन्तु रेंज क्लर्कों व सहायक लिपिकों का कैडर एक नहीं है । कार्य प्रणाली की भिन्नता के कारण इनका कैडर अलग-अलग है ।

*१५––श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी––

क्या वन मंत्री जी पुराने रेंज क्लर्कों को डिवीजनल कार्यालयों में और डिवीजनल कार्यालयों के लिपिकों को रेंज आफिसों में स्थानान्तरित करने की पद्धति चालू करने पर विचार करने और इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

पुराने रेंज क्लर्कों को डिवीजनल कार्यालयों में और डिवीजनल कार्यालयों के लिपिकों को रेंज आफिसों में स्थानान्तरित करने की पद्धति चालू नहीं की जा सकती क्योंकि इससे कार्य दक्षता नहीं रहेगी और अधिकांश पुराने रेंज क्लर्क अधिक उम्र के होने के कारण डिवीजनल कार्यालय के कार्य विशेषकर टंकन का कार्य आसानी से नहीं सीख पायेंगे और उनमें अपेक्षित स्तर की कार्य क्षमता (टंकक के रूप में) नहीं आ पावेगी । ऐसा करने से प्रशासनिक बाधायें भी उपस्थित होंगी ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी––

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि टंकक के कार्य को सीखने में कठिनाई होती है । तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे कि जो रेन्ज कार्यालयों में लिपिक कार्य करते हैं, उन्हें डिवीजनल कार्यालय म कार्य करने का अवसर मिलता रहे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, यह संभव नहीं है । जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि रेन्ज के कार्यालय में जो लिपिक कार्य करते हैं, वे डिवीजनल आफिस में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टंकण का कार्य नहीं जानते और जो रेन्ज के कार्यालय में लिपिक हैं उनमें कई लोग बड़ी उम्र के होते हैं और उनके अन्दर उतनी कार्यक्षमता ही होती है जितनी डिवीजनल आफिस में होती है । अतः यह सम्भव नहीं है कि उनका स्थानान्तरण डिवीजनल आफिस में किया जाय और वहां के लिपिकों का स्थानान्तरण रेन्ज आफिस में किया जाय ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वन विभाग में कितने कैडर होते हैं जिनमें लिपिकों और दूसरे लोगों की नियुक्ति की जाती है और क्या यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि ज्यादा कैडर न बनाकर नीचे से ही क्लर्कों की तरक्की की जाय, तो इसमें सरकार को क्या हानि होगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में अलग-अलग कैडर हैं । एक कैडर तो आफिसरों का है, एक सबार्डिनेट फारेस्ट सर्विस में लगे रेन्जर्स का है, एक कैडर डिप्टी रेन्जर्स का है, उसके नीचे एक फारेस्टर्स का कैडर है । फिर जो डिवीजनल आफिसेज में लिपिक हैं, उनका एक कैडर है और इसके पश्चात् जो रेन्ज आफिसेज ह, उनमें जो लिपिक कार्य करते हैं, उनका भी एक कैडर है । ये सब अलग-अलग कैडर्स हैं । वन विभाग में फारेस्ट मैनुअल जो है, उसमें सर्विस के रूल्स बने हुए हैं । उनके अनुसार ही नियुक्तियां होती हैं ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

सीनियारिटी के प्रश्न को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई निश्चित नियम बनाये ह, जिनके आधार पर सीनियारिटी के प्रश्न पर विचार करते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जी हां । यह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में ही कह दिया है । हर कैडर के नियम बने हैं और उन नियमों के अनुसार ही नियुक्ति होती है और उनका स्थायीकरण भी उन्हीं के अनुसार होता है ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

सीनियारिटी का प्रश्न तो प्रदेश भर का है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आप लिपिकों और आफिसर्स की सीनियारिटी को जब तय करते हैं तो क्या किसी नियम के आधार पर तय करते हैं या केवल मैनुअल कि आधार पर ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

फारेस्ट मैनुअल में वे सारे नियम दिये हुए हैं । यदि माननीय सदस्य उसे देख लें तो पूरी जानकारी हो जायगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेन्ज आफिस से डिवीजनल आफिस में जाने का आधार क्या उमकी योग्यता और कार्य क्षमता है या सीनियारिटी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो रेंज क्लर्क है उसको रहने का आवास निःशुल्क मिलता है, वरदी भी मिलती है । तो उसके केडर के मुताबिक वह सुविधायें प्राप्त हैं जो कि डिवीजनल फारेस्ट अफिसर के कार्यालय में नहीं प्राप्त है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

अभी प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि पहले ५३ डिप्टी कंजरवेटर थे अब ७१ हो गये हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने रेंजर प्रोमोशन दे कर डिप्टी कन्जरवेटर बनाये गये है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कुल रेंजर्स की तादाद मैंने माननीय सदस्य को बतायी, ३२३ है और तीसरी योजना में ८६ बढ़ाकर यह ३२३ हुई है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मेरा सवाल था कि कितने रेन्जर को प्रोमोट करके डिप्टी कन्जरवेटर बनाया गया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि एक मैनुअल है । मैं जानना चाहता हूं कि सीनियारिटी की जो नियमावली है वह गजट में नोटिफाई कब हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैनुअल में वह नियमावली दे रखी है ।

जिला फतेहपुर में सीमेण्ट वितरण

*१६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री फतेहपुर जिले के लिये वर्ष १९६४–६५ व १९६५–६६ के ३१ जुलाई, १९६५ तक की अवधि के प्रत्येक मास में कितनी कितनी बोरी सीमेंट जिले को प्रदान की गई तथा इसी अवधि में जिलापूर्ति अधिकारी, फतेहपुर द्वारा प्रत्येक विकास खंड के लिये प्रत्येक मास में कितनी-कितनी बोरी सीमेण्ट दी गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या यह सही है कि फतेहपुर के जिलापूर्ति अधिकारी सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में जिला खाद्य सलाहकार समिति के निश्चय की पूर्णतया अवहेलना कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो समिति ने सीमेंट वितरण के लिये अन्तिम बार क्या निश्चय किया था सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है । उत्तर जो जिले से प्राप्त हुये वे सन्तोषजनक नहीं थे । उन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, वह अभी जिलाधीश से प्राप्त नहीं हुए है ।

श्री अध्यक्ष—

इस मामले में मैं थोड़ी सी ढील अवश्य देना चाहता हूं मंत्रिमंडल को, इस वास्ते कि मैं चाहता हूं कि जो सूचनायें हों वे ठीक-ठीक हों और पूरी हों । अभी माननीय कशीनाथ,

माननीय केशरी प्रसाद पांडेय और माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने एक सवाल पैदा किया था अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में जिसके उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री कह गये कि मेरे पास अल्प सूचनायें हैं । मैं समझता हूं कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का मतलब यह नहीं है कि अल्प सूचना के साथ मंत्री जी आयें । उनका कर्त्तव्य है कि पूरी सूचनां के साथ आयें । और अगर पूरी सूचना नहीं एकत्रित कर सकते तो यह अधिकार है मंत्री महोदय को कि प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दें कि हम इतनी जल्दी नहीं देंगे । लेकिन अगर उत्तर देना स्वीकार करते हैं, तो पूरी सूचनायें सदन में आनी चाहिये ।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

आइन्दा से एहतियात रखेंगे ।

श्री रामकिशोर वर्मा—

श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि प्रश्न कितना सीधा और सरल है .....

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आप हमसे मिल लें ।

श्री रामकिशोर [वर्मा—

यह प्रश्न १३-९-१९६५ को एक बार स्थगित हो गया । मेरा सीधा मंशा यह था कि वहां के जिलाधीश सीमेंट को बिलकुल अपनी निजी चीज समझते हैं । परिणाम यह है कि विकास खंडों को सीमेंट नहीं मिल रहा है, अल्प सिंचाई के कुओं को सीमेंट नहीं मिलता है । सारा का सारा काम रुका हुआ है । तो आप कम से कम मंत्री जी को आदेश कर दें कि वे एक आदेश भेज दें, क्योंकि असेम्बली ज्यादा चलेगी नहीं और इसका जवाब तब तक मिलेगा नहीं, तो मंत्री जी ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दें कि वहां विकास खंडों को इतना सीमेंट दे दिया जाय जिससे अल्प सिंचाई का कार्य रुके नहीं ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसी लिये उनका जो कागज आया था उससे हम संतुष्ट नहीं हुए । यही तो हम उनको लिख रहे हैं ।

आटा मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन मिलों में सरकारी आटा पीसा जाता है उनमें किन-किन मिलों में अनियमितता की शिकायत सरकार के पास १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में आई तथा सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

प्रश्न के पूर्व भाग का उत्तर सदन में वर्तमान सत्र के ७ वें सोमवार को दिया जा चुका है। शेष प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार है :

मिल का विवरण जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई	की गई कार्यवाही का विवरण
(१) हरी कृष्ण दास, स्टीम रोलर फ्लार मिल, सहारनपुर।	पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद केस में फाइनल रिपोर्ट दे दी है। परन्तु न्यायालय ने अभी स्वीकृति नहीं दी है ।

(२) रामेश्वर फलावर मिल, बरेली	पुलिस ने शिकायत के विषय में चार्जशीट न्यायालय को दिया है जो उसके विचाराधीन है ।
(३) अन्नपूर्णा फलावर मिल, वाराणसी	मुकदमा चलाया गया ।
(४) इलाहाबाद मिलिंग कं०, इलाहाबाद ।	पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की । मामला विचाराधीन है ।
(५) प्रयाग फलावर मिल, (नैनी) इलाहाबाद ।	जांच हो रही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

इन ५ मामलों में सिर्फ एक मामला अदालत के समक्ष गया है। तो ये ४ मामले जो विचाराधीन हैं कब पकड़े गये हैं और कब से विचाराधीन हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

किस मामले की बात माननीय सदस्य से पूछ रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं साफ किये देता हूं । माननीय मोहिले जी का सवाल था। उसमें ५ मिलों का जवाब दिया गया और बतलाया गया कि ५ मिलों में ४ के प्रश्न विचाराधीन हैं और १ का मामला अदालत में गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये चार मामले कब से विचाराधीन हैं और कब तक विचाराधीन रहेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

न्यायालय के विचाराधीन हैं । पुलिस के यहां होंगे, हमारे यहां कोई नहीं हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

पुलिस ने तो चार्जशीट दे दी है और जांच हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

किस मिल के बारे में आप पूछना चाहते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

प्रयाग फ्लोर मिल, इलाहाबाद, इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

नम्बर ४ के बारे में उनका उत्तर यह है कि इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी, इलाहाबाद के सम्बन्ध में पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की और मामला विचाराधीन है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा सवाल है कि कितने दिनों से मामला विचाराधीन है ? अदालत में गया है या दफ्तर में पड़ा हुआ है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इलाहाबाद मिलिंग कम्पनी, इलाहाबाद के खिलाफ आटा कम तोलने की शिकायत थी और एफ० आई० आर० उनके खिलाफ दर्ज किया गया । मामला अदालत में विचाराधीन है । मिल के मालिकों को उनके पर्सनल बांड्स भर कर जमानत पर छोड़ा गया है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय गेंदा सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी कानपुर गयी थी उसने दो, तीन आटा मिलों की शिकायत करके चालान किया था, उन के मुकदमों के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

एक ही मिल का उन्होंने किया था और उसका चालान कर रखा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ये मिलें सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत हैं। सरकारी आटा पीसती हैं और उस आटे को चुराती हैं। पुलिस जब रिपोर्ट न्यायालय को देती है उसी के बारे में यहां उत्तर दिया गया है कि विचाराधीन है। मेरी जानकारी है और आप भी अध्यक्ष महोदय, वकील रह चुके हैं, आपको भी जानकारी होगी कि पुलिस मैजिस्ट्रेट को ले जाकर रुपया दे देती है और मैजिस्ट्रेट इसीलिये उसे महीनों विचाराधीन रखते हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस की रिपोर्ट पर कितने दिन ये मामले न्यायालय में विचाराधीन रह सकते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हमारे जो सरकारी वकील हैं वे कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

ऐसी कितनी मिलें हैं जिनके खिलाफ यह शिकायत आई है कि वे चोरबाजारी में आटा बेचती हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

५ मिलों का नाम उत्तर में बतलाया गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक अनियमितता यह भी है कि जो आर० एफ० सी० या डी० एस० ओ० कोटा देते हैं मिलों का तो आपके आफिसर्स के रहते हुये भी वे मिलें अच्छा आटा नहीं देती हैं जिससे जनता को शिकायत होती है ? इसको दूर करने के लिये आपने क्या किया ? गेंदासिंह कमेटी भी इसको रिपोर्ट कर चुकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसके लिये चौबीसों घंटे गजटेड आफिसर्स मुकर्रर कर रखे हैं और कोशिश की जाती है कि ऐसी कोई दिक्कत न हो। उनको तब्दील भी किया जाता है और हर तरह की सावधानी बरतते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन पांच मिलों में से चार के प्रति शिकायत है और जो आटा इन मिलों में मिल रहा है वह अनपापुलर है तब भी केन्द्रीय सरकार इनको गेहूं देती है ? जनता को सीधे गेहूं न देने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जहां तक व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि इनको नैशनलाइज कर दें तो अच्छा है। लेकिन यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के हाथ की बात है।

श्री उग्रसेन--

जिस मिल का चालान गेंदासिंह कमेटी की जांच पर हुआ है वह कम तोलने पर हुआ है और मुकदमें में इसीलिये देर हो रही है कि गवाहान नहीं जा रहे हैं। तो विभाग इसके लिये क्या कर रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि तुरन्त उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इत्तला कर दी है। अभी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी मिलें हैं जिनके खिलाफ मुकदमा अदालत में नहीं गया है और वह शायद कुछ सबूत के अभाव में नहीं गया होगा जिससे उनके ऊपर अदालत में मामला चल सके। लेकिन ऐसी कितनी मिले हैं जिनके बारे में सरकार ने कन्द्रीय सरकार को लिखा कि उनका कोटा बन्द कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह तो मैंने कह दिया कि यह मामला गंगा फ्लावर मिल कानपुर के खिलाफ था। वह हमने लिख दिया। बाकी सूचना नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, उग्रसेन जी ने कहा कि यह केस गेंदासिंह कमेटी ने पकड़ा। लेकिन अब वह मिनिस्टर हो गये हैं और वे गवाही देने जाना नहीं चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दिक्कतों को देखते हुये वे क्या इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश करेंगे।

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)--

श्रीमन्, अदालत जिस वक्त बुलायेगी मैं उसमें रत्ती भर कोर-कसर नहीं रखूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या वे केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि...

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने खुद कहा कि हमें खुशी होगी, लेकिन यह उनके अधिकार की चीज नहीं है।

श्री उग्रसेन--

जो प्रस्ताव है कि धनकुट्टी का राष्ट्रीकरण होना चाहिये तो आटा मिलों का करने में क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष--

आप नाराज हो रहे हैं कि कांग्रेस के प्रस्ताव पर क्यों नहीं कर रहे, लेकिन यहां तो सदन का प्रस्ताव होना चाहिये।

[२७ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३--श्री लखपतराम शर्मा--

[स्थानान्तरित किये गये।]

*४-६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

हटा दिये गये।

*७--श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)---

[स्थगित किया गया।]

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद द्वारा प्लाटों का निर्माण

*८--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो नई बस्तियां राजनगर और कविनगर में बसायी हैं उनमें किस-किस आकार के कितने-कितने प्लाट काटे गये हैं? उनमें से कितने प्लाट बेचे जा चुके हैं जिनके पैसे जमा हो चुके हैं? क्या यह सही है कि बड़े प्लाटों के ग्राहक कम हैं? अगर हां, तो क्या बड़े प्लाटों की जगह छोटे प्लाट बनाने पर विचार करेगी? प्लाट किस दर पर बेचे गये?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद द्वारा बसाये जाने वाले राजनगर व कविनगर में काटे गये प्लाटों की संख्या, आकार, रिट वाले प्लाटों का ब्योरा, रुपया जमा हो जाने वाले प्लाटों का ब्योरा तथा किराये की दर का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत तालिका में दिया गया है। यह कहना सही नहीं है कि बड़े प्लाटों की मांग कम है बल्कि सच तो यह है कि इन प्लाटों की मांग भी काफी है। गाजियाबाद के मास्टर प्लान के अनुसार यह बस्तियां कम आबादी वाले क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। जिनमें जनसंख्या का घनत्व ७५ से ६० व्यक्ति प्रति एकड़ रखना है। इसी घनत्व को ध्यान में रखते हुए छोटे प्लाटों के साथ साथ बड़े प्लाट भी रखे गए हैं। गाजियाबाद दिल्ली के समीपवर्ती नगरों में से एक है, इसलिए वहां पर हर आय के लोगों के रहने का प्रबन्ध करना आवश्यक है। सभी प्लाट छोटे बनाना उचित न होगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २००-२०१ पर)

श्री तेज सिंह--

जो माननीय मंत्री जी ने सूची दी है उसमें २-२ सौ गज के प्लाट बनाये गये हैं और एक गज जमीन की कीमत १८ रुपया है, जिससे प्रत्येक की कीमत ४ हजार रुपये करीब हो जाती है, तो यह कीमत ४ हजार रुपया छोटे से प्लाट की हो जाती है, जो कि मध्यम वर्ग के लिये काफी है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा इंतजाम करेंगे कि जो गाजियाबाद में पुराने आदमी बस रहे हैं, यह भी गाजियाबाद में मकान बना सकें कोई ऐसी स्कीम उनके पास है जो कम खर्चे पर वहां मकान बनाये जा सकें?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, गरीब लोगों को बसाने के लिये ही इस प्रकार के प्लाटों का निर्माण किया गया है, लेकिन छोटे प्लाटों की जो कीमत माननीय सदस्य द्वारा कही गयी है, वह चूंकि कालोनी के विकास होने में जो व्यय होता है, उसको भी प्लाटों से लिया जाता है, इसलिये उनका मूल्य कुछ अधिक हो जाता है। लेकिन आज के युग में मार्गों का चौड़ा करना और पार्क आदि की व्यवस्था करना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। इसलिये यह प्लान बनाया गया है।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन बस्तियों के लिये किसानों से जमीन किस सन् में ली गयी थी? इसके साथ-साथ क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख से यह प्लाट बिक रहे हैं और क्या इससे गवर्नमेंट को सन्तोष है? बिके हुये प्लाटों में कितने पर मकान बन चुके हैं और कितने अब भी खाली पड़े हुये हैं।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जमीनें किसी एक खास तारीख और सन् में नहीं ली गयी हैं। यह तो कई वर्षों से गाजियाबाद के विकास की योजना चल रही है। विभिन्न तारीखों में और विभिन्न वर्षों में योजना हेतु जमीनें ली गई हैं। जहां तक सरकार के सन्तोष और असन्तोष का प्रश्न है, सरकार के अधिकारियों द्वारा ही यह योजना बनायी गयी है। इन योजनाओं में मध्यम और कम आय वाले व्यक्तियों का तथा बड़ी आय वाले व्यक्तियों का सभी का बराबर ध्यान रख कर यह योजनाएं बनायी गयी हैं और मकानों के प्लाट दिये गये हैं। कितने मकान निर्मित हो गये हैं और कितने नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री तेजसिंह--

वहां गाजियाबाद में १० से १५ तक हरिजन बस्तियां हैं और दिन पर दिन हरिजनों की संख्या में वृद्धि के कारण उनकी झोपड़ियां और बस्तियां बढ़ेंगी, एक-एक झोपड़ी में उनके कई-कई व्यक्ति रहते हैं। तो क्या मंत्री जी के पास इन हरिजनों के लिये जो बहुत ही गरीब आदमी हैं, कोई योजना है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसी राजनगर के करीब एक योजना भारत सरकार की है, जो कि इन्हीं निर्धन व्यक्तियों को प्लाट देने के लिये खास कर के है, और इस योजना के प्रारम्भ होने में कुछ ही समय लगेगा।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह जो जमीनें ली गई हैं, इसको मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, ३-४ वर्षों से देख रहा हूं। जो बड़े प्लाट बनाये गये हैं, वह बड़े आदमियों के लिये ही बनाये गये हैं, जिन्हें लोग मूल्य की अधिकता के कारण ले नहीं रहे हैं। जिसके कारण से वे उपजाऊ जमीनें बेकार पड़ी हैं। न उन पर खेती हो सकती है और न मकान बन रहे हैं, विभाग भी न तो खेती कराता है न इनके निपटारे का प्रयास कर रहा है। तो क्या इस संकटकाल में उत्पादन की दृष्टि से माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगे कि फसल के समय उस पर खेती की जाया करे, जब तक कि वे नहीं बिकते हैं, जिससे जमीन भी बेकार न रहे और उपज भी हो जाए?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन छोटे प्लाटों का जिक्र किया है कि नहीं हैं, मैं आपकी आज्ञा से उनकी संख्या बताना चाहती हूं। २०० वर्ग गज के ३० फीट ६० फीट के ८५९ प्लाट्स, ३५५ वर्ग गज के ४२३, १,५०० वर्ग गज के १०५ प्लाट्स वहां पर हैं। मध्यम और कम आय वाले लोगों के जितने भी प्रार्थना-पत्र आये हैं उनको करीब-करीब सब को एलाट हो गये हैं। हमारी सूची पर कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं है जिसमें यह शिकायत हो कि हमको प्लाट नहीं दिया गया।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

श्रीमन्, वहां कोई भी मकान नहीं बने हैं और मेरे प्रश्नों का तात्पर्य भी यही था। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर फिर जांच-पड़ताल करके उत्तर देने की कृपा करेंगी कि वहां अभी तक मकान क्यों नहीं बने हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह सम्पूर्ण योजना से सम्बन्धित प्रश्न है, मेरे पास केवल प्लाटों के प्रश्न के बारे में सूचना है। माननीय सदस्य अगर उसके लिये नोटिस देंगे तो सूचना मंगा कर दी जायगी।

श्री तेजसिंह--

४,१९६ प्लाट्स में से १,१०७ प्लाट्स का ही रुपया सरकार के पास आया है और तीन चौथाई प्लाट्स खाली पड़े हुये हैं। इन ११० प्लाट्स पर भी मकान अभी नहीं बने हैं। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ प्लाट्स पर मकान बनवाये हैं लेकिन जो बेंचे गये उन पर कोई मकान नहीं बना। तो क्या सरकार कोई इन्तजाम करेगी कि जब तक प्लाट्स पर मकान न बनाये जायं तब तक उनको किसानों को दिया जाय ताकि वे उन पर फसल पैदा करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

राजनगर और कविनगर में ४,१९६ प्लाट्स हैं, लेकिन सब प्लाट्स वैसे नहीं हैं जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। केवल ९७६ प्लाट्स विकसित होने के लिये थे जिनमें से ४०७ ही ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं। इससे पता लगता है कि अविकसित प्लाट्स बहुत कम हैं। हाईकोर्ट में रिट के फैसले के इंतजार की वजह से वह नहीं बन रहे हैं। इन प्लाट्स को फिर से दे देना तो सम्भव नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन---

यह बात सही है कि गरीबों के लिये जो प्लाट्स बने हैं वे गरीबी के कारण नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसका कारण यह है कि आपने तो किसानों से २ रुपये वर्ग गज में जमीन ले ली और अब १६ रुपये वर्ग गज के हिसाब से आप उस को बेंच रहे हैं जबकि आपने उसमें सिर्फ एक सड़क और बीच में सब के लिये ट्यूबवेल लगवाया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह प्लाट्स बेचे नहीं जा रहे हैं बल्कि लीज पर दिये जा रहे हैं। उनसे १५ रुपये फी वर्गगज के हिसाब से पहले १५ वर्षों तक, दूसरे १५ वर्षों तक १५ रुपये फी वर्ग गज, ३० वर्ष व्यतीत हो जाने पर १० रुपये फी वर्ग गज, दूसरे ३० वर्षों तक और ६० वर्ष पर १५ रुपये फी वर्ग गज, इस प्रकार उनसे किराया लिया जायगा। इसलिये उन पर ऐसा कोई भार नहीं पड़ रहा है जिससे लेने वालों को कठिनाई हो।

गोंडा तथा बलरामपुर में डनलप टायर के कोटा होल्डर्स

*९---श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा तथा बलरामपुर में डनलप टायर एवं ट्यूब की कंट्रोल की दुकान किन-किन के पास हैं और उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

गोंडा तथा बलरामपुर में निम्नलिखित कोटा होल्डर हैं :---

१---सर्वश्री लक्ष्मीनारायण बद्रीप्रसाद, चौक, गोंडा।

२---बाम्बे साइकिल हाउस, नौशहरा, गोंडा।

३---केसरी साइकिल स्टोर्स, बलरामपुर, गोंडा।

नीचीबाग, वाराणसी में निर्मित दूकानें

*१०---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगर महापालिका वाराणसी ने एक बाजार नीचीबाग में सन् १९६३-६४ में बनवाया है जिस पर काफी रुपया खर्च हुआ है और आज तक उक्त दूकानें खाली पड़ी हैं जिससे १ लाख रुपया सालाना किराये का नुकसान महापालिका को उठाना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

नीचीबाग में नगर महापालिका वाराणसी द्वारा ३,२८,१०८ रु० की अनुमानित लागत से २४ दूकानें बनवाये जाने की योजना थी। १२-९-१९६३ को २० दूकानें बन कर तैयार हुईं और उन पर २,३८,४२८ रु० व्यय हुआ है। उपर्युक्त २० दूकानों में से ६ दूकानों का कब्जा किरायेदारों को ५ अगस्त, १९६४ तक दिया जा चुका है। शेष १४ दूकानों का कब्जा अभी नहीं दिया गया है। कारण यह है कि मुख्य नगर अधिकारी वाराणसी ने ३०-१-६४ को सरकार को बताया कि कार्यकारिणी समिति ने दूकानों का जो किराया निश्चित किया है वह अधिनियम के प्रतिकूल है और उससे महापालिका को लगभग एक लाख की आर्थिक हानि पहुंचेगी। इस पर सरकार ने ५-८-१९६४ को कार्यकारिणी द्वारा किया गया निश्चय निलंबित कर दिया। तत्पश्चात् सरकार द्वारा मामले में पुनर्विचार के लिए अनुरोध किए जाने पर सरकार ने १-८-१९६५ को पुनरीक्षित आदेश प्रसारित किए हैं। अब महापालिका दूकानों का कब्जा देने की अगली कार्यवाही कर रही है।

मोहान में नलकूप लगाने की मांग

*११---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा मोहान, जिला उन्नाव में जिसकी आबादी लगभग पांच हजार है पानी पीने के सभी कुओं का पानी खारी है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ? तो क्या सरकार वहां ट्यूबवेल बनवा कर मीठे पानी की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। यदि उक्त ग्राम निवासी योजना की लागत का २५ प्रतिशत नकद अथवा श्रमदान के रूप में देने को तैयार हों तथा सम्बन्धित ग्राम सभा योजना के कार्यान्वित हो जाने पर अपने व्यय से रख रखाव की जिम्मेदारी लें तो सरकार इस योजना के बनाने तथा कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार कर सकती है। यदि इस ग्राम के आस-पास के कुछ और ग्राम इस योजना में सम्मिलित हो जायं तो आर्थिक दृष्टि से (economically) अधिक ठीक होगा क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक ग्राम के अंशदान का भार कम होगा।

*१२-१३---श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)---

[स्थानान्तरित किये गये।]

*१४-१६---श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)---

[स्थगित किये गये।]

*१७---श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर), राजा विक्रम शाह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री अखंडप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---

[स्थगित किया गया।]

*१८---श्री भगवानदास यादवेन्दु---

[स्थानान्तरित किया गया।]

हलवाइयों को चीनी

*१९-श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं जिला हलवाई संघों की तरफ से १ जनवरी, १९६५ से ३ अगस्त, १९६५ तक हलवाइयों को चीनी देने के सम्बन्ध में सुझाव मन्त्री के पास आए हैं ? यदि हां, तो उन सभी सुझाव-पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुए अलग-अलग बताया जाय कि उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां। सुझाव क्या, मांगें की गई हैं। संक्षेप में प्राप्त प्रत्यावेदनों में निम्नलिखित मांगें की गयी थीं---

(१) हलवाइयों को जो उनके सितम्बर/अक्तूबर, १९६३ कोटे का केवल १० प्रतिशत कोटा मिलता है वह उनकी आवश्यकता देखते हुए बहुत कम है। अतः उनके कोटों में जो कटौती की गयी है खत्म की जाय।

(२) हलवाइयों की चीनी की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी की जाय।

(३) एक संघ ने मांग की थी कि जिन हलवाइयों का कोटा एक बोरी या उससे अधिक है उन्हें थोक भाव पर चीनी मिलनी चाहिए।

(४) एक संघ ने मांग की थी कि हलवाइयों को उनके संघों द्वारा चीनी वितरित होनी चाहिए।

(५) त्योहारों और मेलों के अवसरों पर हलवाइयों को चीनी मिलनी चाहिए।

जहां तक उपरोक्त १ व २ की मांगों का प्रश्न है आदेश जारी किए जा चुके हैं कि हलवाइयों की चीनी की वास्तविक आवश्यकता, जिले में चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूरी की जाय। तीसरी मांग के सम्बन्ध में आदेश बहुत पहले जारी किए जा चुके हैं। चौथी मांग सरकार को अमान्य है और इस सम्बन्ध में वर्तमान नियन्त्रण के आरम्भ काल में ही आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए थे। जहां तक पांचवीं मांग का प्रश्न है राज्य को इतनी चीनी नहीं मिलती कि हलवाइयों को मेलों और त्योहारों पर चीनी दी जा सके।

नगरपालिका, फतेहपुर के अधिकारियों का पत्र

*२०---श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक १६ अक्तूबर, १९६४ को महामहिम राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, कमिश्नर इलाहाबाद और स्वयं मन्त्री जी की सेवा में भेजा गया नगरपालिका फतेहपुर के अधिकारियों का "त्रिवेणी संघ बेनकाब हो गया", शीर्षक दिनांक १५ अक्तूबर, १९६४ का पर्चा उन्हें मिला है? यदि हां, तो उक्त पर्चे में जो आरोप हैं उनकी वास्तविकता की जांच किसके द्वारा कब की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। उस पर्चे में अंकित आरोपों की जांच परगनाधिकारी, फतेहपुर द्वारा की गई। यह जांच उनको जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने १३-७-६५ को सौंपी थी व १७-९-६५ को उन्होंने अपनी जांच-रिपोर्ट दे दी।

उपभोक्ता सहकारी संघ, देवरिया मे मिट्टी का तेल

*२१---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६५ में किसी मैजिस्ट्रेट ने जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, देवरिया को हजारों लीटर मिट्टी के तेल की गड़बड़ी करते हुए पकड़ा था? यदि हां, तो संघ के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? क्या संघ के संचालकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया बल्कि मैजिस्ट्रेट द्वारा जनपद थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, देवरिया की तेल की गोदाम का केवल निरीक्षण किया गया था।

शेष प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया में राशन कार्ड की जांच

*२२--श्रीमती पाल (जिला रायबरेली)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में हजारों की संख्या में जो राशन कार्ड सम्बन्धित लिपिक ने बिना जांच-पत्र के कार्ड बनाकर बेचा था या जिनके जांच पत्र-उसने गायब कर दिए थे अब फिर से उनके जांच-पत्र भरवाए जा रहे हैं और हजारों जनता का राशन रोक दिया गया ? यदि हां, तो उस लिपिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जबकि इसकी सूचना लिखित रूप में जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति के एक सदस्य ने जिलाधीश को ७ मई, १९६५ को ही दे दी थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिला देवरिया में बिना जांच पत्र के कार्ड बना कर बेचे गये हों या जांच पत्र गायब कर दिए गए हों। राशन कार्डों के जांच के हेतु स्पेशल वैरीफिकेशन ड्राइव परगनाधीश की देख-रेख में की गई। जांच के दौरान में जो कार्ड फर्जी पाये गए थे या जो कार्ड होल्डर चले गये थे उनके कार्ड रद्द कर दिए गए थे। निरीक्षण के पश्चात् जो कार्ड सही रूप से अपने स्थान पर पुनः मिले उसे चालू कर दिया गया और किए जा रहे हैं। जांच के दौरान में भी किसी का राशन नहीं रोका गया था। पुनः जांच-पत्र केवल उन व्यक्तियों से भरवाये गये जो वेरीफिकेशक के समय बाहर गये थे और बाद में आये। कार्ड बनाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कोई गलती नहीं पायी गई जिससे कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके।

जिला खाद्यान्न सलाहकार समिति के सदस्य को उनके पत्र का यथोचित उत्तर जिलाधीश देवरिया द्वारा किया जा चुका।

उन्नाव जिले को सीमेंट

*२३--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के विकास कार्य के अतिरिक्त कितनी सीमेंट गृह-निर्माण के लिए जन-साधारण में वितरण हेतु गत जून, १९६५ से १५ अगस्त, १९६५ तक प्रतिमास दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सूचना निम्नलिखित है--

	बोरे
जून, १९६५	९०४
जुलाई, १९६५	९४९
१५ अगस्त, १९६५ तक	१००
योग ..	१,९५३

*२४--श्री देवदत्त मिश्र--

क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमेंट तहसीलवार जिले के स्टाक से कितनी दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कुछ नहीं।

*२५-२७---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

[स्थगित किये गये।]

ऐटा जिले में टायरों का विक्रय

*२८---श्री रामसिंह (जिला एटा) तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि एटा जिले में किन-किन दुकानदारों को साइकिल के ट्यूब व टायरों का कितना-कितना कोटा निर्धारित कर के अब तक दिया गया है और उनकी रिटेल की कीमत क्या निर्धारित की गई है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

साइकिल के ट्यूब व टायरों का कोटा और उनकी रिटेल की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती।

*२९---श्री रामसिंह (एटा) तथा श्री गंगा प्रसाद वर्मा---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त ट्यूब व टायरों की बिक्री हेतु दुकानदारों को क्या आदेश दिये गये हैं और उनकी बिक्री किस प्रकार की जाती है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सरकारी आदेश यह हैं कि प्रत्येक व्यापारी तथा दुकानदार कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री करे और दुकान के प्रमुख स्थान पर मूल्य सूची हिन्दी में टांगे, जिसमें प्रत्येक प्रकार के टायर एवं ट्यूब का मूल्य प्रदर्शित हो तथा बिक्री का कैशमेमो भी दें। बिक्री किस प्रकार की जाय इसके लिए सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं है।

देवरिया जिले में सीमेंट वितरण

*३०---श्री उग्रसेन---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ मई, १९६५ से प्रश्न का उत्तर देने की तिथि तक जिला पूर्ति कार्यालय, देवरिया से किन-किन लोगों को सीमेंट की परमिटें निर्गत की गयीं? क्या मन्त्री उपरोक्त परमिटों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सूची† संलग्न है।

*३१---श्री उग्रसेन---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद से किन-किन लोगों का प्रार्थना-पत्र जी० ए० डी० कोटे से वैगन लोड सीमेंट के लिए राज्य सरकार, जिलाधीश देवरिया तथा जिलापूर्ति अधिकारी के यहां पेंडिंग है? उन पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सूचना संलग्न† है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २०२ पर)

---

†छापी नहीं गई।

औरैया नगरपालिका को अनुदान

*३२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि औरैया (इटावा) नगरपालिका को पिछले १० वर्षों में कितना-कितना अनुदान किस-किस कार्य करने हेतु दिया गया है और नियमानुकूल उनका उपयोग हुआ है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्या वह शेष अनुदानों का धन नगरपालिका के पास कोष में सुरक्षित है और क्या नगरपालिका के पास अपने निजी कोष में भी इतना धन सुरक्षित है जिससे उपरोक्त सभी कार्य पूरे कराए जा सकें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नगरपालिका, औरैया को पिछले दस वर्षों में दिए गए अनुदानों की सूचना सूची (१) पर संलग्न है। प्राप्त सूचना के अनुसार १९६१-६२ तक के सभी अनुदानों का उपयोग हो चुका है। उपयोग न किए गए अनुदानों की सूचना सूची (२) में संलग्न है। इस समय पालिका के कोष में इतना धन नहीं है जिससे वह शेष कार्य करा सके किन्तु नगरपालिका के अध्यक्ष ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में सभी अनुदानों का पूरी तरह उपयोग करने के लिए प्राविधान किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०३ पर)

*३३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यक्ष नगरपालिका औरैया (इटावा) ने सरकार एवं जिलाधीश को पालिका की विषम आर्थिक स्थिति स्वीकार करके ६ माह पूर्व पत्र द्वारा अवगत कराया था ? यदि हां, तो पालिका को ऋण-ग्रस्त घोषित करने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, अध्यक्ष नगरपालिका, औरैया का इस आशय का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु उसके आधार पर पालिका को ऋणी घोषित करने का अभी कोई विचार नहीं है ।

*३४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

[स्थानान्तरित किया गया ।]

सस्ते गल्ले की दूकानों की जांच समिति

*३५—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सस्ते गल्ले के दुकानों की जांच हेतु जो श्री गेंदा सिंह समिति गठित की गई थी क्या उस कमेटी ने कोई रपट दी है ? यदि हां, तो उस कमेटी की सिफारिशों को सदन की मेज पर रखते हुये सरकार बतायगी कि उनमें किन-किन सिफारिशों को अमल में ला रही है ? जिन्हें अमल में नहीं लाने जा रही है, उसका कारण अलग-अलग बताया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

प्रश्न में वर्णित समिति गठित की गई थी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दिया है। इस समिति की रिपोर्ट प्रेस में छपने के लिये भेजी गई है। प्रेस से प्राप्त होने पर यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

समिति की सिफारिशों को अमल में लाने या न लाने से सम्बन्धित सूचना इतनी विस्तृत है कि सदन के समक्ष इतने कम समय में प्रस्तुत करना संभव नहीं है, अतः सदस्य महोदय यदि चाहें तो इस सम्बन्ध में विधान भवन स्थित मेरे कक्ष में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

*३६---श्री रामसुन्दर पांडेय---

[स्थगित किया गया ।]

जिला पूर्ति कार्यालयों में स्थायी पद

*३७---श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों में १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६५ तक प्रतिवर्ष कितने पद स्थायी किये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों में १ अप्रैल, १९६२ से २३ पद तथा १ अप्रैल, १९६४ से ४४७ पद स्थायी किये गये ।

*३८---श्री कृष्णचन्द तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या खाद्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन स्थाई पदों के लिये कर्मचारियों के नाम भी स्थायी रूप से घोषित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*३९---श्री कृष्णचन्द---

[स्थगित किया गया ।]

वाराणसी म खाद्यान्नों का भाव

*४०---श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या खाद्य मंत्री का ध्यान २८ अगस्त, १९६५ के उत्तर प्रदेश गजट भाग ८, पृष्ठ ५४० पर दिये गये अनाज के थोक भावों की तालिका की ओर गया है जिसमें वाराणसी का मंडी भाव निम्नलिखित खाद्यान्नों में राज्य के ऊंचे से ऊंचे भाव से अधिक गेहूं प्रति क्विंटल २.२१ रुपये अधिक, चना ६.०४ रुपये अधिक, जौ २.४० रुपये अधिक, बाजरा .७२ रुपये अधिक, दाल अरहर .४२ रुपये अधिक है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में प्रायः सभी खाद्यान्नों के सबसे ऊंचे भाव बिकने के क्या कारण हैं और इस असामान्य स्थिति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां । परन्तु अरहर दाल का भाव प्रदेश के ऊंचे से ऊंचे भाव से वाराणसी में २.५० रुपया प्रति क्विंटल कम था ।

वाराणसी में खाद्यान्नों के भाव साधारणतया प्रदेश की अन्य मंडियों से कुछ अधिक होते हैं क्योंकि वाराणसी मंडी कमी के क्षत्र में स्थित है और खाद्यान्नों की बड़ी खपत वाला केन्द्र है । भावों को अधिक बढ़ने से रोकने के लिये और उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिये निम्नलिखित उपाय लागू हैं :

(१) वाराणसी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा निश्चित भाव पर खाद्यान्न लगातार वितरित किया जा रहा है ।

(२) प्रदेश से गेहूं, चावल, चना, मक्का, ज्वार तथा बाजरा के निर्यात पर रोक लगी हुई है ताकि प्रदेश के अन्दर इनकी उपलब्धता बनी रहे ।

कृषि निदेशालय में हरिजन

*४१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९६० से १९६५ तक कृषि निदेशालय में कुल कितने प्रार्थी क्रमशः ग्रुप १ व ग्रुप २ में नौकरियों में रखे गये हैं ? इनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री गेंदासिंह—

सूचना निम्न तालिका में दी हुई है :

क्रम-संख्या	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग	वर्ष १९६०–६१ से १९६४–६५ तक कुल नियुक्त किये कर्मचारियों की संख्या	वर्ष १९६०–६१ से १९६४–६५ तक नियुक्त किये गये हरिजन कर्मचारियों की संख्या
१	२	३	४
१	वर्ग (ग्रुप) १	५१२	३४
२	वर्ग (ग्रुप) २	२,५१४	१४४
	योग ..	३,०२६	१७८

अतारांकित प्रश्न

१—श्री ऊवल—

[स्थगित किया गया ।]

बहराइच में जखीरेबाजों पर मुकदमा

२—सर्वश्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच), मुन्नूसिंह (जिला बहराइच), विजयसिंह (जिला जालौन), प्रेमसिंह (जिला बहराइच), काशीनाथबहादुर पाल (जिला बस्ती), चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच) तथा मंगलप्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य मंत्री मेरे प्रश्न संख्या ३४, दिनांक २३ अगस्त, १९६५ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जब ए० डी० एम० (जे०) ने ११–११–६४ के आदेश के अन्तर्गत २६ दिसम्बर, १९६४ के लिये नीलाम की कार्यवाही न होने के पश्चात् २ जनवरी सन् १९६५ के लिये नीलाम करने का आदेश दिया और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि नीलाम सार्वजनिक स्थान या कचेहरी कम्पाउन्ड में कराया जाय तथा कुल गल्ले को ५०, ५० क्विंटल की लाट में नीलाम किया जाय तो जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच ने आदेश की अवहेलना करते हुये मुन्नालाल परमेश्वर कुमार की दुकान के बन्द कमरे में बैठकर एक लाट में नीलाम किया गया तथा बहराइच के दुकानदार को सूचना नहीं दी गई ? यदि सूचना दी गई तो कब और कौन-कौन लोग उपस्थित थे तथा नीलाम कहां किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रश्न संख्या ३४, मुन्नू लाल परमेश्वर कुमार के मक्का के नीलाम से संबंधित है । ए० डी० एम० (जे) ने ११–११–६४ को मेसर्स मुन्ना लाल परमेश्वर कुमार के गल्ले के नीलाम के लिये कोई आदेश जारी नहीं किया बल्कि ७–११–६४ को इस संबंध में उपरोक्त न्यायालय से सार्वजनिक नीलाम के लिये आदेश जारी हुआ जिसका पूर्णरूप से पालन किया गया । सार्वजनिक

नीलाम की अनेक तिथियां निश्चित की गईं। नीलाम की तिथि २६-११-६४ और २-१-६५ पर कोई भी व्यक्ति ने इस स्टाक पर बोली नहीं लगाई। अतएव न्यायालय को इसकी सूचना दी गई। ए० डी० एम० (जे) ने २२-१-६५ को पुनः आदेश दिया कि जिला पूर्ति अधिकारी इस गल्ले के स्टाक का नीलाम किसी सार्वजनिक स्थान-जैसे बाजार अथवा कोई कम्पाउन्ड में करें। उपरोक्त आदेशानुसार नीलाम की तिथि १-२-६५, समय १२ बज दिन, स्थान छावनी बाजार निश्चित की गई जो शहर की सबसे बड़ी गल्ले की मंडी है। नीलाम की तिथि की नोटिस जिला पूर्ति अधिकारी, बहराइच के कार्यालय से जारी की गई जिसका प्रचार यथोचित रूप से किया गया। इस नोटिस की प्रतिलिपियां उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी, बहराइच, जिला कृषि अधिकारी, अध्यक्ष गल्ला व्यापारी संघ, बहराइच, जिला सूचना अधिकारी सहायक रजिस्ट्रार (उपभोक्ता), तहसीलदार सदर को प्रचारार्थ २७-१-६५ के लगभग भेज दी गई।

निश्चित तिथि १-२-६५ को १२ बजे दिन में छावनी बाजार में सार्वजनिक नीलाम कराया गया जिसमें निम्नलिखित गल्ले के व्यापारी उपस्थित थे :

(१) मेसर्स हरी राम छेदी लाल, बहराइच।
(२) ,, अब्दुल वहाब छावनी बाजार, बहराइच।
(३) ,, चन्द्रभान गिरधारी लाल, बहराइच।
(४) ,, रामजीत राजेन्द्र प्रसाद, देवरिया।
(५) ,, विशुन दयाल गया प्रसाद, देवरिया।
(६) ,, राधेश्याम बनवारी लाल, सीवान (बिहार)।
(७) ,, कैलाश नाथ श्री भगवान, छावनी बाजार, बहराइच।
(८) ,, प्रहलाद राय मुरलीधर, छावनी बाजार, बहराइच।

उपरोक्त गल्ले को एक लाट में नीलाम किया गया ५०-५० क्विंटल की लाट में नीलाम करने का कोई भी आदेश ए० डी० एम० (जे) का नहीं प्रसारित हुआ था। न्यायालय के आदेशों का पूर्णरूप से पालन किया गया और किसी प्रकार की अवहेलना नहीं की गई। यह कथन भी निराधार है कि मुन्ना लाल परमेश्वर कुमार के बन्द कमरे में बैठ कर नीलाम किया गया।

३---सर्वश्री रामआधार कनौजिया, मुन्नूसिंह, विजयसिंह, प्रेमसिंह, काशीनाथबहादुर पाल, चौधरी अब्दुल हसीब खां तथा मंगल प्रसाद---

क्या मंत्री महोदय मेरी सूचना को सही मानकर कि उस समय मक्के का भाव ५१ रुपये क्विंटल था तथा जानवरों को खिलाने वाली दाना भूसी ३० रुपये क्विंटल था, जिसके अनुसार कुल मक्के का मूल्य १६,८०० रुपया होता है, परन्तु नीलाम केवल ३,००० रुपये में किया गया इस तरह १३,८०० रुपये का सरकारी धन का नुकसान हुआ तथा गल्ला बहराइच जिले से बाहर बिहार को भिजवा दिया? क्या मंत्री महोदय इसकी जांच उच्च अधिकारी या सी० आई० डी० के द्वारा करवाने की कृपा करेंगे ? ताकि सरकारी धन की जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जिस समय मक्के का स्टाक अभियुक्त के गोदाम से बरामद किया गया था उसी समय उसकी क्वालिटी खराब थी, गोदाम में रखने के कारण यह और भी खराब हो गया था इसी कारण से नीलाम की तिथियों पर (२६-११-६४ तथा २-१-६५) कोई भी व्यक्ति इसको खरीदने के लिये तैयार नहीं हुआ। उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी तथा जिला कृषि अधिकारी बहराइच ने भी इसको नहीं खरीदा। बहराइच जिले में मक्का बहुतायत से पैदा होती है और १-२-६५ को जब नीलाम हुआ सरकार द्वारा इसकी खरीदारी बन्द कर दी गई थी जिसके फलस्वरूप इसका भाव बहुत गिर गया था। क्वालिटी खराब हो जाने से सूचना न्यायालय को भी दे दी गई थी और

नीलाम के दिन इस मक्के के स्टाक के मालिक को भी बुलाया गया था जो मौके पर मौजूद था परन्तु माल खराब होने के कारण उसने भी कोई आपत्ति नहीं की और फर्द नीलाम पर हस्ताक्षर कर दिये। क्योंकि नीलाम न्यायालय के आदेशानुसार किया गया तथा सबसे अधिक बोली बोलने वाले के पक्ष में किया गया अतएव सरकारी धन हानि का प्रश्न नहीं उठता। जांच के फलस्वरूप यह भी विदित हुआ है कि इस मक्के का कोई भी अंश विहार प्रान्त को नहीं भेजा गया है। चूंकि मक्का के प्रदेश से बाहर जाने पर प्रसिबन्ध लागू है इसलिये बिना परमिट के बाहर नहीं जा सकता था। उक्त परिस्थितियों में इस संबंध में और जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार नियमावली, १९६४†

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

मैं पशुपालन विभाग की विज्ञप्ति संख्या २३७२/१२-ई--१४५-६३, दिनांक ५ जून, १९६५ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार नियमावली, १९६४ को उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, १९६४ की धारा १७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आई है। अभी मैंने उसको देखा नहीं है। इसको देखकर मैं फिर अपना निर्णय इस पर दूंगा।

प्रदेश में गिरे पाकिस्तानी विमान के क्रू का पता न मिल सकने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

यदि आप मेरे कामरोको प्रस्ताव के ऊपर विचार कर रहे हों तब तो बात दूसरी है अन्यथा मेरा भी निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्यमंत्री ने इसी संबंध में सदन में जो अपना वक्तव्य दिया था उसको देखते हुये मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो सूचना मिली है वह माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना के विपरीत है। तो सवाल यह है कि जहां पर फैक्ट्स में कंट्राडिक्शन हो तो वहां पर कामरोको प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता। यदि ऐसी घटना नहीं हुई है तो कार्यस्थगन का प्रश्न नहीं उठता है। आपका कहना है कि सी० १३० माडर्न ट्रान्सपोर्ट पाकिस्तानी से कुछ लोग उतरे हैं और मुख्य मंत्री जी का कहना है कि यह सब गलत है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मेरा जो कामरोको प्रस्ताव है वह स्पष्ट है। सी० १३० माडर्न ट्रान्सपोर्ट प्लेन आपके प्रान्त में गिरा। मुख्य मंत्री जी ने पहले दिन उसके संबंध में कहा कि पाकिस्तानी छाताधारी सैनिक उतरे। फिर उसको कंट्राडिक्ट किया। भारत सरकार ने इसको स्पष्ट किया। उनके गृह मंत्री ने राज्य सभा में उत्तर देते हुये यह स्वीकार किया कि वह सी० १३० ट्रान्सपोर्ट

---

†छापी नहीं गयी।

प्लेन इस प्रान्त में गिरा । उसमें ७,८ क्रू होते हैं । इतना बड़ा हवाई जहाज आपके यहां गिरे और उसमें से एक भी लाश बरामद न हो और वे पकड़े भी न जायं तो क्या इस पर विचार नहीं किया जा सकता ? अगर उन लोगों का पता न लगे तो इससे पता लगता है कि आपके यहां कैसी सिक्योरिटी है । यह एक चिन्ताजनक विषय है । इसके लिये आप विवाद के लिये आज्ञा दें तो अच्छा होगा । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर है । वह इस संबंध में अपना वक्तव्य दे दें ।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस विषय पर यहां पर विवाद नहीं होना चाहिए । जो इन्फार्मेशन मेरे पास है वह ऐसी है जिसको मैं यहां पर बताना नहीं चाहती हूं । अगर वह उसको जानना चाहते हैं तो चाहे दुबे जी या और कोई जो मेरे पास इन्फार्मेशन है वह सब मैं उनको देने के लिए तैयार हूं । यह मैं बता दूं कि वहां पर छान-बीन जितनी हो सकती थी उतनी की गई है । उस बारे में जो मेरे पास इत्तला है उससे मैं यह कह सकती हूं कि वहां कोई कमजोरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

आप उनसे मिल लीजियेगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मैं कोई विवाद नहीं चाहता कि मुख्य मन्त्री जी ने क्या कदम उठाए हैं उन का विवरण यहां दिया जाय, लेकिन मेरा मतलब यह था कि जो रीति-नीति है उस पर सुझाव आ जायं । सेक्योरिटी का जो फेल्योर हुआ है वह तो हो गया, लेकिन भविष्य में इस प्रकार न हो । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं । जैसा उन्होंने कहा, मैं जरूर जा कर बात कर लूंगा ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मेरा एक निवेदन है कि क्या मुख्य मन्त्री जी का ध्यान केन्द्रीय मन्त्री के वक्तव्य की ओर गया है ? और यदि उस विषय में यहां आम विवाद नहीं हो सकता तो एक सीक्रेट सेशन हो जाय । उन की असुविधा को ध्यान में रख कर मैं यह सुझाव दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

दुबे जी ने एक सजेशन मान लिया है ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

यह सवाल असेम्बली में उठा था कि गाजियाबाद के पास छतरी सैनिक उतरे हैं, उसके तथा इस सवाल के बारे में भी सदन को पता होना चाहिए । दुबे जी को तो मुख्य मन्त्री जी बतला देंगी, लेकिन सेन्ट्रल मिनिस्टर ने जो कहा है उस का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

इस बारे में हम बात कर लेंगे ।

पाकिस्तानी छतरी सैनिकों एवं भेदियों के न पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास दो सूचनायें आई हैं । एक है श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी की तथा दूसरी है श्री काशीनाथ मिश्र जी की । पहली सूचना इस प्रकार है---

"श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के एक मन्त्री ने राज्य सभा में स्वीकार किया है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों

[श्री अध्यक्ष]

घुसे हुए सैकड़ों पाकिस्तानी छाता सैनिकों एवं पाकिस्तानी भेदियों को पकड़ने के लिए विशेष आदेश भेजे हैं, परन्तु राज्य सरकार की पुलिस तथा खुफिया विभाग आज तक एक भी छतरी सैनिक पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। सरकार की इस असफलता के कारण जनता में उत्तेजना है।"

माननीय काशीनाथ जी ने कानपुर के सम्बन्ध में कई घटनाओं का उल्लेख किया है--

"श्री एस० एम० बशीर, थाना नवाबगंज, शहर कानपुर के यहां तलाशी हुई और पुलिस ने पाकिस्तान को खबर देने वाला ट्रान्समीटर सेट बरामद किया। हवालात में रखा गया लेकिन पुलिस को एक मोटी रकम दे कर छूट गए। यह श्री बशीर पदमपत सिंहानिया के पार्टनर हैं। पाकिस्तान में इनके कारखाने हैं। कानपुर के मशहूर उद्योगपति श्री पदमपत सिंहानिया श्री बशीर की मदद से लाखों रुपए का नाजायज व्यापार पाकिस्तान के साथ करते हैं। हाजी मुहम्मद समी, थाना कैन्ट, कानपुर और श्री मतीउल्ला लारी कानपुर में पुराने मुस्लिम लीग के फाउन्डर थे, अब कारोबारी हैं। श्री लारी के पास लाहौर से छपने वाले भारत विरोधी प्रचार की पत्रिका सदैव आती है। पिछले दिनों श्री लारी गिरफ्तार हुए लेकिन पुलिस ने मोटी रकम ले कर छोड़ दिया। श्री गृह मन्त्री का फोन भी श्री लारी के..." यह व्यक्तिगत है। इसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आगे है--"बाबू तारीक टैनरी वाले, थाना अनवरगंज, कानपुर भी पुराने लीग के फाउन्डर हैं और अब भी युद्ध के समय पर पाकिस्तानी प्रचार में आगे रहे हैं। इन्हें भी रिश्वत के बल पर पुलिस ने छूट दी है। कानपुर थाना करनैलगंज में हाजी असलम नाम का एक मुसलमान सन् १९४८ में ही पाकिस्तान चला गया और दूसरा एक मुसलमान हाजी असलम बन कर उसकी पूरी सम्पत्ति का मालिक बन कर बैठा है और पाकिस्तान में रहने वाला असली हाजी असलम के साथ अपना सम्बन्ध बनाए रखे है। रिश्वत के बल पर वह भी पुलिस से छूट गया है। कानपुर में पुलिस लाखों रुपए की रिश्वत..." यह दूसरी बात है। रिश्वत वगैरह की बात इस में नहीं आनी चाहिए। इसमें केवल यह हिस्सा स्वीकार किया जाता है कि जो पाकिस्तानी कार्यवाहियों से तथा सुरक्षा से सम्बन्धित है और उस पर प्रभाव डालने वाला है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, नीचे वाला भाग ही मुख्य है। उसे आप छोड़े दे रहे हैं। देशद्रोही को छूट देकर देशभक्त को कारगुजारी दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस बात से वहां बड़ा असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष--

सीधी बात यह है कि केवल उस अंश को मैं स्वीकार कर रहा हूं जिसका प्रभाव हमारी सुरक्षा पर है और जो पाकिस्तानी या प्रो-पाकिस्तानी जैसा कि आपने कहा है, कार्यवाही में संलग्न हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि काशीनाथ जी ने इत्तला दी कि ऐसे लोग हैं जो प्रो-पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी नेशनल हैं जो इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले हैं तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन श्रीमन्, आज यह भी सही है कि बेबुनियाद अफवाहें ऐसे प्रतिष्ठित मुसलमानों और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के सम्बन्ध में पूरे प्रदेश में उड़ाई जाती हैं और ऐसे अनर्गल प्रचार किए जा रहे हैं जो हमारी एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना के ऊपर बुरा असर डालन वाले हैं। इसके ऊपर कल माननीय प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने भी शुरू में कहा था कि इस राष्ट्रीय संकट के जमाने में साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना चाहिए। मैं लिख कर आपके और मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दूंगा कि किस प्रकार ऐसी अफवाहें जो बेबुनियाद हैं स्थानीय नेताओं के विरुद्ध भी उठायी जाती हैं। इस ओर

माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए और जो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतया सहमत हूं और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस युद्ध के दौरान में हर एक सम्प्रदाय--हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, पारसी सभी ने अपने संयम और राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रदर्शित किया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि कोई ऐसी बात सदन में न हो जिससे इस सुन्दर वातावरण पर आघात हो। लेकिन मैंने इसे, चन्द्रजीत यादव, इसलिए लिया है कि यदि इस किस्म की अफवाहें कहीं हों तो ज्यादा अच्छा होगा कि गृह मन्त्री द्वारा उनका प्रतिवाद हो जाय खुल्लमखुल्ला ताकि किसी के ऊपर आशंका न हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आपने जो राय प्रकट की है उसमें संशोधन करना चाहता था। सुरक्षा के बाद भी सवाल है कि राष्ट्रीय देशभक्त मुसलमान हों कोई भी, जिनका सम्बन्ध सुरक्षा से है, अगर उनको निरपराध भी गिफ्तार किया जाता है तो उसका असर सुरक्षा पर पड़ता है और लोगों का मनोबल घटता है। मैं बाबू बदरे के सम्बन्ध में कहूंगा कि वह नए कार्यकर्त्ता सोशलिस्ट पार्टी के नहीं हैं। वह कांग्रेस और प्रसोपा में भी रहे हैं और आज भी कारपोरेशन के मेम्बर हैं। मैं आपको बताऊं कि झगड़ा क्या है। आपने परिषद् की कार्यवाही को देखा होगा, अखबारों में भी आया। एक शकुन्तला गुप्ता नाम की महिला एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जो मोर्चे पर हैं। जिला अधिकारी उनके मकान में अपने रिश्तेदार को रखना चाहते थे और उनको उस मकान से वंचित किया जा रहा था। सवाल उठाया गया और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अधिकारियों को संकेत किया कि एक सैनिक की स्त्री के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो उनको जगह मिल गयी। बाबू बदरे ने उस सवाल को उठाया और बाबू बदरे पर झूठा मुकदमा चला कर जेलखाने में ठूंसा गया है। पहले दफाएं नहीं लगायी गयीं जब वारन्ट जारी किया गया और जब जमानत की दरख्वास्त दी गयी तो और दफायें लगायीं....

श्री अध्यक्ष---

वह तो आ गया विषय।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आपने तो उसको स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

जो सुरक्षा से सम्बन्धित बातें हैं वह मैं स्वीकार कर रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

एक बात की और जांच हो जाय। एक एस० पी० के रिश्तेदार थे उनको एस० पी० महोदय शकुन्तलादेवी के मकान में रखना चाहते थे और अपना मतलब सिद्ध करने के लिए उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष---

गृह मन्त्री जी आप कब बयान देंगे?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

माननीय रामसुन्दर जी ने जो कहा उसका तो कोई जिक्र इसमें है नहीं जो मेरे पास है।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

इसमें कौन-सा अंश आपने स्वीकार किया है कौन-सा नहीं, यह मालूम हो जाय तो वक्तव्य के लिए बताऊं.....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय गृह मन्त्री के परपज के लिए पूरा रहने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

सवेरे जल्दी में मैंने इसको पढ़ा है। कुछ अंश ऐसा था जो व्यक्तिगत मालूम होता है, उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। बहरहाल, मैं उसे देख कर आपको सूचित कर दूंगा, वक्तव्य के लिए आप तिथि बता दें।

श्री हरगोविन्दसिंह---

दो रोज के बाद, ३० को रख दीजिए ।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

मैं केवल थोड़ा-सा क्लेरिफिकेशन चाहती हूं, माननीय रामसुन्दर जी ने जो बातें कही हैं वे कुछ इनकरेक्ट हैं। यह जो कहा उन्होंने कि एक सिपाही की औरत को निकाल दिया, एक दिन का उसके बच्चा था, यह इनकरेक्ट है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इससे सिपाहियों का मनोबल घटता है। मैं चाहती हूं कि इस तरह की चर्चा न यहां हो और न ही वह अखबारों में छपनी चाहिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

यह हमारा आक्षेप नहीं है, श्रीमन्, हमने इसे नहीं उठाया है, विधान परिषद् में यह प्रश्न उठाया गया था, हमने तो उसका हवाला दिया, माननीय मुख्य मन्त्री ने वहां इसका जवाब भी दिया था।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मुझे फैक्ट मालूम है, मेरे पास यही रिपोर्ट आयी है, यह इनकरेक्ट है। ऐसी बातें जिससे हमारे सिपाहियों के मन में धक्का पहुंचे, नहीं कहनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौन्सिल के दो निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन अनियमित घोषित तथा पुनः निर्वाचन कराने हेतु कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---

मुझे आपको एक सूचना देनी है। अभी जो हमने यू० पी० नर्सेज, मिड वाइव्ज की कौन्सिल के लिए दो माननीय सदस्यों का चुनाव किया उस सम्बन्ध में मुझे इस बात का खेद है कि एक बड़ी सख्त गलती हो गयी है। जो समिति इस सम्बन्ध में निर्मित होती है उसमें इस सदन का प्रतिनिधित्व होता है और उसमें दो सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला का होना अनिवार्य है। एक्ट की धारा ४ (बी) (२) में यह है।

"Two members of Uttar Pradesh Legislative Assembly elected by the members of that Assembly of whom one at least should be a woman."

दोनों महिलाएं हो सकती हैं, मगर दोनों महिलाएं न हों तो कम से कम एक का होना निवार्य है। दुर्भाग्यवश श्रीमती शकुन्तला नायर ने अपना नाम ऐन वक्त पर विदड्रा कर लिया सका परिणाम यह हुआ कि दो ही नाम शेष रह गए सर्वश्री राजा विजय कुमार त्रिपाठी और श्री

शिवचरण। इनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मूलतः, प्रारम्भ में ही यह गलती हो गई, इसलिए मैं इस चुनाव को अनियमित घोषित करता हूं। उस वक्त अगर यह मालूम होता तो शायद श्रीमती शकुन्तला नायर से यह प्रार्थना की जाती कि वे अपना नाम वापस न लें। मगर जब वापस ले लिया तो यह कठिनाई सामने आयी। तो उस चुनाव को मैं अनियमित घोषित करता हूं। अब आगे इसके चुनाव के लिए यह कार्यक्रम रहेगा--

नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय---२८ सितम्बर, १९६५ को सायंकाल ४ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा---२८ सितम्बर, १९६५ को ५ बजे।

(सचिव विधान सभा के कमरे में)

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय---३० सितम्बर, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो १ अक्तूबर, १९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में, १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों की निर्वाचन सम्बन्धी मतदान का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष---

अब आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये पांच सदस्यों का निर्वाचन होना है। उनमें इस समय जो उम्मीदवारों की सूची है उससे विदित होता है कि सात महानुभावों ने अपने नाम अंकित कराये हैं। अतः इसमें से पांच का निर्वाचन होगा और निर्वाचन के लिये कल दिनांक २८ सितम्बर, १९६५ को कमरा नं० ५०, १२ बजे से ४ बजे तक ये चुनाव होंगे।

पाकिस्तानी छतरी सैनिकों एवं भेदियों के न पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक व्यवस्था दी कि मैंने पढ़ा नहीं था जिस पर माननीय काशीनाथ मिश्र ने आपत्ति भी उठाई थी। आप पहिले भी व्यवस्था देते आये हैं कि जो मैं नहीं पढ़ता वह व्यवस्था में नहीं आता। तो आप इस पर व्यवस्था दें कि कभी आप बिना पढ़ा हुआ ले लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं?

श्री अध्यक्ष---

मैंने विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा है, लेकिन उसका ट्रेन्ड और विषय तो समझ लिया था। उसमें कुछ अंश ऐसा हो सकता है कि जो कदाचित आदरणीय सदन की डिगनिटी के खयाल से जरूरी है कि उसको हटा दिया जावे। अगर मैं ९ बजे भी आ जाऊं तब भी समस्त सूचनाएं पूरी पढ़ी नहीं जा सकतीं। आधे घंटे में हो सकता है कि कोई बात पढ़ने से रह जाय। विषय तो मुझे मालूम हो जाता है। इस आदरणीय सदन को फिर भी यदि असुविधा होती है तो मैं कह सकता हूं कि मुझे खेद है।

नियम ५२ की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मेरा भी नियम ५२ का प्रस्ताव था। उस पर आप मंत्री जी का वक्तव्य दिला देते?

श्री अध्यक्ष--

मैंने वह कार्यवाही के लिये भेज दिया है उस पर वक्तव्य नहीं होगा।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का संकल्प

श्री होतीलाल अग्रवाल (जिला इटावा)--

मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं--

"चूंकि श्री सूबेदारसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गोपाल कृष्ण वाजपेयी, पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को २४ फरवरी, १९६५ को निर्दिष्ट किया गया था, और चूंकि विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत कर देना था और जिस पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि समय-समय पर २० सितम्बर, १९६५ तक बढ़ायी गयी थी, किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्न पर विचार समाप्त नहीं कर सकेगी,

अतः उक्त प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय सदन के आगामी सत्रारम्भ तक बढ़ा दिया जाये।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय सभापति विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, पहिले सप्ताह का कार्यक्रम होना चाहिये।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

इस सप्ताह का, कार्यक्रम इस प्रकार है--

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक १९६५ पर विचार एवं उसका पालन। उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ पर विचार एवं उसका पालन।

श्री अध्यक्ष--

आज तक के लिये हमारी कार्यमंत्रणा समिति द्वारा तिथि और कार्यक्रम निश्चित करके घोषित हो गया था। अब कल के लिये उन्होंने कार्यक्रम बतलाया। तो कार्यमंत्रणा समिति की कल बैठक होगी, उसमें हम निश्चय कर लेंगे कि किस तारीख को कौन विधेयक लिया जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

श्रीमन्, कल ही लाने के लिये माननीय मंत्री ने प्रस्ताव कर दिया है। उनमें एक तो बड़ा ही कंट्रोवर्सियल विधेयक है और हम लोगों की उम्मीद थी कि शायद मंत्रिमंडल की रफ्त

से ही वह विधेयक न आवे, लेकिन जब कल आ ही रहा है तो मैं समझता हूं कि इसके लिये जो समय रखा गया है वह बहुत ही कम है। इसलिये जब तक कार्यमंत्रणा समिति द्वारा तय न हो जाय तब तक तो वह सदन में नहीं ही आवे।

श्री अध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति कल साढ़े ९ बजे बैठगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

तो वह विधेयक कल के बजाय परसों आवे।

श्री अध्यक्ष—

कल के लिये कोई काम और नहीं है।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय। श्रीमान् जी, हमारा राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा एक आयोजना पिछड़ा हुआ है। इसी वास्ते हमारा यह प्रयास रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना काफी बड़ी हो जिससे हम अपने विकास की गति को बढ़ा कर अपना पिछड़ापन दूर कर सकें। हमारे प्रयास से यह सम्भावना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय तीसरी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के दुगुना से अधिक हो। इसलिये यह आवश्यक है कि साधनों के विभिन्न तरीकों को खोज की जाय, उसके लिये प्रयास किया जाय। पाकिस्तान द्वारा हमारे देश पर किये गये आक्रमण ने जो वर्तमान परिस्थिति पैदा कर दी है उसके परिणाम स्वरूप हमारे दायित्व में और वृद्धि हो गयी है। इसलिये देश के तथा जनसमुदाय के व्यापक हित की दृष्टि से यह उचित समझा गया कि इस राज्य में वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर लगाया जाय। लेकिन उसमें एक बात को ध्यान में रखा गया है कि जो अल्प आय वाले लोग हैं उनके ऊपर कर की दर एक उचित सीमा के भीतर ही रहे।

श्रीमन्, साधन जुटाने के लिये कई तरीके उपलब्ध हैं। एक तो जो टैक्स बाकी है उसको वसूल किया जाय। जो टैक्स हमने अब तक लगाये हैं उनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाय, वर्तमान टैक्सों में कुछ संशोधन किया जाय और इस वक्त जो व्यय हो रहा है उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासन की दक्षता में कमी न आने पावे, कमी की जाय और इसके अतिरिक्त नये कर लगाये जायं इन सभी साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। जो टैक्स बकाया हैं उनकी वसूली का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जो कर्जा दिया गया है उसकी वसूली का भरसक प्रयत्न हो रहा है। इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जो हमारा इस वक्त का खर्चा है उसमें कमी की जाय। कुछ कमी करने का एक आदेश भी जारी हो गया है। जो वर्तमान टैक्स लगाये गये हैं उनमें संशोधन किया जाय, उनमें जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाय जो दो विधेयक माननीय सदस्यों के सामने पेश किये जा चुके हैं उनमें जो वर्तमान टैक्स हैं उनमें कुछ संशोधन किया गया है और उसके द्वारा आय बढ़ाने का साधन किया गया है। चौथा तरीका जो नये टैक्स लगाने का है वह इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है।

---

†२१ सितम्बर, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जयराम वर्मा]

माननीय सदस्यों ने जो पहले दो विधेयकों के संबंध में अपनी राय जाहिर की उससे लगता है कि उनका यह खयाल है कि जो टैक्स और कर्जों का बकाया है, उनके वसूल करने से ही काम चल जायगा। थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि वह सब वसूल भी हो जाय तो उससे सिर्फ एक साल का ही काम चलने वाला है। मूल बजट में १४ करोड़ ९१ लाख का घाटा था और यह जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जा चुका है उसमें ३ करोड़ ४२ लाख का घाटा और बढ गया है, उनकी पूर्ति केवल इस बकाया वसूली से हो सकती है। लेकिन योजना के लिये आवर्तक खर्चे की आवश्यकता होती है जिसके लिये स्थायी आमदनी होनी चाहिये। इसलिये केवल टैक्स की बकाया की वसूली से काम नहीं चल सकता।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश पर पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया है उसके कारण हमारे देश का मनोबल बहुत ऊंचा है। लोगों में त्याग और बलिदान की बड़ी भावना बढ़ गयी है और हमारे देशवासी देश की रक्षा के लिये सब कुछ न्योछावर करने के लिये तैयार हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि उनकी इस भावना का उपयोग करके हम काफी चन्दा वसूल कर सकते हैं और टैक्सों से ज्यादा चन्दा वसूल कर सकते हैं। लेकिन उस चन्दे से भी केवल एक साल की योजनाओं का काम चलाया जा सकता है, योजनाओं के आवर्तक खर्च का काम चलने वाला नहीं है। इसलिये लोगों का जो मनोबल ऊंचा है उसका हमें नियमित और सही ढंग से उपयोग करना है। और देश को आगे बढ़ाने के लिये उनके ऊपर थोड़ा सा भार डालना चाहते हैं। अगर हमने उस मनोभावना का उपयोग अनियमित ढंग से किया तो हम उसका सही उपयोग न कर सकेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि अपने देश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, या देश के ऊपर जो खतरा पैदा हो गया है, उसको दूर करने के लिये, हम इन टैक्सों के द्वारा उस काम में तेजी ला सकते हैं। इसलिये लोगों पर भार डाल कर धन इकट्ठा करना आवश्यक है। जनता की भावना से यह पूरा विश्वास है कि अपने देश को उठाने के लिये अपने देश की रक्षा संबंधी जो योजना के काम हो सकते हैं उनको चलाने के लिये वह खुशी-खुशी उस भार को सहने के लिये तैयार है।

इस विधेयक के द्वारा व्यवस्था यह है कि पहली अप्रैल, १९६६ से जो वर्ष शुरू होगा उससे इस टैक्स का प्रारम्भ हो, लेकिन टैक्स पूर्व वर्ष की आमदनी पर लगेगा और चूंकि इस साल का करीब-करीब आधा समय बीत गया है इसलिये पहली अप्रैल सन् ६६ से जो वर्ष शुरू होगा उसमें टैक्स की दर अनुसूची में जो दर दी हुई है उसकी आधी होगी। यानी करीब छः महीने का हम टैक्स लेंगे। यह टैक्स उन लोगों पर नहीं लगेगा जिनकी आमदनी ३५ सौ रुपये तक है। भारत की सेना के सदस्यों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। यह इसकी विमुक्तियां हैं। यह लोगों की ग्रास इनकम पर उसकी जो पूरी आय है उसके ऊपर लगेगा। इस टैक्स के निर्धारण और वसूली का काम या तो जो वर्तमान बिक्रीकर का तंत्र है उसके द्वारा किया जायगा या अगर केन्द्रीय सरकार तैयार हो गई तो केन्द्रीय सरकार के तंत्र के द्वारा इसकी वसूली और निर्धारण की व्यवस्था करने का विचार है। अगर इसके लिये अपने बिक्रीकर के तंत्र पर ही भरोसा करना पड़ा तो इसमें कुछ खर्चा होगा और अगर भारत सरकार ने बगैर खर्चे के वसूली कराना स्वीकार कर लिया तो कोई खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर उसके लिये वह खर्च मांगते हैं तो खर्च होगा। खयाल है कि ५ प्रतिशत से ज्यादा किसी तरह से भी खर्च इस पर नहीं लगेगा।

पूरे वर्ष में इसके लगाने से सम्भावित आमदनी ८० लाख के करीब होगी और इस पहले साल में वह आमदनी केवल ४० लाख होगी। जो व्यक्ति सरकारी, स्थानीय संस्थाओं या सहकारी विभाग आदि की सेवाओं में हैं उनसे कर की वसूली उनके वेतन से कटौती करके

ही कर ली जायगी। लेकिन जो लोग व्यापार वृत्ति या दूसरे कामों में लगे हुए हैं उनकी आमदनी पर जिसका वह ब्यौरा देंगे यह टैक्स लगाया जायगा। ३५ सौ की जो सीमा रखी गई है कि इसके ऊपर कर लगाया जाय वह एक आसानी की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

इनकम टैक्स विभाग जो इनकम टैक्स लगाता है वह तीन हजार रुपये की धनराशि के ऊपर लगाता है। लेकिन ३ हजार के ऊपर उन्हीं व्यक्तियों पर टैक्स लगता है जो अविवाहित हों। ३५ सौ की आमदनी के ऊपर उनके ऊपर टैक्स लगता है जो विवाहित हैं। और ३,५०० से ऊपर की आय के जो लोग हैं उनके आंकड़े आसानी से आयकर विभाग से मिल जायंगे और उसमें आसानी होगी इसी दृष्टि से यह ३५०० रुपए की सीमा रखी गई है और उसके ऊपर की आय पर ही यह कर लगेगा। तो सीमा के संबंध में हमारा यह दृष्टिकोण रहा है। इस थोड़े से स्पष्टीकरण के बाद मैं माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करे और अपनी इसके लिये स्वीकृति प्रदान करें जिससे हमारे ऊपर जो दायित्व इस वक्त पाकिस्तानी आक्रमण के कारण और अपने देश के पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से आ पड़ा है उसको हम पूरा कर सकें और देश के पिछड़ेपन को दूर कर सकें।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर यह संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिये ६ माह तक घुमाया जाय।

हमारी सरकार ने इस समय सोचा है कि यह वक्त अच्छा मिला जितना कर चाहें इस वक्त लगा लिया जाय। इसी सत्र में इस प्रकार के ४ विधेयक नये करों के लाये गये हैं, २ पारित हो चुके हैं, एक यह आज पारित होना है और एक कल से और आरम्भ होगा। हमारे वित्त मंत्री जी ने बड़ा बल दिया है कि हम अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिये यह कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि सिपाही को अगर छोड़ भी दिया गया तो उसके परिवार वाले जो व्यवसाय करते होंगे उन पर तो यह लग ही जायगा। अभी तक जो और बिल कर के आये थे वह केवल संशोधन विधेयक थे, लेकिन यह एक नया विधेयक मूल रूप से आया है और जिस तरह का सरकार का रवैया रहा है कि जो बिल आता है उसके पास होने के अगले दिन उसमें संशोधन आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जो बिल लाते हैं वह सही रूप से सोच समझ कर नहीं लाते और जल्दी में लाये जाते हैं और कारण फिर देते हैं कि जल्दी में उसमें कुछ त्रुटियां रह गई थीं इसलिये यह संशोधन लाये हैं। इससे आपको कुल ४० लाख की आय होने वाली है और उसमें भी बहुत से 'इफ' और 'बट' लगे हुए हैं कि यदि आयकर विभाग के द्वारा वसूली की आज्ञा केन्द्रीय सरकार देगी तो उसके द्वारा इसकी वसूली होगी और अगर वह नहीं मिली तो यहां का बिक्रीकर विभाग उसकी वसूली करेगा। अभी आप को पता ही नहीं है कि इस ४० लाख की वसूली में कितना खर्च लगेगा क्योंकि अभी तो आपने ५ लाख वसूली का खर्च आंका है पता नहीं बाद में वह कितना हो। ७–८ करोड़ जनता के लिये यह आप ४० लाख की वसूली का बिल लाये हैं और उसमें से भी वसूली का खर्च निकल जायगा। तो खोदा पहाड़, निकली चुहिया। आपने यह भी नहीं सोचा कि इतना कर लगाने में भ्रष्टाचार कितना होगा माननीय उप मंत्री तो जिला बोर्ड में भी रह चुके हैं। आपको २५० रुपये से अधिक कर लगाने का अधिकार ही नहीं है। इस संबंध में आप संविधान की धारा २७६ को देखने का कष्ट करें। इसमें २५० रुपये से अधिक कर लगाने का आपको अधिकार नहीं है। श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारण में आपने बताया है कि राजस्व के सभी साधनों की खोज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

करना आवश्यक हो गया है चौथी योजना को पूरा करने को। ४० लाख रुपये के लिये आप अन्वेषण करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २७६ (२) में यह दिया हुआ है कि :

"The total amount payable in respect of any one person to the Sates or to any one municipality, district board, local board or other local authority in the State by way of taxes on professions, trades, Callings and employments shall not exceed two hundred and fifty rupees per annum;"

तो टोटल एमान्उन्ट जो होगा उसमें स्टेट भी लगा सकती है, म्युनिसियल बोर्ड भी लगा सकती है और नोटीफाइड एरिया भी लगा सकती है।

एक सदस्य--

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्तमंत्री जी को बता रहा था कि आर्टिकिल २७६ में जो २५० का टोटल रखा है, इसी टोटल में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड और नोटीफाइड एरिया सभी अपना-अपना कर लगावेंगे। आपने इस संबंध में यह भी बताया है कि एक आदमी पर ३,५०० के बाद इनकम टैक्स लगता है इसलिये हमको यह देखने की सहूलियत होगी कि इनकम टैक्स कौन देता है। इनकम टैक्स जो देते हैं, वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और म्युनिसिपल बोर्ड का भी टैक्स देते हैं और कहीं का टैक्स भी वह देता है। उसके बाद भी आप स्टेट टैक्स लगाने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि इससे मनोबल बढ़ेगा। एक ही व्यक्ति को कई जगह पर उसी आमदनी पर टैक्स देना पड़ रहा है। ३,५०० रुपये पर आपने रखा है, लेकिन हो सकता है कि वे इवेड करने लग जायं तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा। आपका कहना है कि इस ३,५०० से एक सहूलियत आपको हो जायगी कि जो इंकम टैक्स देता है, हम उन लोगों को छांटेंगे। हालांकि आपने जांच का प्राविधान इसमें रखा है, लेकिन जो लोग इवैड करते हैं उनको आप नहीं ले सकेंगे। लेकिन यह भी सोचा कि वही एक आदमी इनकम टैक्स देने वाला बोर्ड को भी टैक्स देगा, इनकम टैक्स भी देगा और यह आपका भी कर देगा। इस तरह से ४,५ कर एक ही व्यक्ति से लिये जायेंगे। अभी भूमि-भवन-कर पर विवाद हो चुका है कि आप स्वयं तो अपने व्यर्थ के खर्चों को काटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो व्यर्थ के विभाग हैं, जिस तरह से यह ब्लाक बने हुए हैं लोगों ने अभी बताया कि इन पर बहुत पैसा खर्च होता है, हजारों ग्राम सेविका हैं, लेकिन उनका उपयोग जिस मकसद के लिये यह ब्लाक में हैं, वह पूरा नहीं होता है। इस तरफ बिल्कुल लक्ष्य दुर्लक्ष्य हो रहा है। आपने यह भी नहीं बताया कि कहां-कहां इकोनामी कर रहे हैं। मेरी राय में तो अगर शासन अपने खर्चों में ही इकोनोमी करे तो ४० लाख रुपये की बचत बड़ी आसानी से हो सकती है। कहने को आप कहते हैं कि कमेटीज की मीटिंस नैनीताल में नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन जितने मिनिस्टर तथा चीफ सेक्रेटरी हैं सब नैनीताल जाते हैं। तो आप अपने आराम में तो इकोनोमी करने की बात सोचते नहीं, जनता से कर लेने की बात करते हैं।

आप जानते हैं कि जिला परिषद् में किस प्रकार कर लग लगता है। कर-अधिकारी के पास आ कर उसको आधा रुपया कोई दे दे तो उसका शेष रुपया माफ हो गया। इस तरह से भ्रष्टाचार को और प्रोत्साहन मिलेगा और जितना कर आपको मिलेगा नहीं उससे ज्यादा कर कर-अधिकारी वसूल करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपने धर्मार्थ

परियोजनाओं के लिये लिख दिया है कि अगर वह लिख दें कि धर्मार्थ परियोजना के लिये हमने इतना रुपया खर्च कर दिया लेकिन आपने यह नहीं लिखा कि उसका क्या होगा। आपने कहीं नहीं लिखा कि उसकी जांच करेंगे। फिर आपने कर-अधिकारी के लिए यह नहीं दिया है कि किस काडर का होगा। केवल आपने कहा कि केंद्र से सहायता लें, बिक्री कर से सहायता लेंगे। लेकिन कर अधिकारी का क्या काडर होगा यह कुछ नहीं बताया। अपोलेट कोर्ट का क्या काडर होगा यह भी नहीं बताया।

तीसरी बात आपने यह कर दी है कि अगर ९० रोज में जो पैसा फालतू वसूल कर लिया गया उसको वापस नहीं लेता तो उस रुपये का क्या होगा। ऐसा लिमिटेशन किसी ला में नहीं है कि अगर किसी का रुपया जमा है और ९० दिन में नहीं लेगा तो लैप्स हो जायगा। यह क्लाज बहुत हानिकर है। किसी का रुपया जमा होता है तो वह ट्रस्ट समझा जाता है, उसके लिये कोई लिमिटेशन नहीं होता है किसी ला में, जब चाहे उसे वह व्यक्ति वापस ले सकता है। अपराधों के लिए लिखा दिया कि शास्ति से उससे रुपया ऐज फाइन वसूल किया जा सकता है। लेकिन साथ-साथ आई० पी० सी० में भी सजा देंगे जिससे यह होगा कि अगर कोई किसी से नाराज है तो एक तरफ फाइन कर सकता है और दूसरी तरफ उसका प्रौसीक्यूशन भी हो सकता है। दो में से एक ही कर सकते हैं। बिक्रीकर तथा इनकम टैक्स में फाइन के लिये यह रखा गया है कि इतने तक बढ़ा सकते हैं। आपने हाफ कर दिया है जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आपने फाइन लिमिट कर दी है तो फिर प्रासीक्यशन उचित नहीं मालूम होता।

चौथी चीज यह रखी है कि किसी प्रकार कोई छट हो जाती है और आपके अधिकारियों को पता नहीं लगता। तीन साल के बाद पता लगता है कि वह कहेंगे कि कुछ गलती हो गयी थी हम फिर लगाना चाहते हैं। तो यह उचित नहीं मालूम होता। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इसे जनमत, संग्रह के लिये भेज दिया जाय ताकि जो-जो कमियां हैं वे दूर हो सकें और फिर एक पूर्ण रूपेण विधेयक लाया जा सके।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर देवे।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है अभी तक माननीय मंत्री जी ने खुद ही बतलाया है कि चूंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए हम रुपये की जरूरत है लिहाजा कोई श्रोत हमेशा क लिए उनके पास होना चाहिये ताकि उस खर्च को वह बरदाश्त कर सकें। इस सदन में कहा गया कि लोगों पर जो टैक्स का बकाया है, तकावी का बकाया है उसको वसूल किया जाय। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि अगर वह पूरा बकाया टैक्स की रकम वसूल भी कर लें तो, १ ही साल का खर्चा वह उससे चला सकेंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को भूल गये कि सदन के सामने उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि हम अपने खर्च में बराबर कटौती करते रहेंगे। पिछले वर्षों के अनुभव से यह देखा जा रहा है कि जो कटौती अभी तक उन्होंने की है वह चपरासियों और लोअर ग्रेड के आदमियों को हटा कर की है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां आई० ए० एस० के आफिसर्स न हों। नतीजा यह देखने में आता है कि चपरासियों की संख्या एक तरफ कम करने की कोशिश की जा रही है, उनके सामने अनएम्पलायमट का सवाल पदा होता जा रहा है और दूसरी ओर बड़े-बड़े ऊंची तनख्वाह वालों की बढ़ोत्तरी हम करते जा रहे हैं। यह सरकार की नीति है। हम चाहते यह थे कि अनएम्पलायमेंट की समस्या सरकार हल करती और कम से कम १०० रुपया तनख्वाह लोअर ग्रेड के आदमी को और १

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

हजार तनख्वाह सबसे ऊपर के आदमी को देती तो समाजवादी व्यवस्था की रूपरेखा कायम होती।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुए।)

यदि सरकार इसी बात को करे तो हम समझेंगे कि जिसका निर्णय कांग्रेस ने लिया था, यानी समाजवादी व्यवस्था कायम करने का, उसकी ओर यह सरकार जा रही है। लेकिन इसके विपरीत सारी व्यवस्थायें सरकार की हो रही हैं।

श्रीमन्, जब किसी किसान के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर कोई दैवी प्रकोप होता है तो उसे धन की आवश्यकता होती है और सरकार उसको तकावी के रूप में रुपया देती है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो रुपया हमारी सरकार ने उद्योग धंधों के लिए बांटा है उसको देखने से और जो सरकार की इस संबंध में नीति है उससे जनता के अन्दर एक बहुत बड़ा असंतोष फल रहा है। यदि सरकार ईमानदारी से काम करना चाहती है तो सरकार का सबसे पहले यह कर्त्तव्य होना चाहिये था कि सरकारी रुपये से जो उद्योग धंधे खुले हैं या जिन्होंने सरकारी रुपये से फायदा उठाया है उसके ऊपर यह टैक्स लगाती। इससे यह मालूम होता है कि जो रुपया सरकार ने उद्योग धंधों के लिये लोगों को दिया है उसको वास्तविक रूप में लगाया गया है या नहीं या उससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं और लोगों की आमदनी बढ़ी है या नहीं। इस तरीके पर सरकारी धन से जो कारोबार हो रहा है उस पर सरकार अगर टैक्स लगाती तो मैं सरकार की तारीफ करता, क्योंकि सरकारी रुपये से लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिये यह चीज बहुत अच्छी होती।

३५०० रुपये पर जो यह टैक्स सरकार ने रखा है, उसको देखकर हम लोगों को हैरत होती है। इन्कम टैक्स का जहां तक सवाल है उसको केंद्रीय सरकार ने ३६०० रुपये तक छूट दी है। मुझे ठीक नहीं मालूम है लेकिन ऐसा सुना जाता है कि केंद्रीय सरकार ने ४,००० रुपये तक की आमदनी वालों को इन्कम टैक्स से छूट दे रखी है। जब सरकार ने इन्कम टैक्स एक्ट बनाया था तो सरकार की मंशा थी कि ३०० रुपये तक के जो मुलाजिम हैं वह इस स्थिति में नहीं है कि किसी प्रकार का टैक्स दे सकें। इसलिये केंद्रीय सरकार ने उनको छूट दे दी। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो टैक्स लगाया गया है वह बड़ा ड्रास्टिक है और मैं समझता हूं कि यह किसी उसूल के आधार पर नहीं है। ३,५०० से ४,००० तक १२ रुपये टैक्स रखा है और इसके ऊपर ५०० रुपये का अन्तर होने पर एक दम ३६ रुपये हो गये हैं। मेरी समझ में ज्यादा से ज्यादा २४ रुपये होने चाहिये थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ५ हजार से ऊपर ६ हजार तक पंच गुना टैक्स यानी ६० रुपये हैं और इससे ऊपर ६ हजार से ऊपर ७ हजार तक ८४ रुपये हैं और अन्त में २५० रुपये टैक्स के हो जाते हैं। संविधान की धारा २७६ के अनुसार आप २५० रुपये से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं। नीचे की श्रेणी के लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। सरकार ने दस श्रेणी के ऊपर जो टैक्स लगाया है उसमें यह बताती कि किस श्रेणी के लोगों से अलग-अलग कितनी आमदनी होगी, तो उससे पूरे ढंग पर विचार किया जा सकता था। लेकिन उसकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है। केवल टोटल यह बताया गया है कि ८० लाख रुपये की आमदनी होगी। मैं इसके डिटेल में न जाकर खास-खास बातें कहना चाहता हूं।

टैक्स का आधार क्या होगा? कुल 'सकल आय' उसका आधार होगा। इसके बाद जो इसमें छूट का प्राविधान किया गया है, उसमें भी यह दिया गया है कि "किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जिसकी पूर्व वर्ष में कुल सकल आय धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए उपयोग की गयी हो।" इसमें, श्रीमन्, यह पता नहीं चलता है कि अंशतः यदि किसी आदमी ने धर्मार्थ खाते में कोई रुपया लगाया है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। इसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि कोई भी व्यापार, कोई भी रोजगार, जिनसे कुछ इनकम होती है और अगर वह

सारी इन्कम धर्मार्थ में लगा दी गयी हो तो उस व्यक्ति को इसकी छूट होगी। इसके खंड २ में व्यक्ति की परिभाषा में दिया गया है "व्यक्ति" के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार, कम्पनी, निगमित निकाय, फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी है। तो इसी तरीके पर मैं देख रहा हूं "भारत के सशस्त्र सेना के किसी सदस्य द्वारा कर देय न होगा" सदस्य का मतलब व्यक्ति से नहीं होगा। जिस परिवार के लोग सेना में होंगे तो सेना के लोग तो अपने प्रदेश में रहते नहीं हैं, यह मानी हुयी बात है, वह बाहर रहते हैं। सेना के जो लोग हैं उनकी आय पर यह कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या यह कोई बहुत बड़ी मेहरबानी है सरकार की ? यह कोई मेहरबानी नहीं है, उन पर टैक्स लगाना तो इस सरकार की पहुंच के बाहर की बात है, क्योंकि वह रुपया केंद्रीय सरकार देती है। जो फौज के सिपाही हैं वे अपने प्रदेश के बाहर ही रहते हैं, तो यह सरकार की क्षमता से भी परे है। यदि वास्तव में सरकार को सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है तो सरकार को यह चाहिये कि वह परिवार जिसकी व्यक्ति की परिभाषा में किया गया है अगर ऐसे व्यक्तियों को छूट देते हैं, जिनके घर का कोई भी सदस्य बाहर किसी सशस्त्र सेना में हो तो यह उचित बात थी और इससे उनको प्रोत्साहन मिल सकता था और मनोबल भी ऊंचा हो सकता था। लेकिन केवल एक आदमी को, सैनिक को छूट दे देना जो कि बाहर हो, मोरचे पर हो कोई अच्छी बात नहीं है। यह व्यवस्था करके कोई अच्छा ढंग नहीं अपनाया गया है। अन्य विधेयक भी जो टैक्स से संबंधित हैं, उनमें ऐसे लोगों को जिनके घरों के लोग सेना में भरती हो गये हैं, सैनिक अधिकारी हैं या सिपाही हैं, छट दी गयी है। तो मैं चाहता हूं मंत्री जी इसके अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था करें कि सैनिक परिवारों को इससे छट दी जाये।

इसके बाद अब मैं कर निर्धारण के ऊपर आता हूं। इसमें दो तीन बातें हैं, जो गौर करने के काबिल हैं। पहली तो यह है कि कर निर्धारण २ प्रकार के होंगे। एक तो जो कि ढाई सौ रुपया टैक्स होगा, उनके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत करने का जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरे तरह के जो लोग हैं, उनको विवरण प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। उनके बारे में कुछ ऐसी व्यवस्था इस विधेयक के अन्दर हम देख रहे हैं जो कि लज्जाजनक मालूम पड़ती है। शास्ति प्रयोग तो उस समय होती है जब कोई ऐसा गलत काम करता है जो नहीं करना चाहिये। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड और जिला परिषद् भी इनके साथ-साथ ढाई सौ रुपये तक करने जा रही हैं। और केन्द्रीय सरकार ने जो छूट दी थी कि लोग अपनी आर्थिक स्थिति संभालें तो इस प्रकार तो हम पर डबल टैक्सेशन हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तीन-तीन चार-चार अथारिटीज से एक ही इन्कम पर टैक्सेशन होगा, जो संविधान के अन्तर्गत अनुचित है। इस सरकार को चाहिये था कि आर्टिकिल २७० में ऐग्रीकलचरल इन्कम के अतिरिक्त अन्य जो व्यवसाय होंगे तो उन पर केन्द्रीय सरकार टैक्स लगावेगी और उसको प्रोपोर्शनेटली स्टेट्स को देगी। लेकिन सरकार ने २७६ के प्रोटेक्शन के नाम पर फायदा उठाना चाहा है, यह उचित नहीं है। २७६ (१) और (२) में दिया गया है कि जिला परिषदें, नोटीफाइड एरियाज, महापालिकायें, ऐसे टैक्स लगा सकती हैं। सरकार को यह चाहिये था कि जो धन वह इस तरह से इस टैक्स से वसूलती उसको इन संस्थाओ को दे देती प्रोपोर्शनेटली तो ठीक होता। सरकार यह कह रही है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये यह सरकार कदम उठाना चाहती हैं और उसके लिये अपना कोष बढ़ाना चाहती है लेकिन इस तरह से २७६ में प्रोटेक्शन के नाम पर धन वसूल कर लेना और उन संस्थाओं को प्रोपोर्शनेटली न देना, यह उनके ऊपर कुठाराघात है। यह सरकार सोच रही है कि टैक्स वसूलने से चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रगति बढ़ जायगी यह उसकी भूल है। उसको चाहिये कि वह नीचे की श्रेणियों जैसे जिला परिषद्, महापालिकायें, नगरपालिकायें और टाउन एरियाज को उस धन का हिस्सा देती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है वह यह है कि अगर कोई भी सड़क वगैरह का निर्माण किया जायगा तो जमीन की कीमत उससे बढ़ जायगी और उसकी आमदनी से जिला परिषदें हर जगह सड़कें बनायेंगी। एक तरह का टैक्स तो यह हुआ। दूसरा टैक्स लगाने के लिये नगरपालिकाओं को मजबूर किया जाय।

[श्री कमलासिंह यादव]

इस तरह से यह हाउस टैक्स और सरकम्सटैन्सेज प्रापर्टी टैक्स लगाया गया लेकिन यह सरकार भी वही कर रही है कि यहां पर हाउस टैक्स तथा प्रापर्टी टैक्स लगे। खुद यह सरकार वही करने जा रही है जो केन्द्रीय सरकार करती है। इसलिये मैं यह देखता हूं कि यह डबल टैक्सेशन हो रहा है। जिस तरह से संविधान के अनुच्छेद २७० में व्यवस्था की गई है, मैं चाहता हूं कि इस सरकार को भी २७० की तरह कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे रुपया वसूल करके अपने पास जो रखती है उसे प्रपोर्शनेटली टाउन एरिया, नगरपालिका को वह दे दे। मैं समझता हूं इस तरह से हमारी चौथी योजना कुछ हद तक सफल हो सकती है। टाउन एरिया और नगरपालिका की ताकत को लेकर हम अपने यहां फायदा उठाना चाहते हैं तो उनको लाभ दे सकेंगे। उसका नतीजा यह होगा कि उनकी स्थिति मजबूत होगी।

इसके बाद मैं देखता हूं कि इस विधेयक के अन्दर यह दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह से रुपया काटने का प्राविजन हेड्स आफ डिपार्टमेंट के हाथ में दिया गया है। लेकिन इसमें इस बात का विचार नहीं किया गया कि जो कर्मचारी अपने तनख्वाह से रुपया नहीं दे सकेंगे तो उस समय उनकी पोजीशन क्या होगी ? इस विधेयक के जरिये से उनके हेड्स आफ डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया गया है कि वह उनकी तनख्वाह से काट लें। अगर कोई तनख्वाह से न काटे तो वह दोषी समझा जायगा। सरकार ने इतना किया कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई टैक्स बाकी है और हेड्स आफ डिपार्टमेंट ने उसकी तनख्वाह नहीं काटी तो उसको पेमेन्ट करना पड़ेगा। इस विधेयक के खंड ११ में यह दिया है कि "यदि कोई मुख्य अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार जानबूझ कर किसी कर की कटौती न करे या कटौती करने के पश्चात् उसको जानबूझ कर जमा न करे तो उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसके द्वारा उपागत किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कटौती या जमा न किये गये कर के सम्बन्ध में बाकीदार समझा जायगा।" जो वसूल की गयी रकम को जमा न करे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी कटौती न करे तो उसको बाकीदार समझा जायगा। ऐसा विधेयक इस सदन में कभी नहीं आया और न यहां बनाया गया और न ऐसा विधेयक हम लोगों को पढ़ने को मिला है।

इसके बाद खंड १४ में यह दिया है कि :

"यदि कोई व्यक्ति बाकीदार हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी स्वमति से आदेश दे सकता है कि देय कर के अतिरिक्त कर के आधे से अनधिक धनराशि बाकीदार से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अधिकारी पर, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार कटौतियां न करने या काटी गई धनराशि जमा न करने पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जा सकेगी।"

यह बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर मुख्य अधिकारी रुपया तनख्वाह से काट ले और जमा न करे, तो वह दोषी होना चाहिये। ऐसा करना टेम्पोरेरी इम्बेजिलमेंट समझा जाना चाहिये। इसके लिये उसको सजा देनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि जिसने रुपया वसूल कर लिया वह जमा न करने पर कैसे दोषी नहीं माना जायगा ? और जिसने रुपया वसूल भी नहीं किया, तनख्वाह से काटा भी नहीं, लेकिन उस से कहा जाय कि यह बाकीदार हो गया, यह उचित न होगा और उस पर यह कहना कि उसे शास्ति से बरी कर देते हैं, मैं समझता हूं कि न्यायपूर्ण बात न होगी। इसी तरह की व्यवस्था कि मुख्य अधिकारी देय होगा और यदि तनख्वाह न काटे तो वह बाकीदार समझा जायगा, उचित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जब इस विधेयक में एक तारीख दी गयी है कि रुपया वसूली होने से पहले व्यापारी, नौकरी करने वाला या कालज का प्रिंसिपल अपनी एक विवरणी प्रस्तुत करेगा

और उसके बाद अगर कोई टैक्स लगाया जाता है तो उसके तीस दिन के भीतर वह रुपया अदा करेगा। अगर उसमें डिले होगी तो उस पर पचास परसेंट शास्ति या टैक्स लगा देना न्याय-संगत नहीं मालूम पड़ता। इसमें दिया गया है कि कोई बाकीदार पर कर निर्धारण अधिकारी आदेश दे सकता है कि कर के आधे से अधिक धनराशि बाकीदार से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी। यह जबरदस्ती वसूली का एक ढंग है। अगर अफसर नाराज हो जाय तो वह ५० परसेंट शास्ति के रूप में वसूल कर सकता है। यह बहुत बड़ा अधिकार है और इससे वह जुल्म कर सकता है। यह उचित नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था करनी थी तो कंडीशन्स में वह ले डाउन कर देते। वैसा होने से हर व्यक्ति उन के लिए प्रकाशन ले सकता था। लेकिन "कर सकता है" एक डिस्क्रिशनरी चीज है। इस तरह की व्यवस्था इस सदन के कानून में नहीं होनी चाहिये जिससे वसूली करने वाले अधिकारी जुल्म ढा सकें।

जहां तक अपील का संबंध है उसमें ५० परसेंट रुपया हम को जमा करना होगा। यह जो अनडिस्प्यूटेड एमाउन्ट है, वह हम जमा करेंगे। इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो अपील करना चाहेगा वह इन दोनों में जो ज्यादा होगा उसे जमा किये बिना अपील नहीं कर सकता। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि अनडिस्प्यूटेड एमाउन्ट कितना है? यह भी दिक्कत की चीज होगी। इसलिये मैं कहूंगा कि जैसा कि अन्य विधेयकों के अन्दर आपने रखा है क्योंकि यह एक साल के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है इसलिए जो विधेयक एक तलवार की नोक पर पास कराये जा रहे हैं उस तरीके में रद्दोबदल होना चाहिए। तो जहां शास्ति के समय पचास परसेन्ट जमा करने का संबंध है, मैं समझता हूं कि यदि कोई आदमी रीजन सही सही दिखा दे कि समय से अदा नहीं कर सका तो उसके लिए छूट की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े आदमियों के लिए तो कोई चीज नहीं है, लेकिन नीची श्रेणी के लोगों के लिए ज्यादा रकम हो सकती है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि आप को अपने अधिकारियों को अधिक टाइट करने की आवश्यकता है और रिवीजन या अपील का जल्द से जल्द फैसला हो जाय, बल्कि १५ दिन के अन्दर हो जाय तो लोगों को समय से कर अदा करने में सहूलियत होगी। लेकिन अफसरान को प्रोटेक्ट करने के लिए इस विधेयक में ऐसा किया गया है कि रिवीजन और अपील के समय ५० परसेंट जमा करना पड़ता है। रिवीजन के बारे में सरकार ने बतलाया है कि अगर अमाउन्ट ज्यादा वसूल हो गया है किसी से तो वह रिवीजन कराया जायगा। इस विधेयक के अन्दर यह है कि ९० दिन के अन्दर वह उसके लिए दरख्वास्त देकर उसे वापस करा सकता है। अगर सरकार की रकम बाकी है तो ३ साल के अन्दर असेसमेंट करके फिर आप वसूल कर सकेंगे और अगर टैक्स लगाने पर कुछ छूट गया है तो ३ साल के अन्दर सरकार फिर वसूल कर सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति से एक्सेस्ड अमाउन्ट वसूल कर लिया गया उसके लिए ९० दिन की मियाद रखना, यह कहां तक उचित है? यह बात इसमें साफ हो जानी चाहिये कि अगर कोई आदमी से एक्सेस एमाउन्ट लिया गया है तो वह उसे वापस हो या अगले इन्सटालमेंट में वह एमाउन्ट कम कर दिया जाय। यह एक अच्छी व्यवस्था होगी और लोगों के साथ न्याय हो सकेगा।

इसमें आफेन्सेज के बारे में दो तरह की सजायें रखी गयी हैं---कन्विक्शन और फाइन की। अगर कोई आदमी गलत रिटर्न फाइल करता है तो उस को ५०० रुपये तक फाइन किया जा सकेगा। जिनसे साढ़े १२ रुपये आप साल भर में टैक्स के लेंगे उन पर यदि ५०० रुपये का फाइन होगा तो यह न्यायोचित नहीं होगा। अगर जजिया टैक्स की तरह वसूल करना है तब तो बात दूसरी है, नहीं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह कम होना चाहिए। इस विधेयक के अन्दर अधिक से अधिक २५० रुपये तक का अधिकार आपको टैक्स वसूल करने का हो, उसके अन्दर यह जुर्माना अधिक है। किसी भी आदमी के लिये यदि यह कह दिया गया कि उसने गलत रिटर्न दाखिल किये हैं तो आप इतना जुर्माना ले लेंगे। यह कोई न्याय नहीं होगा। कोई भी आदमी इन चीजों से बच नहीं सकेगा।

एक बात और इस विधेयक में ऐसी है जिसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस इस विधेयक में आपने यह व्यवस्था की है कि कोई भी आदेश के खिलाफ कोई भी व्यक्ति सिविल

[श्री कमलासिंह यादव]

कोर्ट में नहीं जा सकेगा। जो भी सरकारी आदेश होगा वही अंतिम होगा। यह उसके साथ न्याय नहीं होगा। सिविल कोर्ट में आखिरकार मुन्सिफ तथा जज आदि ही होते हैं, उनसे सरकार को डरने की क्या बात है? अगर कोई आदमी यह समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तो उसको कोर्ट में जाने का अवसर मिलना चाहिये। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर मिलना चाहिये। श्रीमन्, अंग्रेजी सरकार पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को लड़ाकर ही फायदा उठानी चाहती थी। आप देखें कि न्याय आज कितना मंहगा हो गया। अगर कोई आदमी न्याय के लिए कोर्ट में जाता है तो उससे तो आप को फायदा होगा ही, क्योंकि उस को कोर्टफीस आदि लगानी होगी। उससे सरकार को आय होगी। तो इस तरीके पर यह अधिकार हो कि हम दीवानी अदालत में जांय, या किसी आदेश या अपील के सम्बन्ध में, तो मैं समझता हूं कि ऐसा अंश इस विधेयक के अन्दर है, उसे अवश्य निकाल देना चाहिये। इन शब्दों के साथ अधिक न कह कर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करें। जो बातें मैंने कही हैं अगर उन बातों पर मंत्री जी ख्याल करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक में कुछ हद तक सुधार हो सकेगा। श्रीमन्, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यहां तय नहीं हो सकतीं। अगर इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जायगा तो यह विधेयक बढ़िया रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

*श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल की जो सदन के सामने पेश है, ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने यह स्पीच जो इससे पहिले इस हाउस में दी गई है, गौर से सुनी और मैं तरीफ करना चाहता हूं बोलने वाले सज्जन की कि उन्होंने काफी मेहनत कर के और परिश्रम के साथ, काफी वक्त लगाकर उसका अध्ययन किया। बहरहाल, जो बातें उन्होंने कही हैं और जो आर्गुमेन्ट्स पेश किये, उनमें से एक बात मैं इस सम्बन्ध में जान ही गया कि एक्सेस अमाउन्ट किसी से वसूल कर लिया जाय तो उसकी वापसी में ९० दिन की मियाद रक्खी गई है, उसमें मेरी और उनकी राय एक है। हालांकि मैं दूसरे मामले में उनसे इत्तफाक नहीं करता हूं। मेरा भी विचार है कि ९० दिन की मियाद न लगा कर के कोई भी मियाद रखनी चाहिये। जब समझ में आ जाय कि किसी का पैसा ज्यादा आ गया है तो उसे बगैर किसी मियाद के वापिस होना चाहिये। यह मांग बहुत अच्छी है और मैं समझता हूं जिस वक्त अमेन्डमेन्ट पेश होंगे तो शायद गवर्नमेन्ट की तरफ से इस बात को ठीक समझ कर के कोई ऐसा अमेन्डमेन्ट उपस्थित हो जाय जिससे यह बात हासिल हो सके।

एक बात मैं कह देना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, हमने कई प्लान्स चलाई और जाहिर है कि इनसे समाज के किसी-किसी अंग में ताकत ज्यादा आई है और किसी अंग में ताकत कम आई है। इस बात को देखते में दस बारह साल गुजर गये हैं और हम इसका नतीजा देख चुके हैं। हमारी समझ में आ जाता है कि समाज के कुछ अंग ऐसे हो गये हैं जिनमें ताकत ज्यादा आने की जरूरत थी उनमें कम हो गई है और जिन में कम होने की जरूरत थी उनमें ज्यादा ताकत आ गई है। आज जो हाऊस के सामने बिल लाया गया है वह इसी दृष्टिकोण से लाया गया है। आप कहें कि पहले इस किस्म का कोई बिल नहीं आया। तो उसका कारण यह है कि अब देश ने, गवर्नमेन्ट ने, देख लिया कि किस-किस अंग की समाज में ताकत बढ़ गई है जो कर दे सकते हैं और किन पर कर लगा कर समाजवाद के उसूल को अमल में लाया जा सकता है क्योंकि आखिर में हम समाज के प्रत्येक अंग की आमदनी ऐसी करनी है जिनमें कोई ज्यादा फर्क न हो सके। तो इस नुक्तेनिगाह से यह बिल सदन में लाया गया और मैं इस बिल को तहेदिल से सपोर्ट करता हूं और मैं समझता हूं कि इसका जो सिद्धान्त गवर्नमेंट ने अपनाया है वह सही है। अभी यह कहा गया कि आमदनी के ऊपर जो रेट है यानी ४ हजार से ५ हजार, ५ हजार से ६ हजार आदि, के बीच जिस दर से टैक्स की रकम बढ़ती चली गई है वह सही नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि समाजवादी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बढ़ोत्तरी करते हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सिद्धान्त इस बिल में अपनाया गया है वह सही है। अगर हम इसके विपरीत कुछ करते है तब तो वह गलत हो सकता है लेकिन जो सिद्धान्त इस बिल में अपनाया गया है वह मेरे खयाल से सही है।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से प्रजातंत्रवाद इस देश में आर्य, हम लोगों ने काफी तेजी के साथ प्रजातंत्र का समन्वय किया है और उस पर चलने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक अपने इस सूबे का ताल्लुक है, हमने इस स्टेट में प्रजातंत्र-वाद क गुण को नहीं अपनाया है या कम अपनाया है और स्टेट्स के मुकाबले, और वह यह कि जो डेमोक्रेटिक करेज या हौसला होता है उसको हमने अपने यहां प्रश्रय नहीं दिया। जब-जब इस तरह क फाइनेंशियल बिल यहां आये, तब-तब कोशिश की गयी कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ायें, लेकिन हमने देखा कि हमारी पार्टी की तरफ से भी जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट को चलाने की जिम्मेदारी है, और विरोधी दलों की तरफ से भी यह कोशिश की गयी कि यह कर न लगे तो अच्छा है या कम लगे तो अच्छा है और अगर बिलकुल न लगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यह कभी नहीं कोशिश की गयी कि हम अपने तमाम रिसोर्सेज को एकट्ठा करके अपने सूबे के, समाज क स्टेट्स को इतना बढ़ा दें कि जो दूसरे स्टेट्स है उनके मुकाबले हमारी माली हालत कमोबेश बराबर हो जाय। इसी का नतीजा है कि आज हमारा स्टेट दूसरे स्टेटों के मुकाबले में प्लानिंग या डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ा हुआ है। आज तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हम अपने ऊपर सख्ती करके भी इस प्रदेश के रिसोर्सेज को बढ़ायें और डेवलपमेंट के काम में इतने पैसे अपने सूबे में लगावें कि हम जल्दी ही दूसरे सूबों के बराबर आ जायं। लेकिन आज डेमोक्रेटिक करेज के अभाव की वजह से ही हमारी यह हालत है कि हम दूसरे सूबों से प्लानिंग के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमको चाहिए कि चाहे हमें कुछ परेशानी भी उठानी पड़े, चाहे जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े उस की कोई परवाह न करके अपने यहां के रिसोर्सेज को बढ़ावें और हम अपनी स्टेट को दूसरे स्टेटों के मुकबले में लावें।

अधिष्ठाता महोदय, हालांकि इस मर्तबा वक्त बड़ा नाजुक है कई बातों को देखते हुए, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन नाजुक हालतों को सामने रखते हुए भी यह सोचकर यह विधेयक लायी कि इससे निश्चय ही आगे फायदा होने वाला है। एक बात मैं आपको बतला दूं कि थोड़ी सी लोगों की भावना को उभाड़ने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी उभार आ जाय तो विकास कार्य के लिये हमें औरों से भी इमदाद मिलेगी और इमदाद के सब पैसे को इकट्ठा कर हम आगे बढ़ सकें तो मुझे यकीन है कि वह समय दूर नहीं है जब हम बहुत जल्दी ही दूसरे प्लानिंग और डेवलपमेंट में सूबों के मुकाबले में आ जायेंगे।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मुझे इस गवर्नमेंट से एक शिकायत जरूर है कि इसमें जो आमदनी के ऊपर टैक्स की दर रखी गयी है वह आधी रखी गयी है जिसको मेरे खयाल से दुगुनी होनी चाहिये। यह क्या बात हुई कि आपने टैक्स लगाया भी और पूंछा जाय कि उससे कितना वसूल हुआ तो आप कहें कि ७० लाख या एक करोड़ रुपया वसूल हुआ ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अधिक के लिए कांस्टीट्यूशन परमिट नहीं करता है।

श्री खूबसिंह—

मेरे खयाल से जो टैक्स की दर रखी गयी है वह दुगुनी कर देनी चाहिये। और मेरा ख्याल है सरकार कोई संशोधन लाकर इसको कर सकती है। इस बात की जरूरत नहीं है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या वहां ले जाकर इसमें तरमीम की जाय। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वह मकसद तो किसी अमेंडमेंट के जरिये भी हासिल हो सकता है। सरकार ऐसा करे तो ज्यादा अच्छा है। वक्त-वक्त की बात होती है। इस वक्त ऊपर उठने का मौका है। एक वक्त था जब हम नीचे गिरते चले गए। हमें उस वक्त उसका हश्र मालूम नहीं

[श्री खूबसिंह]

था, लेकिन अब तो मालूम हो गया कि आज हमारे सामने न सिर्फ अपने को बनाने का सवाल पेश है बल्कि बने बनाये की रक्षा कैसे करें यह सवाल पेश है। तो ऐसी हालत में इस बिल की तो नस-नस को मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन न सिर्फ यही बिल बल्कि और भी दो एक बिल आ रहे हैं उनमें भी इस हाउस को हौसला दिखलाने की जरूरत है और डेमोक्रेटिक हौसला जो मैंने आप स अर्ज किया जब तक वह हममें नहीं होगा तब तक हम कोई भी काम नहीं कर पायग। मुझे उम्मीद है कि यह हाउस इस बिल को बड़ी खुशी से पास करेगा और जो एक डेमोक्रेटिक हौसला है उसको दिखलाने की कोशिश करेगा।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)---

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल की इम्पार्टेन्स केवल इस बात से जाहिर है कि सरकार की ओर से २७७ सदस्यों में से केवल ११ हाजिर हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल बिलकुल मीनिंगलेस है, अनियमित है और इसको पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बिल से जो आमदनी माननीय मंत्री महोदय ने बतलायी है वह केवल ४० लाख है और इसका उद्देश्य इसे ले आने का पंचवर्षीय योजना और मौजूदा लड़ाई है। ४० लाख रुपया हमारे उत्तर प्रदेश का एक नागरिक दे सकता था।

अब मैं इसके इम्पार्टेंस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के लिए यह रुपया इकट्ठा किया जायगा और ४० लाख रुपये से इनकी योजना सफल हो जायगी। जब तक योजनाओं को देखकर हम किसी माने में नहीं कह सकते कि देश ने तरक्की की है अगर अच्छे कपड़े पहनना ही देश की तरक्की है तो वह दूसरी चीज है, लेकिन देश के अन्दर आज नोटों का प्रसार और दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी तथा रुपये का शून्य हो गया है। जिन त्योहारों पर हमको पैसे की जरूरत पड़ती है वह हम देखते हैं कि चांदी का एक रुपया हमको मयस्सर नहीं है। सुरक्षा के सम्बन्ध में हालत यह है कि रात को रेल में चलने पर चटखनी लगानी पड़ती है। पहले लोग हजारों रुपये लेकर रात को सोते चले जाते थे। चार बजे के बाद सड़कें बन्द हो जाती हैं। यह हमने तरक्की की है। शिक्षा में जहां हमने हिन्दी का प्रसार करने की बड़ी-बड़ी डींगें मारी थीं वहां आज पन्द्रह वर्षों के अन्दर हमारे यहां देहातों के स्कूलों में अंग्रेजी का प्रसार हुआ है। यह हमने तरक्की की है। मुल्क की आजादी के बाद देश में गल्ले का बड़ा भारी बोलबाला हमने खड़ा कर दिया है, ईश्वर ही रक्षा कर रहा है हमारी। जिले में गल्ला पैदा होता है, वहां से बम्बई और मद्रास को भेजा जाता है और अमेरिका का गेहूं हम लोगों को गांवों में भेजा जाता है। यह इन्तजाम है। खैर, इसके सम्बन्ध में ज्यादा नहीं जाना चाहता।

इस ऐक्ट को देखें। १२ रुपये का टैक्स अदा करें और ५०० रु० जुर्माना उस पर दें, कितना मजाक इसके अन्दर है? अगर इस विधेयक को चैलेंज किया जाय तो इसके ऊपर सिवा हंसी के और क्या हो सकता है? पिछले १५ वर्षों में इतने ऐक्ट बने हैं कि उनको न अदालतें समझती हैं और न वकील समझते हैं और सबके सब किसी वकील के पास होंगे भी नहीं। भले ही असेम्बली के सदस्यों के पास हों। देश की सारी आय सरकारी कर्मचारियों में और बड़े-बड़े लोगों में कर्जे के रूप में बांट दी जाती हैं। अगर कोई मजदूर २, ४ रुपये पैदा करता है तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, ४० लाख रुपये के उपार्जन के लिये, जबकि देश स्वेच्छा से चन्दा देने के लिये और कुर्बानी के लिये तैयार है। जिनकी ऊंची तनख्वाह हैं, जिनके पास मोटर और बसों के परमिट हैं और सैकड़ों रुपये रोजाना कमाते हैं, उनसे सरकार कुछ नहीं मांगती है। गल्ले के संबंध में यह बात है कि कासगंज से खरीदकर न मालूम कहां ले गये, और वहां भुखमरी हो रही है जबकि वह सरप्लस जिला है। जितना सरप्लस था उसी को ले जाते। ५००० मन रोज की आमदनी का कस्बा आज अन्न के लिये मोहताज है। इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना ही मुनासिब है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे सुधार और आमदनी दोनों हो सकते हैं। जैसे शराब है, इस पर आप टैक्स बढ़ाइये और आपको यह भी मालूम रहेगा लिस्ट से कि कौन-कौन शराब अधिक पीते हैं और अपने शरीर को बरबाद करते हैं।

सरकार को टैक्स लगाने की आवश्यकता क्यों हुई? हमने देखा है कि कचहरियों में अब जुर्माने नहीं होते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब ने वकील की होशियारी से मुकदमें को छोड़ दिया और २०० रुपये ले लिये। इस तरह से सरकार की आमदनी कम होती चली गई। रेलवे में टिकट कलेक्टर या गार्ड एक सवारी आगरे से कानपुर या लखनऊ तक ले आया और ६ रुपये की आमदनी हो गई। इसे सरकार पकड़ नहीं पाती है। सरकार हमारी रक्षक नहीं है, वह हमको खाना चाहती है। अंग्रेज के जमाने में हम लोग बिलकुल नहीं डरते थे और आज हमको यही डर लगा रहता है कि कहीं झूठी रिपोर्ट न कर दी जाय। अंग्रेज के समय में कचहरी का आदमी हमसे डरता था, लेकिन आज मिनिस्टर का हमारे साथ ऐसा बर्ताव है कि वह नहीं डरता है। आज सरकारी अधिकारी अंग्रेज के जमाने से हमारे ऊपर ज्यादा अत्याचार कर सकते हैं। जहां तक लड़ाई के चन्दे का सवाल है, किसी एक आदमी से ४० लाख रुपया मिल सकता था। जहां तक योजना की बात है, जब उनसे देश को कोई फायदा ही नहीं है तो उन्हें बन्द कर देना चाहिये। जब आप देखें कि समय अच्छा आया है, तभी योजनायें चलाई जावें तो अच्छा है। सैक्शनवाइज पढ़ने से तो यह विधेयक ऐसा लगता है कि किसी वकील के जरिये से बनवाया गया है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरी समझ से प्रस्तुत विधेयक प्रगतिशील कर-नीति का सर्वोत्तम नमूना है। बार-बार उधर बैठने वालों की ओर से, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, आग्रह होता रहा है कि जब जनता पर कोई कर लगाया जाय तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि कम आमदनी वालों पर कम टैक्स पड़े और अधिक आय वालों से अधिक टैक्स लिया जाय। इस विधेयक के अन्त में एक सूची दी गई है, जिसे देखने से पता चलता हैं कि ३५०० से ४००० रुपये तक के लिये १२ रुपये लिये जावेंगे, ४००० से ५००० रुपये वार्षिक आय वाले से ३६ रुपये लिये जावेंगे। इसी प्रकार यह बढ़ता जाता है और २५० रुपये तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि यह कानून अंधे की लाठी हो। आदमनी में अन्तर देखते हुए कर-भार भी क्रमागत बढ़ता जाता है। यही इस विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता है।

इसके साथ और भी विशेषतायें हैं। जिन लोगों ने इस विधेयक को बनाया उनके सामने आज राष्ट्र का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह भी था। आप देखेंगे कि सेना में काम करनेवालों को इस कर से मुक्त रखा गया है। यह विधेयक ऐसे लोगों के लिये लाया गया है जिनकी आमदनी ३,५०० रुपये सालाना से ज्यादा है। पेशा-कर के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। एक सज्जन कह रहे थे—मैं समझता हूं कि शायद वह कमलापतिसिंह जी थे—'वह कह रहे थे कि ४००० रुपये तक की आमदनी वालों से १२ रुपये ही लिया और जैसे ही यह रकम ५००० पर पहुंचती है तो यह ३६ रुपये क्यों कर दिया। वह चाहते थे कि प्रत्येक हजार पर कोई धनराशि बांध दी जाय और वैसे ही वह बढ़ती जाय। वह शायद भूल जाते हैं कि कर निर्धारित करते समय इन सब बातों की ओर सरकार की दृष्टि होती है। प्रत्येक आदमी की आवश्यकतायें होती हैं। उनका वर्गीकरण होता है। सभी को मालूम है कि जहां तक आवश्यक आवश्यकताओं का संबंध है, चाहे वह ऊंची आमदनी वाला हो या नीची आमदनी वाला हो, सबकी समान आवश्यकतायें होती हैं। लेकिन आमदनी बढ़ती जाती है और उसी गुणात्मक रूप से कर वृद्धि का संशोधन इस विधेयक में प्रस्तुत किया गया है।

एक सदस्य ऐसा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

इस संशोधन के आधार पर मैं जो समझ पाया हूं वहीं बता रहा हूं। तीन हजार आमदनी वाले हों, चार हजार वाले हों अथवा १२ हजार वाले हों, उनके जीवन की जो आवश्यक आवश्यकतायें हैं वे तो समान बनी ही रहेंगी और क्रमशः आराम की वस्तुयें, उनकी कुशलता बढ़ाने वाली व्यक्तियों वस्तुएं हैं, उन पर जो व्यय होता है, उसमें वृद्धि होती जाती है। इसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को इन्कम टैक्स भी देना होता है। वह भी हमारी दृष्टि में रहा है। मैं केवल इसके द्वारा यह संकेत कर रहा था कि प्रस्तुत विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसकी उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की ओर से मांग थी।

एक साहब ने कहा कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया", यानी इससे केवल ४० लाख रुपया ही तो मिलने वाला है, क्यों नहीं उसको शराब वालों से वसूल कर लिया जाता और यह भी कहा कि ४० लाख रुपया तो एक ही आदमी से लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि एक आदमी से कैसे लिया जाय। इस तरह का एक विधेयक इस सदन में और पेश किया गया था उस दिन मैंने कहा था कि हमारी सरकार के सामने अपने चालू खर्चे को चलाने के लिये अगले पांच सालों में ५०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अगर हमें अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाना है, अगर हम चाहते हैं कि और प्रदेशों के मुकाबले में हम पिछड़े हुए न रहें, शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन की सब सुविधायें हमें प्राप्त हों, तो फिर हमें क्या करना होगा? योजनाओं का प्रयोग केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, रूस जसे मुल्कों में इतने वर्षों के नियोजन करने के बाद भी इस की प्रयोग किया जा रहा है। योजना के प्रारंभिक काल म उन्होंने मक्खन खाना छोड़ दिया था। आज मैं समझता हूं कि एक सत्य इस लड़ाई ने हमारे देश के विचारकों के सामने स्पष्ट रूप से लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके ऊपर नियोजन के लिये विरोधी भी पर्दा नहीं डाल सकते हैं। यह नियोजन ही था कि जिसके चलते हम अपनी सेनाओं को ८० प्रतिशत युद्ध का मेटीरियल सप्लाई कर पाये। आप को स्मरण होगा कि जब इंगलैन्ड की तरफ से यह कहा गया कि हम हवाई जहाजों के पुर्जे नहीं देंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने यह ऐलान किया कि हम उन पुर्जे के नमूने तैयार करने को प्रस्तुत हैं, कानपुर के यंत्र विशारदों ने भी इस कठिनाई को दूर करने का आश्वासन सरकार को दिया। नियोजन अर्थव्यवस्था के द्वारा किसी देश के आगे ले जाने के प्रश्न पर संसद ने गंभीरता पूवक प्रकाश डाला है। नियोजन अर्थव्यवस्था पर ही हमारा राष्ट्रीय आर्थिक जीवन निर्भर करता है, इस पर किसी शब्द जाल के द्वारा पर्दा नहीं डाला जा सकता। अब उस नियोजन के लिये ही हमारे राज्य की ओर से धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। एक बिल आया जिससे ६० लाख, एक ऐसा आया जिससे ८० लाख रुपया और आज का जो यह बिल आया है इससे भी ८० लाख के करीब सालाना आये होगी। जो लोग आज निर्माण के काम में लगे हुये हैं वे मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वह ऐसे श्रोत निकालकर ढूंढ़ रहे हैं जिन के संबंध में किसी भी प्रगतिशील कहलाने वाले व्यक्ति को कोई आलोचना नहीं करना चाहिये।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

एक सज्जन ने कहा कि यह कर लगाने का अधिकार तो केवल नगरपालिकाओं को है। मैं समझता हूं कि उन्होंने संविधान की धारा २७६ को नहीं देखा है उसमें यह है कि "टैक्सेज आन प्रोफेशन्स, ट्रेडस, कालिंग्ज, ऐंड इम्पलायमेंन्ट का मतलब यह है कि स्थानीय निकायों की इकाइयों के अतिरिक्त राज्य सरकार भी उन को लगा सकती है उन लोगों पर जो अधिक आय वाले हैं और संविधान की धारा २७६ के तहत में ही यह बिल लाया गया है।

एक दूसरा तर्क यह दिया गया कि अगर यह कर लगा भी दिया जाय तो यह धनराशि जो इस से जमा की जाय उसके बारे में घोषणा कर दो कि हम उसे नगरपालिकाओं को बांट देंगे। इस में किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है, यह नियोजन केवल लखनऊ शहर के लिये नहीं हो रहा है, वह सारे स के लिये होगा जिसमें जिला परिषदें, गांव सभायें क्षेत्र समितियां या नगरपालिकायें सभी आयेंगी और इन पर खर्च होने वाली धनराशि गांव से लेकर राजधानी तक, प्रदेश

का हर भाग लाभान्वित उससे होगा। प्र`श के एक-एक आदमी के लाभ पर और उनके कल्याण के लियें यह व्यय होगा। तो फिर यह घोषणा करने की बात कहां तक उचित होगी कि इसको नगरपालिकाओं में बांट दिया जाय ? इसके लिये मैं समझता हूं कोई तर्क नहीं है।

श्री प्रेमसिंह---

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामायणराय---

मान्यवर, यह भी कहा गया कि जब जनता चन्दा देने को तैयार है तो कर क्यों लगाया जा रहा है, हमारे सौभाग्य से हमारे जनपद के हमारे नेता भी आज पधारे हैं। जब पिछला संकट आया और चीनी आक्रमण हुआ तो आप को याद होगा कि मैं जिस जिले से आता वहां से सबसे अधिक सोना उस वक्त इकट्ठा हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजन के बराबर गरीब देवरिया के जिले ने सोना दिया था। चन्दा दिया लोगों ने, लेकिन उस चन्दे की वसूली के सिलसिले में कुछ मेरे तजुर्बे हैं और उनके ही आधार पर मैं माननीय सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चन्दे के भरोसे कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। मान्यवर, लगातार कई महीनों तक सारे अधिकारी और सारे कार्यकर्ता, जो विभिन्न दलों के लोग थे, इस कार्य में लगे रहे, लेकिन परिणाम क्या निकला ? केवल १ लाख रुपये का सोना इकट्ठा हुआ। आज उस युद्ध का खर्चा, जिसकी विजय की प्रत्येक भारतीय कामना करता है, इससे नहीं चलने वाला है। श्रीमन्, एक वायुयान के निर्माण का, जो कि हमारा छोटा जहाज है, उसकी कीमत २ करोड़ रुपये आती है। ३ या ४ महीने तक सारे सार्वजनिक कार्यकर्ता और हमारे अधिकारी लोग लगे रहे, लेकिन केवल १ लाख रुपये ही इकठ्ठा हो पाये। हमसे यह उम्मीद की जाती है कि आज हम अधिक सतर्कता के साथ पंचमांगियों पर नजर रखे। आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी इस देश में बसते हैं जो दुश्मन को सम्भवतः मदद करने में लगे हुए हैं तो राज्य कर्मचारी पंचमांगियों की खोज में रहते हैं और उनका पता लगायें अगर वे लोग डौडी पीट कर चन्दे को इकट्ठा करने में लगे रहे तो यह प्रश्न ऐसा है कि अगर इस पर आप विचार करगे तो आप भी मेरी राय पर पहुंचेगें।

और बहुत सारी बातें हुयीं। कहीं-कहीं कुछ लोगों ने उस अवसर का फायदा भी उठा लिया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो भाई भी इस भ्रम में हैं कि चन्दे से लड़ाई का काम चल जायगा, तो उन्हें अपने भ्रम का निवारण कर लेना चाहिये। एक मांग आपकी न्यायोचित है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। वह यह है कि लड़ाई के पहले जो योजनाओं की प्रायोरिटी थी उन प्रायोरिटीज में अन्तर होना चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने इस आपदा को देखकर इसको स्वीकार कर लिया है कि प्रायोरीटीज में अन्तर होना चाहिये, लेकिन उसमें आपका सहयोग होना चाहिये कि कौन कौन सी सड़कें और पुल हैं जो कि सेना के काम में आने वाले हैं और किस प्रकार हम खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं। उनके लिये आपके रचनात्मक सुझाव होने चाहिये थे। कोई भी टैक्स हो, चाहे आज जैसा प्रगतिशील टैक्स ही क्यों न हो, जो कि ३५०० रु० की आमदनी से ऊपर वाले के जीवन से संबंधित है, उनका विरोध किया जाना, मैं समझता हूं अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाना है। इसलिये मैं आग्रह करता हूं, उन व्यक्तियों से, जो कि समाजवाद के सिद्धान्तों में आस्था रखते हैं कि वे कृपा करके इस प्रगतिशील बिल का हृदय से स्वागत करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिय म खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस प्रस्ताव को यदि आप देखें तो आप देखेंगे कि इस

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

प्रस्ताव में सिर्फ १५ दिन की अवधि मांगी गयी है कि १५ दिन में संयुक्त प्रवर समिति विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करदे और उसे बिल के रूप में सदन स्वीकार कर ले। जब इस बिल के उद्देश्य और कारण को देखेंगे तो उद्देश्य और कारण में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कमियों की पूर्ति और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिये धन विधेयक है। साथ ही जो देश के ऊपर पाकिस्तान का हमला है उसके संबंध में भी धन की जरूरत है। इन दोनों बातों की पूर्ति के लिये धन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है: श्रीमन्, यों तो यह धन विधेयक माननीय रामायण राय जी की नजरों में ज्यादा नहीं है। यह बात सही है, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि यह धन विधेयक ने फिर वही रास्ता अख्तियार करने को एक मार्ग अपनाया है जिससे इस प्रदेश में जो कि छोटी छोटी आमदनी वालों के ऊपर कर भार पड़े और बड़ी-बड़ी आमदनी वालों पर न पड़े। मेरा खयाल यह है कि रामायण राय जो इस विधेयक को अन्तिम जो अनुसूची है उसको उन्होंने देखने का कष्ट नहीं किया। जिसमें २५० रु० से अधिक कर लगाने का अधिकार इस विधेयक के जरिये नहीं आपने लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि साढ़े १२ हजार रु० माहवार तक आमदनी वालों पर आप २५० रु० कर लगा सकते हो लेकिन क्या आपके प्रदेश में १२ हजार रुपये ही तक माहवार आमदनी करने वाले लोग हैं। आपके प्रदेश में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आमदनी ५० सौ हजार रु० रोजाना की है और उनके ऊपर सरकार की नजर नहीं है जो आपको इस पंचवर्षीय योजना से विशेष लाभ उठाते हैं और छोटे लोग जो २००, ३०० रु० पाने वाले लोग हैं उनके ऊपर कर लगाने जा रहे हैं।

श्री रामायणराय---

अगर आपकी आज्ञा हो तो एक लाइन संविधान की मैं पढ़ दूं। केवल २५० रु० तक अनुच्छेद २७६ में हम लगा सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

यह मैं जानता हूं। यह तो आपकी लापरवाही और उपेक्षा और क्या उपाधि दूं, का द्योतक है कि किसान छोटे आमदमी पर कर भार बढ़ा देने की आप में ताकत है और दिल्ली की सरकार जो संविधान बनाने के बाद से १८ बार संशोधन कर सकती है, तो क्यों नहीं आप उस सरकार को मजबूर करते हैं कि इस प्रदेश में करोड़ों की आमदनी करने वालों से पैसा लें जो लोग मुट्ठी भर हैं? देश में जो दूसरों की कमाई पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐशो आराम की जिन्दगी व्यतीत करते हैं ऐसे लोगों पर आपकी सरकार की दृष्टि नहीं है और ऐसे लोग जो छोटी आमदनी वाले हैं उन पर आपकी दृष्टि है। संविधान की दुहाई देने वालों से मैं निवेदन करता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार को मजबूर करें कि ऐसे लोगों पर कर लगाने का अधिकार प्रादेशिक सरकारों को भी मिलना चाहिये। अगर पंचवर्षीय योजना के संबंध में विचार विनियम हो हमने तो चाहा था कि उसके संबंधमें इस सदन में विचार विनिमय हो और उसके बाद अगर सरकार समझती है कि पंचवर्षीय योजनायें जो इस वक्त है वह ठीक हैं उनका खर्चा, लेखा जोखा ठीक चला रहा है। तब तो मैं समझता हूं कि उनकी नजरों में कर भार बढ़ना चाहिये। लेकिन हमारा निवेदन यह है कि योजनाओं में प्रदेश में जो खर्चा है वह इतना अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है, इतनी फिजूलखर्ची जोरों से हो रही है कि करोड़ों रुपये अगर रामायण राय जी देखें तो बच सकते हैं और इस विधेयक के लाने की आवश्यकता ही न रह। आप देखेंगे माननीय काशीनाथ मिश्र ने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि जो ऐकाउन्टेन्ट जनरल की रिपोर्ट है उसमें दिखाया गया है कि कितने रुपये का गबन है, कितनी अनियमिततायें हैं और तब भी सरकार जरा सा भी संकोच न करें गरीब के ऊपर कर भार बढ़ाने में। मैं याद दिलाऊं माननीय रामायण राय जी को जब माननीय कमलापति त्रिपाठी जो वित्तमंत्री थे उन्होंने १९६२ में जब मालगुजारी बढ़ाने का प्रस्ताव आया था तब कहा था कि प्रदेश में किसानों की पीठ और पेट एक है। इस दशा में इस प्रदेश के किसानों पर कर भार नहीं बढ़ना चाहिये। जो लोग सही मानी में घड़ियाल के आंसू बहाते हैं और किसानों से कहते हैं कि तुम्हारी हालत दयनीय है वही लोग जब उनके भाग्य

का फैसला यहां पर उनके हाथ में होता है तो उसी मशीनरी का समर्थन करते हैं जो उनका शोषण करने में लगी हुई है।

जहां तक सिंचाई का संबंध है, माननीय रामायण राय जी जरा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे और देखन को कृपा करेंगे। अंग्रेजों ने सिंचाई के कितने साधन दिये थे, कितने सरकारी व्यय पर सिंचाई उपलब्ध करते थे ; तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है, लेकिन आप देखें कि कितने सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध किये गये हैं ? सारे प्रदेश में ४,११,२१ २०२ एकड़ जमीन एसी है जो खेती करने लायक है और उसमें से १,२९,७७,९०३ एकड़ जमीन पर सिंचाई होती है। इस कच्छप गति से कितने सालों में उत्तर प्रदेश के सारे किसानों को यह सरकार सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकेगी ? रिपोर्ट कहती है कि करीब-करीब उत्तर प्रदेश की २ करोड़ एकड़ जमीन पर सिंचाई के साधन सरकार १९७५-७६ तक मुहइया कर देगी। इस हिसाब से २० साल के ऊपर लगेंगे और ५, ६ पंचवर्षीय योजनायें खत्म हो जायेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत सिंचित नहीं हो सकेंगे। फिर सरकार इतना रुपया क्यों मांगती है ? मैं समझता हूं कि इस स्थिति को देखते हुए सरकार के लिये लड़ाई के नाम पर, योजनाओं के नाम पर गरीबों के ऊपर टैक्स लगाना शोभा नहीं देता है। लड़ाई के जमाने में जनता चाहती है सरकार से समाज के सभी वर्गों के द्वारा सादगी का सिद्धान्त अपनाया जाय। यह नहीं होना चाहिये कि छोटे आदमी का लड़का फौज में भरती हो, खेतों पर काम करे, कारखाने का समान तैयार करे, मालगुजारी तथा टैक्स भी सरकार को दे और धनी मानी लोग तथा उनके लड़के मोर्चे पर नहीं जा सकते, ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते, त्याग नहीं कर सकते। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि सारे अरमान खत्म हो जाते हैं जब सरकार पक्षपात पूर्ण व्यवहार करती है।

जितने टैक्सेज लगाये जाते हैं लड़ाई के नाम पर उस संबंध में मैं रामायणराय जी से पूछना चाहता हूं कि वर्त्तमान बजट को जरा देखें। राज्यपाल के राजभवन के लिये जो लखनऊ में स्थित है २ लाख २५ हजार रुपये शीततापनियंत्रित भवन बनाने के लिये रखे गये हैं। एक तरफ छोटे आदमी को पेट काट कर, छोटे कर्मचारियों से लड़ाई के नाम पर, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर टैक्स आप लगाना चाहते हैं दूसरी तरफ राज्यपाल भवन में शीत यंत्र लगाने जा रहे हैं। यह क्यों रखा है ? क्या इसी से लड़ाई जीतेंगे ? ऐसे ही कामों से चीन और पाकिस्तान को हटाओगे जबकि आज आप इस प्रदेश के करोड़ों आदमियों से युद्ध में सहायता ले रहे हैं ? मैं कहना चाहता हूं आप लड़ाई के नाम पर या योजना के नाम पर अगर दो पैसे जनता से लेते हैं तो दो पैसे को उचित ढंग से खर्च करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता आपकी ओर आकर्षित होगी और आपको पैसा देगी। लेकिन अगर आप एक पैसा लेकर चार पैसे के गुलछर्रे उड़ाएंगे तो जनता आपके कामों पर विश्वास नहीं करेंगी और उसकी आपके विपरीत इच्छा होगी।

इसी प्रकार से आप देखें कि विधान भवन की सजावट के लिये १ लाख २५ हजार रुपया रखा गया है। क्या हो रहा है ? क्यों इतने रुपये खर्च कर रहे हैं ? जहां आप जानते हैं कि लड़ाई आ रही है और १००, १०० पौंड के हवाई बम गिर रहे हैं जैसा कि पंजाब में हो रहा है। तो इतना खर्च करने के बाद आपको मरम्मत करानी पड़ेगी। इसलिए सारे प्रदेश में अगर आप जनता को गुमराह नहीं करना चाहते हैं तो सारे निर्माण के काम बंद करने पड़ेंगे। मैंने हिसाब लगाया है उसको सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। लखनऊ विधान भवन पर ११ लाख ५० हजार रुपया, लखनऊ कचहरी की इमारत के भवन पर ४ लाख ३९ हजार रुपया खर्च किया जायगा। कचेहरी के भवन के लिये इस समय क्या आवश्यकता थी। वह किराये की इमारत में है और रह सकता था। राजस्व विभाग के विद्युतीकरण के लिये २० लाख ३९ हजार रुपया रखा जा रहा है। दिल्ली में जो हमारा आवास है उस पर ८० हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं, सामान्य प्रशासन पर ३५ लाख रुपया, जेल विभाग पर ४ लाख १४ हजार रुपया और पुलिस विभाग पर ८६ हजार ९०० रुपया

[श्री रामसुन्दर पान्डेय]

खर्च करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें देखने की हैं। एक तरफ तो आप ५० लाख रुपये के लिये उन लोगों के दरवाजे पर जाना चाहते हैं जिनको आपने पंच वर्षीय योजना में कुछ नहीं दिया। सरकार को कोई हक नहीं है कि टैक्स के नाम पर जनता से पैसा ले। यदि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा खत्ता खोदेंगे जिसमें यह सरकार समा जायगी, मिट जायगी।

इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सदन की एक प्राक्कलन समिति है। यह समिति सरकारी खर्च को देखने के लिये है कि सरकारी अधिकारी किस तरह से खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त लोक लेखा समिति है। लेकिन ५६-५८ में जो प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी उसके एक अंश का भी सरकार ने पालन नहीं किया। १९५७-५८ में समिति ने रिपोर्ट दी कि सूचना निदेशालय को अलग कर दिया जाय और इसमें २ लाख रुपये की बचत दिखाई थी। और सूचना निदेशालय का स्टाफ कम कर दिया जाये। इस पर ५ लाख २२ हजार ८ सौ रुपये की बचत थी। इस प्रकार की संस्तुति प्राक्कलन समिति ने की थी कि यह कार्य करक इतने रुपये का सरकारी खर्च कम किया जा सकता है। मैं रामायणराय जी से पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर इतनी बड़ी धनराशि को बचाने के लिये सरकार ने क्या किया। एक पैसा भी आपको सरकार ने किया हो तो वह बतायें। संस्तुति पर आपने अमल क्यों नहीं किया ? कारण श्रीमन्, इसका एक है कि यह सरकार पुराने अधिकारी, आई०सी०एस० अधिकारियों के चंगुल में फंसी हुई है और उनके इशारे से नाचती है, इस सरकार का सारा काम उन्हीं के इशारों पर होता है। जनतंत्र की यह जो दुहाई देते हैं और समाजवाद का नाम लेते हैं यह तो केवल दिखावा और मखौल मात्र है, वह कोरी कल्पना है।

इसी प्रकार आप देखेंगे राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला में २५ हजार की, सिंचाई प्रसार सेवा की स्थापना से संबंधित खर्च में ६०-६१ के प्रतिवेदन के अनुसार ५६,५०० की और इंडियन बाबिन कम्पनी से १८ लाख ७३ हजार की बचत की जा सकती थी। इन मदों से बचत को संस्तुति समिति द्वारा की गयी थी, इस पर इतना इतना खर्च कम कर दिया जाये और इस प्रकार बचत बताई गयी। और कुछ करीब ११ करोड़ ३९ लाख ४७८ रुपये की आज तक १९६२-६४ तक का प्राक्कलन समिति ने निवेदन किया था कि यह खर्च कम किया जा सकता है। १९६२-६४ में बिक्री करों के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया था उसमें कहा गया था कि बिक्रीकर का १०,४७,६०,९२८ रु० बकाया है, जो कि सख्ती से वसूल किया जाना चाहिये था, किन्तु वसूल होना तो दूर रहा वह इस समय बढ़कर १३ करोड़ हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आपकी बनाई हुई लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति आपसे निवेदन करती है और करोड़ों रुपयों की बचत आपको दिखलाती है और आप उसे नहीं अमल में लाते हैं, तो आप किस मुंह से कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है पंचवर्षीय योजना को चलाने और पूरा करने के लिए, और लड़ाई का खर्च जुटाने के लिये। जहां पर करोड़ों रुपये की आपको बचत यानी उपलब्धि बताई जाती है वहां पर आप ५० लाख के लिए गरीब जनता पर टैक्सों का भार डालना चाहते हैं। इससे मालूम होता है कि सरकार की भावना नहीं है, कि जो प्रदेश का रुपया चोरी हो रहा है, गबन हो रहा है, फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोका जाये। यह इच्छा उसकी नहीं है, यदि इच्छा होती तो अनियमित कार्यों, बेकार कार्यों को रोक देना एक दिन का उसका काम था, लेकिन वह कर सकने में असमर्थ रही। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ाई के नाम पर, पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर, छोटे लोगों, कम आमदनी वालों पर टैक्स लगाने की आप कृपा न करें। ऐसे आदमी जो ४-५ हजार रुपये रोज कमाने वाले हैं, उन पर आप टैक्स लगावें।

संविधान का हवाला दिया रामायणराय जी ने, किन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार की तकरीरों का उनको खयाल होगा, मैंने सुझाव दिया था कि सरकार माल परिवहन का क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण कर लेती है। इस व्यवसाय में कई कई हजार रुपया माहवार लोग

कमा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बस सर्विस का राष्ट्रीयकरण किया उसी प्रकार से माल ढोने वाली सर्विसेज का भी राष्ट्रीयकरण करने में आपको क्या रुकावट है? इस कार्य को करने से आपका संविधान आपको कहां रोकता है? हरदोई से बाराबंकी और बनारस से जबलपुर आदि मार्गों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेकर करोड़ों रुपये की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बचाई जा सकती है, लेकिन सरकार तो गलतफहमी में पड़ी हुई है। श्रीमन्, सरकार को उन लोगों से रिश्ता है और उनसे सरकार लेना नहीं चाहती है। जहां बस सर्विस को लेने का सरकार को अधिकार मिला हुआ है, वहां पर आप नहीं करते हैं, वहां पर आप पीछे हट जाते हैं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

लेकिन हाई कोर्ट रोक देता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आप माल परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कौन से बिल लाये? पिछले बजट भाषण क मौके पर मुजफ्फर हसन साहब ने कहा था कि हम इसके लिए विचार कर रहे हैं लेकिन एक साल हुआ कुछ हुआ नहीं। यहां कहां हाई कोर्ट आ गया? कहीं नहीं। एक तरफ तो आप छोटे किसानों पर मालगुजारी बढ़ाना चाहते हो और दूसरी तरफ आपकी यह करनी है। हमने निवेदन किया था कि आप बड़े किसानों से कृषि आयकर लेते हो और उससे ५० लाख की आमदनी है, उसको बढ़ाया जा सकता है। क्यों नहीं बढ़ाते हो? उसको बढ़ाने में क्या दिक्कत है? तो जब आप एक तरफ रुपये के लिए परेशान हो और पंचवर्षीय योजना चालू करते हो और लड़ाई के मैदान में सारा सामान देना चाहते हो और दूसरी तरफ जिनके पास पैसा हो, उनको छना नहीं चांहते हो, उनके रोजगार का राष्ट्रीयकरण करके उन पर अपना कब्जा नहीं कर सकते हो तो कैसे आमदनी बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी क्या नंगे भूखे बदन वालों से जिनकी माता रोगशैय्या पर पड़ी है, जिनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए सामान नहीं है, जो आधे पेट रहकर मालगुजारी देते हैं, क्या ऐसे लोगों पर मालगुजारी बढ़ाकर देश की लड़ाई जीतना चाहते हो? लड़ाई जीतना चाहते हो तो सोशलिस्ट पार्टी की इस बात को मानो कि लड़ाई के जमाने में समान त्याग, समान भावना और समान हिस्सा इस प्रदेश और देश के प्रत्येक नर नारी से लेना चाहिये। जहां गरीब का लड़का २५ वर्ष का नवजवान लड़ाई में जाता है वहां भारत सरकार का यह कानून बनना चाहिये कि इस देश और प्रदेश के जितने २५ वर्षीय नवजवान हैं चाहे बड़े पैसे वाले का लड़का हो और चाहे छोटे आदमी का, सबको लड़ाई पर जाना पड़ेगा। जो आदमी करोड़ों रुपये की आमदनी सालाना करते हैं उन पर टैक्स नहीं लगाते तो फिर कैसे लड़ोगे? लगाओ और लगालो टैक्स, आज तुम्हारे पास ताकत है, जो राष्ट्रीयता के पुजारी हैं आज उनको जेलखाने भेज सकते हो और उनको जेल में बन्द करके अपना काम कर सकते हो, कर लो लेकिन याद रखो मैं साफ कहना चाहता हूं कि लड़ाई के जमाने में हम सब्र कर सकते हैं पर अवसर आते ही आपके ऐसे काले कानूनों का हम जमकर विरोध करेंगे, बाहर करेंगे, यहां करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि इन कानूनों को वापस लो और जनता की इच्छा के खिलाफ फैसला करने से रोकेंगे। करीब १४ करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची, गबन और अनियमितताओं की रिपोर्ट जहां पर है, ३१ करोड़ रुपये का पुराना बाकी है वहां एक तरफ तो करोड़ों रुपया बकाया रहे और आप ५० लाख रुपये के लिये कर भार बढ़ाओ, लड़ाई के जमाने में जनता के नैतिक बलउन के मनोबल को गिराओ यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं बड़े कष्ट के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग फिर इसपर विचार करें और इन विधेयकों को वापस लें क्योंकि जब इस प्रदेश के करोड़ों नरनारी अपना सर्वस्व स्वयं न्योछावर करने वाले हैं तो उनके दिलों की मत तोड़िये, आज जिस एका की लहर फैली हुई है उसको मसलिये मत और मसलते हैं तो दोष के भागी आप होंगे, हम नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप समय का जरा खयाल रखिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

ठीक है, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन अन्तिम निवेदन यह है कि आप जरा ठंडे दिल से गम्भीरतापूर्वक सोचे । एक तरफ करोड़ों रुपये का अपव्यय हो, करोड़ों रुपये की अनियमिततायें हों, करोड़ों रुपये का गबन हो और करोड़ों रुपया विधान भवन और सारे प्रदेश में इमारतों के बनवाने में खर्च हो रहा हो, शीत ताप यंत्र लगाये जा रहे हो तो फिर क्या यह उचित है कि ९ करोड़ के लिये मालगुजारी और टैक्स का बढ़ा दिये जायं ? यह लड़ाई के नाम पर जो टैक्स मांगा जा रहा है किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता । इसलिये मैं बहुत ही आदर के साथ निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को आप वापस लें । कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि किसान लड़ाई के नाम पर मालगुजारी देना चाहता है तो राजस्व मंत्री जी कितना भी टैक्स लगायेंगे तो वे इसका समर्थन करेंगे ...

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

यह मैंने नहीं कहा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

सरकार के पास ताकत है, वह पास कर ले । कृष्णानन्द राय जी ने अगर नहीं कहा तो अच्छा है । हम तो यही चाहते हैं कि आप इसका समर्थन न करें । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या आपने अपने विधान मंडल की कांग्रेस पार्टी में बैठकर इस पर राय मशविरा किया है ? क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव वहां पर पास किया है जिसमें बहुमत ने इस बात को माना हो ? हम यह जानते हैं कि ऐसा नहीं किया गया है । जबकि देश इस समय एकता के साथ लड़ाई का सामना करना चाहता है तो सरकार जनता के मनोबल को तोड़ना चाहती है । हम तो यह समझते हैं कि अगर सरकार में हिम्मत है तो इसको जनमत के लिए घुमा दिया जाय और देख लें कि जनता की क्या राय है और जनता सरकार की राय को मानती है या नहीं । अगर आप यह समझते हैं कि जनता इसका समर्थन करती है तो क्या जरूरत है इस विधेयक की ? तब तो वैसे ही धन मिलता रहेगा । अगर इस बात को जनता से मालूम किया जाय कि करोड़ों रुपया गबन में जाता है, अनियमितताओं में जाता है और फिजूलखर्ची में जाता है और करोड़ों रुपया बाकी में है तो जनता यही कहेगी कि आप फिजूलखर्ची को रोकें, गबन को रोकें, अनियमितता को रोकें और करोड़ों रुपया जो बड़े-बड़े लोगों के पास है उसको वसूल करें । उसके बाद भी अगर पैसे की कमी है तो हमारे ऐसे से लो । इसलिये आप हमारे प्रस्ताव को मान लें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

टैक्स लगना चाहिये, यह सब की राय नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

प्राइवेट में कहते हैं कि लगना चाहिये, यहां पर कहते हैं कि नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अगर कृष्णानन्द राय जो चाहते हैं कि लगना नहीं चाहिये तो उनको वोट देना चाहिये हमारे साथ । इन शब्दों के साथ मैं सरकार में निवेदन करना चाहता हूं कि इस टैक्स को हटायें और अगर जनमत जानने की इच्छा हो तो इसे प्रसारित करें और जनता की इच्छा होने पर यह टैक्स लगायें ।

*श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक विलक्षण स्थिति यहां है। विरोधी दल को हिम्मत नहीं होती कि टैक्स का विरोध करें, इस वजह से ही यहां वह प्रस्ताव लाये हैं कि इस बिल को जनमत संग्रह के लिए घुमा दिया जाय। आज जनता में शायद ऐसा एक व्यक्ति भी न होगा कि जो सरकार को इस संकट काल में मदद न देना चाहता हों, जो टैक्स देने में गुरेज करे या जो कहे कि हमें रुपया नहीं देना चाहिये। मैं विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा भी टैक्स का बिल है जो सरकार यहां लायी हो और विरोधीदल ने उसका विरोध न किया हो ? मैं विरोधी दल को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि वह स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि संकट काल में शत्रु से हमको लड़ना है। इस सारे संसार में हमारा कोई मित्र नहीं दिखायी देता। हमको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। अपने बाहुबल और अपने द्रव्य की शक्ति पर ही भरोसा कर के ही हमको आगे चलना है। यह विधेयक ४०, ५० लाख रुपया लायेगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि प्रत्येक राज्य अपने पांव पर खड़ा होना सीखे। सारे साधन देश की रक्षा के लिए प्रयुक्त किये जायं।

दूसरी बात यह है कि हमको केंद्र से मदद मिलती है, लेकिन वह इस शर्त के साथ मिलती है कि हम उसमें कितना मिलाते हैं। जो हमारी शक्ति है उसके अनुसार हमको कार्य करके दिखाना चाहिये। हमारा राज्य कटिबद्ध है टैक्स लगवाने के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक तरफ तो विरोधी दल कहता है कि गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। यह केवल बड़े आदमियों पर ही लगना चाहिये लेकिन आप देखें कि यह टैक्स केवल उन्हीं पर लग रहा है कि जिनकी आमदनी कम से कम साल में ३,५०० रुपया होगी और १२,००० से ऊपर वाली आमदनी वालों के लिए सबको एक ही स्लैब में रखा गया है। उनसे २५० रुपया ही लिया जायगा। सरकार ने यह स्लैब इंकम टैक्स की तरह से तय किये हैं। इस प्रकार १२,००० से ज्यादा की आमदनी वालों पर २५० रुपया टैक्स लगा दिया है।

यह इसलिए कह रहा हूं कि हम सब एक हैं, हम सब सरकार के साथ हैं, यह आपकी फीलिंग है और हम खून बहायेंगे यह चीज तो सरकार के सामने रखते हैं और मानते भी हैं कि सरकार टैक्स लगायें, हम देने के लिए तैयार हैं, यह दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ है हमें मरवाइये, हमको खूब लड़ाइये, शत्रु का सामना कराइये, सीज फायर नहीं होना चाहिये यहां तक कहा गया। लेकिन जनता के सामने जाते है और कहते हैं कि टैक्स नहीं लगने चाहिये, यह जुल्म है। यह नीति है आज विरोधी दल की। अगर हमें लड़ना है तो लड़ेंगे काहे से ? शस्त्रों से। शस्त्र कहां से आयेंगे ? रुपये से और रुपया टैक्स के द्वारा मिल सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन के हर एक सदस्य को कि भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा युद्ध १ हजार साल तक चलेगा। मैं कहूंगा कि यह एक हजार वर्ष का युद्ध नहीं है, बल्कि जबतक भारतवासी इस संसार में रहेंगे, जब तक हमारा अस्तित्व है, सदैव के लिए हमें तयार रहना चाहिये और अपने पैरों पर खड़े होना चाहिये। मुमकिन है कि हमको और बड़े-बड़े टैक्स लगाने पड़ें। यहां तक कि सिवाय खाने के लिए जो दिया जाता है उसके अलावा जितना होगा देश की रक्षा के लिए लगाना हो। हम देखते हैं कि उधर तो सीज फायर हो गया है, लेकिन हमारे १२ गांव नेस्तनाबूद कर दिये हैं शत्रु ने। इससे सिद्ध होता है कि शत्रु मानने वाला नहीं है। उधर चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है। इन सब बातों को देखते हुए मैं विरोधी दल से कहूंगा कि दलील के लिए आप कहते जाइये कि टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन मानते आप भी हैं कि लगना चाहिये।

पूर्व वक्ता ने कहा कि हम तो सरकार को नेक सलाह देना चाहते हैं ताकि उनका सिंहासन बना रहे। लेकिन आपका असली मकसद तो यह है कि सरकार यहां से हट जाय और आप उनकी जगह पर आ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

दानसिंह बिष्ट पर टैक्स लगावें, गरीब पहाड़ी लोगों पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? दानसिंह विष्ट को छोड़ रहे हैं और गरीबों को मरवा रहे हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

जैसा कि हमारे भारतीय जवानों ने मोर्चे पर वीरता का परिचय दिया है और भारत का सर ऊंचा किया है, विरोधी दल भी साबित करे कि वह राज्य चलाने के काबिल है। राज्य चलाने के लिए टैक्स लगाने ही होंगे, इस सत्य को वह नहीं भुला सकते। अगर देश की रक्षा करनी है तो आपको हिम्मत के साथ कहना चाहिये कि हम टैक्स लगाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार के काम से असंतोष है तो ठीक है। आपको उदारता के साथ विरोध करना चाहिये। आप कह सकते हैं कि तुमने देश को बरबाद कर दिया है और शत्रु के हाथ में दे दिया है, तुम हटो, हम तुम्हारी जगह आयेंगे। तुम तो हमारे मंत्रियों को इतना सब सुनाते हो, लेकिन क्या आप भी सुनने के लिए तैयार हो? कहने को तो कह दिया कि सरकार हिन्दी नहीं चलाती है, अंग्रेजी का पोषण करती है मगर यह विरोधी पक्ष के लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढाने के लिये भेजते हैं। आप लोग केवल विरोध के लिये ही विरोध करते हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का कि इसको जनमत संग्रह के लिए घुमाया जाय या प्रवर समिति में भेजा जाय, विरोध करता हूं।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह बात कही गयी कि जो भी टैक्सेशन बिल आता है विरोधी पक्ष उसका विरोध करता है।

(इस समय २ बजकर ५५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

सन् १९६२ में जब चीन ने हमला किया था, उस वक्त जो प्रस्ताव आप लाये थे हमने उसका समर्थन किया था। श्रीमन्, प्लानिंग के लिये रुपये की जरूरत है, देश की सुरक्षा के लिये रुपये की जरूरत है, यह सही है, किन्तु विरोधी दल ने हमेशा कहा कि आप एकोनामी कीजिये, फजूल खर्ची को रोकिये, जो रिसोर्सेज विरोधी पक्ष ने बताये हैं उन पर ध्यान दीजिये, और उस सबके बाद भी अगर आपको और रुपये की आवश्यकता होती है तो आप टैक्सेशन बिल लाइये, हम उसका समर्थन करेंगे। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें, माननीया मुख्य मंत्री जी ने बताया कि करीब ८० लाख के रुपया मिलेगा। जो वित्तीय ज्ञापन इसमें दिया गया है उसमें स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताया गया है कि कितना खर्चा होगा और कितनी वास्तव में आय होगी। इसमें यह कहा गया हैकि जो आय होगी उसका केवल ५ प्रतिशत ही व्यय होने की आशा है। जब तक सरकार यह न बताये कि कितना खर्चा होगा, सही आय का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसके लिये आपको अलग मशीनरी रखनी होगी। मेरा तो खयाल है कि उसका खर्चा निकाल कर बहुत थोड़ी सी ही आय होगी। इसमें जो आय के आंकड़े दिये गये हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सदैव सरकार की ओर से गलत आंकड़े प्रस्तुत होते हैं। विरोधी पक्ष ने बहुत से सुझाव दिये जिसके द्वारा आय हो सकती थी। हमने सुझाव दिया था कि आप विलायती शराब की दुकानों का ठेका देते समय, उनको लाइसेन्स देते समय उनका उसी तरह से नीलाम किया कीजिये जिस तरह से आप देशी शराब के ठेकों का नीलाम करते हैं। इससे आपको ४ करोड़ के लगभग आय हो सकती है। जिस व्यक्ति को आज आप विलायती शराब का लाइसन्स दे देते हैं वह लाखों रुपया कमाता है। आप उनका नीलाम क्यों नहीं कराते? अभी-अभी कैबिनेट का डिसीशन हुआ कि कई करोड़ की एकोनामी होगी। हम अपनी तीनों योजनाओं में करीब १ हजार करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं। उसका जो परिणाम है वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आडिट रिपोर्ट तथा और सरकारी रिपोर्ट में दिया है। उनको देखने से पता चलेगा कि जितना रुपया हमने इन्वैस्ट किया उतना रुपया हमको नहीं मिला। एक तरफ जितना रुपया हमने दिया उसका सदुपयोग नहीं कर पाये। जितना रुपया इन्वैस्ट किया उसका रिटर्न नहीं मिल पाया। एकोनामी नहीं कर पाये। प्रशासन का खर्चा बढ़ता चला गया। चूंकि समय कम है इसलिये मैं मोटी-मोटी बातों को कहना चाहता हूं।

इस बिल में तीन चार बातें हैं। एक तो यह कि मिडिल क्लास को यह अफैक्ट करेगा। माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, पत्रकार बैठे हुये हैं, एल० एल० ए० बैठे हैं। टीचर्स और सरकारी कर्मचारियों को, जिनको माननीय वित्त मंत्री ने सहायता दी, अलाउन्सेज बढ़ाये हैं उनको एक तरफ से आप देते हैं तो दूसरी तरफ से इस तरह से ले लेंगे। यह तो एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना हो गया। इस बिल से तो गरीब क्लास पर एफैक्ट पड़ेगा। जिसकी कम आमदनी है उसको भी देना पड़ेगा। ३,५०० रु० से ४,००० रु० तक १२ रु० और जिसकी आमदनी १२ हजार से ज्यादा हो उनको २५० रु० देना होगा। २५० रु० से ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन संविधान के अनुच्छेद २७६ में यह लिखा है कि यह अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट को है, म्युनिसिपैलिटीज को है, पंचायत को है, ग्राम सभा को है, सब टैक्स लगा सकते हैं। अगर इसको मान लिया जाय तो सरकार २५० रु० लगा दे, म्युनिसिपैलिटीज और ग्राम सभा भी २५० रु० लगा दें तो जो मिडिल क्लास है उसको आपने टैक्सेशन किया। इससे श्रीमन्, यह हुआ कि जो कम आमदनी वाले हैं वे ज्यादा टैक्स देंगे और जो ज्यादा आमदनी वाले हैं वे कम देंगे। हम यह चाहते हैं कि अगर लड़ाई को जीतना है, हमें देश की मदद करनी है तो टैक्सेजन होना चाहिये, लेकिन टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होना चाहिये। इसमें आपने देखा होगा कि टोटल ग्रास इन्कम बहुत ही मिसिलीडिंग है "पे आर इनल्यू आफ सैलेरी" का मतलब यह है कि आपको जो वेतन मिलता है उस सबका ग्रास मिसलीडिंग होगा। यह लिक्वीडेशन इतना बढ़ेगा और इससे इतना हरेसमैन्ट होगा कि सरकारी कर्मचारी से कहीं गलती हो गई तो पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आप साढ़े तीन हजार लेते हैं तो आपको साल में १२ रु० देना होगा लेकिन इस धारा के अनुसार अगर आप रिटर्न पेश नहीं कर पाये तो पांच सौ रुपये जुर्माना देना होगा। जब वह विवरणी पेश करेगा तो कितना हैरेसमेन्ट और लिटिगेशन इससे होगा। इस बिल में भी जो धारा २४ है उसमें लिखा है "पावर्स टु मेक लाज ऐन्ड रूल्स"। इसमें ८ क्लाजेज हैं। इसमें सारे पावर्स गवर्नमेंट ने ले लिये हैं। लेकिन यह पावर्स गवर्नमेन्ट को तब हो सकते हैं जब सदन में आयेंगे।

श्रीमन्, आप डैलिगेटेड कमेटी के मेम्बर रहे हैं। उस कमेटी ने रूल्स बनाये और सरकार ने कार्यान्वित कर दिये किन्तु सदन के सामने नहीं आये। यह बड़ी गलत बात है। सरकार ने यह रवैया कर लिया कि बिल में एक प्राविजन कर लिया और सारे पावर्स ले लिये और उसके अनुसार फिर कार्य करते रहे। इस बिल के जरिये सरकार का कहना है कि ८० लाख रुपये की आमदनी होगी। लेकिन उसकी वसूलयाबी में जितना खर्चा होगा और साथ ही मिडिल क्लास का जितना हरेसमट होगा, उसको जितनी परेशानी होगी वह आमदनी के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। सोक्रेटीज और प्लेटो का कहना था कि रेव्योलूशन मिडिल क्लास ही लाया करता है। आपने भी जो यहां मिडिल क्लास को छेड़ा है यह ठीक नहीं है। संविधान की धारा २७६ के अनुसार आप २५० रु० से अधिक भी टैक्स लगा सकते हैं लेकिन आपने उसके अनुसार काम नहीं किया है। आपको चाहिये कि पहले सारे रिसोर्सेज को टैप करें और फिर आप इस विधेयक को लावें, तो मैं उन सदस्यों में हूं जो इसका समर्थन करेगा। आप प्रोग्रेसिव प्रापर्टी टैक्स लगाइये। जो दो हजार, तीन हजार से ऊपर तनख्वाह पाते हैं उनकी आमदनी के हिसाब से ही ज्यादा टैक्स लगाइये। मैं नहीं समझता कि बड़ी तनख्वाह वालों पर भी आप केवल २५० रु० ही टैक्स लगावें, यह कौन सा टैक्स का तरीका है? ऐसे तो आपको इस बिल को वापस ही ले लेना चाहिये, लेकिन अगर इसमें आपको कोई कठिनाई है तो इसे प्रवर समिति में भेज दें ताकि हमलोग आपस में बैठ कर इसपर अपनी राय दे सकें कि कौन-कौन सी कमियां हैं जिसको दूर किया जा सकता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो प्लान के मामले में पिछड़ा हुआ है वह आगे आवे लेकिन पहले आप अपनी फिजूलखर्ची को तो रोकें, अपने रिसोर्सेज को तो

[श्री नेकराम शर्मा]

टैप कर। यह क्या कि आपने जर्नालस्ट्स के ऊपर या एम० एल० एज० के ऊपर इस तरह के टैक्स लगा दिये और जब वे अपना रिटर्न नहीं दे सकेंगे तो फिर जुर्माना होगा और वे उस मौके पर वर्मा जी के यहां और मुख्य मंत्री के यहां दौड़ते फिरेंगे। जब एम० एल० एज० की तनख्वाह ३०० रु० है तो उसकी भी आमदनी साल में ३,६०० रु० हो गयी, इसके अलावा अलाउन्स वगैरह भी जो कमरे आदि का मिलता है वह भी उसी आमदनी में जुड़ेगा। जब आप समय पर रिटर्न नहीं जमा करेंगे तो जुर्माना होने पर अकील कीजिये, सारा समय बर्बाद कीजिये और तमाम हैरासमेंट फेस कीजिये।

जहां तक एक्जेम्शन का संबंध है, आपने मिलिटरी परसोनल को इसमें छोड़ा है जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। दूसरे आपने ऐसे आदमियों को एक्जेम्शन दिया है जो अपनी आमदनी को दान के रूप में किसी मन्दिर, स्कूल आदि संस्था को दे देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जो प्रोविजन आपने इस तरह का इस बिल में रखा है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि मान लीजिये किसी बड़े आदमी ने कहा कि मैंने अपनी आमदनी मन्दिर के पुजारी को दे दी या किसी स्कूल को दे दी और फिर उसे वह वापस ले ले, तो इसके लिये आपके हाथ में कौन सा कंट्रोल है जो इस चीज को रोक सकेंगे। लोगों को रिटर्न भेजने में भी काफी परेशानी होगी और जरा सी भी गलत रिटर्न देने पर जितनी परेशानी होगी उसको रोकने के लिये इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि आपकी पार्टी के लोग तथा विरोधी दल के लोग भी आपस में बैठ कर जो सुझाव देना हो दे सकें अगर फिर आप इस विधेयक को हाउस में पेश करें।

मिडिल क्लास के ऊपर यह तीन तरह से एफैक्ट करता है। एक तो यह कि इससे लिटिगेशन बढ़ेगा, इसमें इक्वेटेबिल टैक्सेशन नहीं है, यह प्रोग्रेसिव न होकर रेग्रेसिव है। साथ ही इसकी आमदनी जो जितने फायदे की आप उम्मीद करते हैं वह होने वाली नहीं है। माननीय मंत्री जी भी दौरे पर जाते हैं और उसमें भी कुछ आमदनी होती है, उसका रिटर्न ठीक से न देने पर ५०० रु० का जुर्माना हो सकता है। तो आप यह सोच लीजिए कि कितना हैरेसमेंट, कितना लिटिगेशन और कितना समय का दुरुपयोग इससे होगा, बैठ कर इसके ऊपर विचार कर लीजिए, फिर आप टैक्स लगाइए, हमें कोई आपत्ति उसमें नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे प्लान सफल हों। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस पहले सोच लीजिए। मान लीजिए आप की तनख्वाह पांच हजार है, आपने कह दिया कि हम दो हजार छोड़ते हैं, तीन हजार ही लेंगे। लेकिन टैक्स आपके ऊपर पांच हजार पर ही लगेगा। दूसरी तरफ आपने रखा है कि दान पर नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नर साहब हैं, ५ हजार तनख्वाह है, अगर वह कहें कि हम दो हजार नहीं लेंगे तो भी उन पर ५ हजार पर ही टैक्स पड़ेगा। तो इस तरह का बिल ले आना कहां तक उचित है? जहां तक रुपए का ताल्लुक है, हम देने को तैयार हैं क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो टैक्सेशन के लिए भी हम को तैयार रहना चाहिए लेकिन टैक्सेशन हो तो किस तरह का हो, यह देखने की बात है। आप देखें कि ३,५०० से ४,००० रुपये तक पाने वालों के ऊपर जो टैक्स है उसका परसेंटेज कितना है और ४ हजार से ऊपर कितना परसेंटेज पड़ता है? ४ हजार से ऊपर परसेंटेज कम है। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया जाय और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो रिपोर्ट जल्दी मंगा लीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले भी जो टैक्स वाला विधेयक था उस पर भी बोलते हुए मैंने कहा था कि इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह आम जनता पर टैक्स लगाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा पिछले १८ सालों में जितने कर लगाने के स्रोत थे और उनसे जितना पैसा आज उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल रहा है उस सारे पैसे का सदुपयोग क्या हो रहा है ? क्या सारा पैसा समुचित रूप से आपकी योजनाओं पर खर्च हो रहा है ? इसका जवाब मैं नहीं देता हूं। इसका जवाब आपको आडिट रिपोर्ट ने दिया कि जितना पैसा विधान सभा से बजट के रूप में पारित होता है उसमें से करोड़ों रुपया फिजूलखर्ची में जाता है। बहुत से सदस्यों ने इसको प्रवर समिति में ले जाने का और ६ महीने तक जनमत के लिए घुमाने का प्रस्ताव किया है। लेकिन मैं तो कतई इस राय का हूं जैसा मैंने पहले कहा जितने आय के स्रोत हैं, जितना रेवेन्यू आज आ रहा है उस को समुचित ढंग से व्यय किया जाय और मेरी राय मानें तो २३७–३८ करोड के बजट में से २० करोड़ रुपये से ज्यादा बच जायगा। रिपोर्ट में तो १४ करोड़ कहा गया है, उस रिपोर्ट की बात तो आपको शत प्रतिशत माननी चाहिए, क्योंकि वह सरकारी रिपोर्ट है। हम तो उसको पचास सैकड़ा सही मानते हैं। अगर सही ढंग से हिसाब लगाया जाय तो इस बजट में से २० करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। और आप देखें कि इसके उद्देश्य में क्या लिखा है––"चूंकि राज्य के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का परिव्यय, तृतीय पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के दुगुने से अधिक होने की सम्भावना है, इसलिए राजस्व के सभी साधनों की खोज करना आवश्यक हो गया है। देश पर पाकिस्तान के आक्रमण के फल-स्वरूप उत्पन्न वर्तमान स्थिति ने राज्य के दायित्वों को और भी बढ़ा दिया है। श्रीमन, पाकिस्तान ने जो हमारे देश पर हमला किया, उससे हमारा दायित्व कितना बढ़ा है और इस दायित्व को हमारी सरकार कितना महसूस करती है इसका भी उदाहरण पिछले दिन मैंने दिया था कि सब से पहला हमारा दायित्व उत्तराखंड के विकास का है जहां पर चीन का खतरा है और उत्तराखंड के विकास के लिए करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार से मिला है जिसको हम खर्च नहीं कर पाये।

इसके अलावा चौथी और तीसरी योजनाओं की पुस्तिका छापी गयीं, उसमें दिखाने के लिये बहुत सी योजनाओं का जिक्र कर दिया गया। जैसे अमेरिका और चीन तथा रूस से बहुत सी पत्रिकायें प्रचार के लिये निकलती हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें छपाकर प्रचार के हेतु भेजते हैं। अगर भारत सरकार ऐसा कार्य विदेशों में प्रचार करने के लिये करती तब तो ठीक था, लेकिन अपने देश वासियों के सामने ही इस प्रकार की बातें करना ठीक नहीं है। सन १९५७ में एक योजना हैबीचुअल आफेन्डर्स के लिये बनायी गयी और उसके लिये ४३६ एकड़ जमीन ली गयी। वह ७ साल तक यूं ही पड़ी रही इसमें कोई काम नहीं हुआ और कोई हैबीचुअल आफेन्डर भी उस पर बसने के लिए आया नहीं। ७२–७८ लाख रुपया सात साल तक वैसे ही पड़ा रहा और अब आप ८० लाख का टैक्स लगा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरों को दिखाने के लिये पीलीभीत में कालोनाइजेशन की स्कीम चलायी गयी। वहां दो कुओं के लिये ३ लाख रुपया रखा गया। कायदे से एक कुएं को एक साल में ३ हजार घंटे चलना चाहिये। लेकिन पीलीभीत में यह ६५ घंटे चल कर ही बंद हो गया। ये सारी चीजें आडिट रिपोर्ट में दिखलायी गयी है। इस प्रकार आप जनता के धन के साथ खिलवाड़ करते हैं, मन माने ढंग से उस के गाढ़ी कमाई के रुपये को इस्तेमाल करते हैं। फिर भला ऐसे टैक्स लगाने का आप को क्या अधिकार है ?

आप के टैक्स लगाने का तरीका क्या है ? इसके पीछे एक सूची दी गयी है उसकों देखने से मालूम होता है ३,५०० रुपया से १२ हजार पाने वाले तक के लोगों पर यह सरकार टैक्स लगाने जा रही है। इस तौर तरीके से यह मालूम होता है कि क्लर्क, बाबुओं और अखबार का काम करने वाले मध्यवर्ग के लोगों पर यह सरकार टैक्स लगा देना चाहती है। क्योंकि जो १२ हजार रुपया पाता है उस को भी वही देना होगा और जो २४–२५ हजार पाता है उस को भी वही २५० रुपया देना होगा। यह वही व्यवस्था है जिसके बारे में पिछले दिनों मैंने विधान सभा में कहा था कि यह सरकार सेठों की सरकार है। इसके १८ साल के शासन में तीन सेठों को ही लाभ हुआ है। एक सेठ तो मंत्री लोग और उनके नाते रिश्तेदार लोग

[श्री काशीनाथ मिश्र]

जिनके लिये हैबीचुअल आफेन्डर्स सरीखी स्कीम बनायी जाती हैं। दूसरे सेठ हैं आई० सी० एस० और पी० सी० एस० लोग और तीसरे हैं करोड़पति सेठ कमलापति सिंहानिया, रामरतन और खेतान जैसे लोग। इन्हीं तीन को इस राज्य में फायदा हुआ है।

जहां तक पाकिस्तान की लड़ाई की बात है, पाकिस्तान के साथ जो आपने संधि की है उससे देश और प्रदेश के निवासियों और सेना का मनोबल घटा है। अगर हमारी फौजों ने स्यालकोट और लाहौर पर कब्जा कर लिया होता तो पाकिस्तान का घमंड चूर हो गया होता। लेकिन हमारे हुक्मरां तो इसी दलदल में फंसे रहे कि स्यालकोट और लाहौर पर कब्जा किया जाय या न किया जाय। इस तरह की अगर दुविधा की नीति चलेगी तो उससे लोगों का मनोबल नीचा होगा, ऐसी नीति से जनता को उत्साह नहीं मिलता है। एक ओर यह सरकार इस तरह स करोड़ों रूपया जनता से कर के रूप में लेती रहे और उससे इस तरह गुलछर्रे उड़ाती रहे और उससे अपने सगे सम्बन्धियों का उदर पोषण करती रहे उस से अब काम चलने वाला नहीं है। आज ही हमने अपना एक प्रश्न नियम ५२ में दिया था कि आज भी कानपुर में देशद्रोही मुसलमान कानपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं, मतीउल्ला अन्सारी, बशीर, असलम मजा कर रहे हैं, यह वह लोग हैं जो पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करते हैं, बड़े-बड़े गुप्त नोटिस निकालते हैं और सभायें करते हैं। उन के बारे में सब कुछ माननीय गृह मंत्री और वहां के एस० पी० जानते हैं। यहां से फोन मंत्री जी करते हैं और वह छोड़ दिये जाते हैं, लेकिन गरीब मजदूर पकड़े जा रहे हैं। बेचारे मेहनतकश मुसलमान जो १–२ रुपये रोज की मजदूरी करते हैं वह पकड़ कर जेल में बन्द किये जाते हैं। मैंने कानपुर की जेल का मुआयना किया तो वहां कितने गरीब मुसलमान जेल में बन्द हैं डी० आई० आर० के नाम पर। लेकिन मतीउल्ला, लारी, बशीर, हाजी असलम जो पाकिस्तन चले गये थे उन के नाम पर अब दूसरे हाजी असलम फर्जी तौर पर बने हुये हैं, असली तो पाकिस्तान में हैं और नकली कानपुर में उन की प्रापर्टी के मालिक हैं और पुलिस को पैसा देकर अपना कारबार यहां नकली हाजी असलम चला रहे हैं। यह पदमपत सिंहानिया बशीर के जरिये से लाखों रुपए का व्यापार पाकिस्तान से करते हैं। जो सरकार ऐसे लोगों को परिश्रम देती है और गवारा करती उसका क्या अधिकार है इस तरह के कर लगाने का, जो सरकार इस तरह के देशद्रोहियों को आज की परिस्थिति में बरदाश्त करती है और ऐसे लोगों की मदद से राज्य चला रही है वह आज इस तरह के कर गरीबों पर लादना चाहती है।

मैं कहना चाहता हूं माननीय कैलाश प्रकाश जी से कि आप ८० लाख रुपया के लिए गरीब मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों पर कर लगाना चाहते हैं जब कि आप एक जगह से ही इतना पैसा ले सकते थे। मैंने पिछली बार बताया था कि चीनी के मामले में पूंजी पतियों के ऊपर १७ लाख रुपया का बिक्री कर छोड़ दिया गया। बम्बई को चीनी भेजी गई कानपुर के व्यापारियों के द्वारा और उसमें सरकार को जो १७ लाख वसूल करना चाहिये था वह छोड़ दिया गया। एक तरफ तो पूंजीपतियों पर १७ लाख रुपया माफ किया जाता है और दूसरी ओर गरीबों पर कर थोपा जाता है, यह कौन सी जनतांत्रिक व्यवस्था है, कौन सा समाजवाद है, कौन सा यह आप का जनकल्याणकारी राज्य है? मैं कहना चाहता हूं माननीय कैलाश प्रकाश जी से कि आप जनता को बहुत दिनों तक गुमराह नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए आप जनता को भले ही भुलावे में डाल दें, लेकिन अधिक दिन या हमेशा के लिये आप उस को गुमराह नहीं कर सकते। अगर यहां की साढ़े सात करोड़ जनता चाहती है कि देश की सुरक्षा और बहबूदी हो और पाकिस्तान और चीन से हम मुकाबला कर सकें तोइस प्रकार के कर लगाने वाली हुकूमत का मुकाबला हमें बहादुरी के साथ करना होगा तभी देश की सुरक्षा हो सकती है। इन शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

वह कृपया यह बता दें कि यह कर मद्रास में कितने दिन से लागू है ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं माननीय सदस्य से इतना ही कहूंगा कि मद्रास, बम्बई और बंगाल इन ३ सूबों में वहां की सरकार अपनी जनता की तन्दुरुस्ती, चिकित्सा और पढ़ाई लिखाई पर प्रति व्यक्ति ८ से १० रु० तक खर्च करती है, लेकिन यह सरकार कर लगाकर क्या करती है? यह प्रति आदमी पर इन कामों पर केवल २ से ढाई रुपये ही व्यय करती है। यही तो हमारा रोना है।

श्री अधिष्ठाता---

उत्तर आप दे चुके हैं।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि सुबह से अब तक उठक बैठक करने के बाद, काफी परिश्रम के पश्चात् और जिसके लिए मैंने अपना खाना भी त्याग दिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय कमला सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल को अगर वापिस ले लेती तो अच्छा होता। हमारी सरकार आज जितना पैसा चाहती है, वह हम से ले लेती, लेकिन जिस तरह से वह वसूल करना चाहती है उससे यह जाहिर होता है कि यह सरकार खुद अपनी कबर को खोदना चाहती है। मैं चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनसे यह सरकार टैक्स ले ले, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन पर टैक्स का बोझ न बढ़ाया जाय। मैं इस बात का तो जरूर समर्थन करता हूं कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाय, क्योंकि अभी पाकिस्तान को और नीचा दिखाना है। हमारी सरकार को अगर किसी और चीज की भी जरूरत होगी मुझे उम्मीद है कि हमारी जनता तन मन धन से हर चीज देने को तैयार है, इससे जनता को तनिक भी इन्कार नहीं हो सकता है।

अब मैं आपके सामने एक शेर पढ़ कर सुनाता हूं :---

टैक्स ने जमाने को भुला रखा है,
नक्शा टैक्स का तेरे दिल में जमा रखा है।

आज हम सोचते हैं कि हमारे पेट और पीठ एक सा क्यों न हुयी। आज हमें न खाने को मिलता है, न मिट्टी का तेल ही मयस्सर है और न रहने को मकान ही है। आज वे गरीब जो १८ वर्ष से झोपड़ियों में रहते थे उसी तरह से रह रहे हैं। मेरे खयाल से उन की हालत जरा भी नहीं संभली है। आज कितने गरीबों की आह यह कह रही है कि हमारे साथ भला नहीं किया गया है। आज जो हमारे प्रदेश में गांवों में रहने वाले गरीब लोग हैं, वे रो रहे हैं कि हम को सीमेंट नहीं मिलता, हमको खाने को नहीं मिलता है। हां, एक बात में अपनी सरकार की तारीफ करूंगा कि इसने अपनी दिलो जान लगाकर एक समस्या को हल किया है जिसको और कोई नहीं कर सकता था। हममें से भी कोई इतना काबिल नहीं है जो इसे सम्भाल पाता।

दूसरी शेर में अर्ज करता हूं :---

"नजर सहमी सहमी कदम बहके बहके।"

इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अर्ज करता हूं कि कहीं हमारी सरकार इन टैक्सों की दुनियां में न फंस जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

अधिष्ठाता महोदय, जो बिल प्रस्तुत हुआ है और विरोधी दल ने उसको जनमत के लिये भेजने के लिये जो प्रस्ताव किया है वह बहुत ही उचित है। आज हमारा देश एक महान इम्तिहान से गुजर रहा है और यह आवश्यक है कि देश की जनता का मनोबल ऊंचा उठाया जाय। जनता के मनोबल के आधार पर ही आज हमारी सरकार यह फख्र कर रही है कि हमने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बात सही भी है, लेकिन यह सरकार के कारनामों की वजह से नहीं है, बल्कि जनता ने अपने देश की रक्षा के निमित्त साहस का परिचय दिया।

श्री अधिष्ठाता--

यह बात माननीय सदस्यों को ध्यान में रखनी है कि यह विधेयक आज दिन भर के लिए निश्चित हुआ है ।

श्री रामअधार कनौजिया--

इसलिए यह आवश्यक है कि इस संकट की बेला में हमें जनता का मनोबल ऊंचा रखना है और इसी कारण जनमत जानने के लिए इस विधेयक के सम्बन्ध में मांग की गयी है। सरकार अगर साहस नहीं करेगी कि इसे जनमत जानने के लिये भेजे, तो मुझे विवश हो कर कहना पड़ेगा कि सरकार अपने कारनामों को छिपाना चाहती है। सरकार को विश्वास होना चाहिये कि अब जनता धोखे में पड़ने वाली नहीं है और उसे इस चीज का अहसास है और पिछला इतिहास उसे याद दिलाता है कि रूस ने हिटलर के मुकाबले में जनता के मनोबल को ऊंचा कर के ही जर्मनी को शिकस्त दी थी। जनता के मनोबल को उठा कर ही देश आगे बढ़ सकता है।

जहां तक टैक्स का सम्बन्ध है जो दो चार विधेयक लाये जा रहे हैं वह धन को इकट्ठा करने के लिए है जिससे केवल ९ करोड़ रुपया एकत्रित हो सकेगा यह मेरी समझ में कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है क्योंकि दूसरे तरीके से भी धन मिल सकता है। यह प्रदेश देश में सब से बड़ा प्रदेशहै। १८ वर्ष की अवधि में भी इस प्रदेश की हालत अन्य प्रदेशों से गिरी है। अगर हमारी सरकार में कुछ साहस होता तो वह उत्तर प्रदेश की जनता को टैक्सेज देने के लिये बाध्य नहीं करती। किन्तु प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने मुंह की खा गयी है और उसमें साहस नहीं है कि वह साहसपूर्वक केन्द्र के सामने अपनी स्थिति रख सके और अपने प्रदेश की गरीबी की वकालत कर सके और केन्द्र से अपने हिस्से का अधिक पैसा ले सके। फौर्थ फायनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है वह निराशाजनक है। केन्द्र ने स्टेट्स का हिस्सा इनकमटैक्स में बढ़ा कर ६६ प्रतिशत से ७५ परसेंट अवश्य कर दिया है लेकिन जहां तक धन के वितरण का सम्बन्ध है अधिष्ठाता महोदय, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में अधिक तथा गरीबी में अधिक गरीब होते हुए केन्द्रीय सरकार ने जब आसाम को २९ करोड़ ,केरल को २० करोड़ और मैसूर को २० करोड़ रुपये इनकम टैक्स में से दिया है वहां हमारे प्रदेश का विवरण में छठा नम्बर आता है यानी केवल ९.१८ करोड़ मिला है । केरल, आसाम तथा मैसूर हमारे प्रदेश से छोटे प्रदेश हैं, जनसंख्या भी वहां हमारे प्रदेश से कम है और हमारा प्रदेश भी अन्य प्रदेशों से अधिक पिछड़ा हुआ है; लेकिन हमारी सरकार अपने प्रदेश की जनता की गरीबी, जनता की परेशानी की वकालत केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं कर सकी और उलटे जनता पर वह टैक्स लगाने जा रही है जिसे जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे वकील तथा ऐसी सरकार को यह जनता रखने के लिये इच्छुक नहीं है जो प्रदेश के सवाल को केन्द्रीय सरकार के समक्ष ठीक से नहीं रख सकती। माननीय के० एम० मुंशी ने भी यह कहा था कि यह उत्तर प्रदेश देश की आबादी के लिहाज से पच्चीसवां भाग है। लेकिन देश के नियोजक इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर तैयार होते तो मैं समझता हूं कि यह छोटी सी रकम जो केन्द्र ने हर स्टेट को दी है उसमें हमारा हिस्सा ३० करोड़ रुपये से ज्यादा का होता। यहां की जनता इस बात को जान गई है कि यह कांग्रेसी

सरकार प्रदेश के काम को केन्द्रीय सरकार के सामने रखने का साहस नहीं करती है। इसलिये केन्द्र से जो रकम हमें मिलती है वह बहुत कम मिलती है। यह हमारी कमजोरी का ज्वलंत उदाहरण है।

मान्यवर, जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है और जो यह रुपया लिया जा रहा है वह नियोजन के कामों के लिये ही लिया जा रहा है। क्या यह सिद्ध हो गया है कि धन की कमी के कारण हम नियोजन में सफल नहीं हुये हैं? अगर यह सत्य बात है तो इसमें गड़बड़ी जरूर है और यहां की इनएफीशियेंसी और बेईमानी का दर्जा हो सकता है? जहां तक इन तीनों पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल है वह यह है कि पहली योजना में जो धन लगाया गया उसमें राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य १२ परसेंट रखा गया था जिसको १८ परसेंट प्राप्त किया गया। लेकिन दूसरी योजना में दुगना धन लगाया गया और प्राप्ति का लक्ष्य उससे कम हुआ और तीसरी योजना में तिगुना धन लगाया गया उसमें भी हम प्राप्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। इससे पता चलता है कि धन के अभाव में हमें असफलतायें मिल रही हैं ऐसी बात नहीं है। जितना धन दिया गया उससे प्राप्ति बहुत कम हुई। जनता की आर्थिक दशा को सुधारने का जो आपने संकल्प किया था वह नहीं कर पाये।

इस बिल में समाजवादी व्यवस्था में जिसकी आप घोषणा कर चुके हैं देखा जाय तो सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिलता है। जो टैक्स का फ्लैट रेट रखा है उसमें ऐसा है कि ४००० रुपये तक १२ रुपये साल रखा गया है। इसके ऊपर अगर एक रुपया भी किसी की आमदनी बढ़ जाती है तो उसका टैक्स एक दम २४ रुपये हो जाता है। इसलिये यह जो पद्धति बनाई गई है उस पर या तो विचार नहीं किया गया है या फिर यह घोषणा की जा चुकी है कि हम इस प्रदेश में सामाजिक न्याय देने के लिये तैयार नहीं हैं। यदि आप यह मानने के लिये तैयार हैं कि हम प्रदेश में सामाजिक न्याय देंगे तो फ्लेट से बदल कर प्रतिशत के रूप में रख दिया जाय। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। आप को जनता ने शक्ति दी है और आप शक्तिशाली हैं और इस समय जनता की भावना आप के कारनामों की ओर न जाकर देश की सुरक्षा की ओर है। इसलिये हो सकता है कि आप अपने बहुमत के बल पर इसको पास कर लें। लेकिन इसको प्रतिशत में कर दिया जाय। अगर ढाई परसेंट कर दिया होता तो ठीक रहता। मान्यवर, अब जहां हमारे कुछ भाई समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं और हमारी सरकार भी चलती है, तो मुझे इसी बिल पर नहीं और जितने बिल आये हैं, जिन पर टैक्सेशन होता है, मैं समझता हूं कि समाजवाद का एक मूल सिद्धान्त है कि टैक्सेशन सबसे ज्यादा लगाया जाए। तो फिर विभिन्न राजनैतिक दल, जो समाजवादी विचार धारा के हैं, उनका यह एतराज करना कि टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, यह बहुत ही उल्टी बात मुझे मालूम पड़ती है। समाजवादी विचारधारा में निश्चित है कि टैक्स बढ़ेगा, किन्तु इस अव्यवस्थित तरीके से और गलत तरीके से टैक्स लगाने से यह स्पष्ट हो गया है कि जिस विचारधारा के अन्तर्गत आप चल रहे हैं, वास्तव में उस विचारधारा के अन्तर्गत आप स्वयं नहीं चल रहे हैं। मिश्रित अर्थ व्यवस्था का जिस वक्त आपने प्रयोग किया आपका पहले का सिद्धान्त पूर्णतया निर्मूल हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फिर से विचार करके अपनी कोई नयी नीति अख्तियार कीजिये ताकि देश का कल्याण हो सके।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, आज इस आदरणीय सदन में उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ पर जो वाद विवाद चल रहा है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

हरीसिंह जी, मैं आप को बता दूं कांग्रेस बेंचेज की तरफ से २ घंटे से कोई नहीं खड़ा हुआ है और जब अब समाप्त होने को है, ४ सदस्य खड़े हैं, इसलिये जल्दी करें।

श्री हरीसिंह---

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह टैक्सेशन से संबंधित विधेयक है। जब यहां वादविवाद हो रहा था तो यह सोच रहे थे कि कुछ नये सुझाव विरोधी दलों की तरफ से आएंगे, लेकिन सुझाव तो जो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर हैं, उनके दिमाग में थे ही नहीं, सिवाय इस कल्याणकारी सरकार का विरोध करना चाहते थे। इतना ही नहीं ऐसे लोगों के हाथों में, देश और प्रदेश में, कब शासन होगा, इसकी कोई सम्भावना ही नहीं है। किन्तु यदि दुर्भाग्य से हो भी जाए तो उनके पास कौन से साधन हैं कि बिना कर के लिये यह शासन चला सकेंगे, वे सुझाव और विचार वे मुझे बता दें। मैं अपने उन महारथियों, जनसंघियों से पूछना चाहता हूं कि वे हर एक टैक्स का विरोध करते हैं। किसान पर जो टैक्स लगे, तो उसका विरोध करें ठीक है, लेकिन इसमें विरोध करने की बात क्या है, यह मेरी समझमें नहीं आता है। इसमें गरीब पर टैक्स कहां आता है? ऐसा कोई नियम है कि यह ढ़ाई सौ रुपये से ज्यादा यह नहीं लगा सके। किन्तु मेरी तो सरकार से यह निवेदन है कि संविधान में यदि ऐसी बात है, तो इसमें संशोधन करायें और जितने मालदार, सरमायेदार हैं अधिक से अधिक उनकी आमदनी का हिस्सा उनसे लिया जाय, परन्तु इस देश का संविधान यह आज्ञा नहीं देता है कि २५० रुपये से ज्यादा टैक्स लग सके। आज देश को बहुत अधिक रुपये की आवश्यकता है और सरकार के पास कोई बड़े कारखाने और आमदनी का कोई स्रोत नहीं है जिससे वह रुपया लिया जा सके। यह राष्ट्र १२०० वर्षों तक गुलाम रहा है और उस की मनोवृत्ति दूषित हो गयी है और उसका आत्म सम्मान गिरा रहता है। इस सब बातों को देखते हुये भी जब कभी भी कर लगता है तो बौखलाहट मचती है, और कहां मचती है? सदन में? जनता में नहीं, जनता में जहां समाजवादी और जनसंघी जाते हैं तो कांग्रेसी वर्कर्स भी जाते ह जिनके बल पर कांग्रेस जिन्दा है। आज जनता समझती है कि कर की आवश्यकता है, लेकिन आप हैं कि हम साढ़े तीन हजार रुपये वालों पर टैक्स लगाते हैं तो आप शोर मचाते हैं।

वाह रे सोशलिस्ट और वाह रे जनसंघी। जनसंघी दोस्तों की तो मैं प्रशंसा भी करता हूं, क्योंकि दिल्ली में मैंने उनका प्रदर्शन देखा है। इन सोशलिस्टों के पास क्या है? वह यह कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को टैक्स मत दो। है क्या इनके पास? ये तो खुद टूट चुके हैं, पार्टी टूट गयी है, काने वैसे रह गये हैं, लेकिन कहेंगे कि टैक्स मत लगाओ। हम भी कहते हैं कि बड़े लोगों पर टैक्स लगे और सरकार की जो छोटे लोगों पर ज्यादा कर भार की नीति है, वह ठीक नहीं है लेकिन आप तो उस इंस्पेक्टर को नहीं कहेंगे जो डेढ़ सौ रुपए तो पाता है, लेकिन बड़े से बड़े आदमी की इज्जत एक मिनट में उतार लेता है और हजारों रुपये महीने कमाता है और कहते हैं ये सोशलिस्ट दोस्त कि हम बड़े ईमानदार हैं। तो आप ईमानदार, जनसंघी ईमानदार, इन्स्पेक्टर ईमानदार और हम सब जो इधर कांग्रेस के वर्कर्स जो तपे तपाये हैं वह सब बेकार हैं। जनसंघी उनके भी गुरु। विरोधी दल को तो यह कहना चाहिये था कि ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और ज्यादा धन देश के लिये लो। चाहिये यह था कि ये जा कर जनता को समझाते और कहते कि देश को जरूरत है, सहायता दो सब प्रकार की, क्योंकि जो राज्य का संचालन करता है उसे धन चाहिये और कर से धन को भर दो।

यह बात सही है कि बड़े लोगों पर टैक्स लगना चाहिये। यह भी सही है कि किसान पर टैक्स न लगे। हम भी यह चाहते है कि किसान पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन सरकार को चलाना है तो सरकार के लिये रुपया चाहिये। इस समय देश को रुपये की आवश्यकता है। आज हमारे नौजवान भाई अपना बलिदान देश की रक्षा के लिये कर रहे हैं, तो युद्ध सामग्री के लिये रुपये की आवश्यकता है। फिर

उसके लिये रुपया कहां से आये ? टैक्स लगा कर ही रुपया वसूल किया जा सकता है। क्या और रास्ता हो सकता है यह बतलाया जाय ? उन लोगों से ही रुपया लेने की बात की जा रही है जिनके पास रुपया है। जिनके पास रुपया है उनको रुपया देना चाहिये। समाजवादी भाई ऐसे हैं वह दे सकते हैं तो उनको देना चाहिये और इसका विरोध नहीं करना चाहिये गरीब आदमी टैक्स नही दे सकता है। वह कहां से टैक्स दे सकता है ? उसके पास रुपया नहीं है। रुपया वही दे सकता है जिसके पास होता है। जिनके पास रुपया है उनके ऊपर ही यह टैक्स लगाया जा रहा है। जमींदार के पास रुपया है तो उसको देना चहिये। अभी तो यह पता नहीं कि कितना रुपया इससे आयेगा लेकिन जितना भी इससे रुपया आयेगा वह सब देश के काम में आयेगा। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और विरोधी दल से निवेदन करता हूं कि आपको भी इसका समर्थन करना चाहिये क्योंकि यह रुपया देश की रक्षा और योजना के काम में आने वाला है।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

यह जो संशोधन हरिनाथ जी ने रखा है जनमत जानने के लिये, वह आवश्यक था और सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिये। यह संशोधन विधेयक ऐसा नहीं है कि मग्ननीय सदस्य कहते हैं कि यह तो एक साधारण सा विधेयक है, और जैसे टैक्स लगने के लिये और विधेयक आये हैं वैसा ही यह भी है। कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि जनता तो ज्यादा टैक्स देना चाहती है। मेरा निवेदन यह है कि अगर ऐसी बात है तो इसको जरूर जनमत के लिए भेजा जाय। इतनी फीसदी से बाद को और अधिक प्रतिशत इसका बढ़ जायगा। इसलिये यह प्रस्ताव ऐसा नहीं था जिस पर सरकार को किसी प्रकार से आपत्ति होती। यह टैक्स सन् १९६६ से लगने वाला है। इस टैक्स के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है और उसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को लाभ भी नहीं हो पाया था कि ३५० से अधिक पाने वाले कर्मचारियों के लिये कुछ न कुछ निकालने के लिये यह विधेयक सरकार ले आई। यह सरकार ने कृपा की। यह टैक्स जो लगाया जा रहा है यह भी उसी प्रकार का है जो सब लोगों पर लगेगा। आखिर सरकार कितने प्रकार का टैक्स लगाना चाहती है ? आज देखते हैं कि किसान से लेकर ऊपर तक सभी प्रकार का टैक्स लगाने की बात सरकार ने की है। गांव सभा में टैक्स लगाया गया है। सरकार ने आदेश भेजा कि जहां १ आना वसूल होता था वहां पर उसका १६ प्रतिशत कर दिया जाय। जिला परिषदों में २५ प्रतिशत का ४० प्रतिशत करने की बात है। सभी जगह टैक्स बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। इस तरह से सभी पर यह भार सरकार डालना चाहती है। अभी जो नगरपालिका के अन्दर भी मकानों पर २५ प्रतिशत करने की बात सरकार ने मानी है। सेन्ट्रल सरकार तो ३६०० रुपये लगाती है, लेकिन हमारी सरकार ३५०० पर ही यह टैक्स ले आई है।

अब इस बात को देखना है कि कितने प्रतिशत इसका वसूल होगा। इसका प्रोसेस आफ रियलाइजेशन इन्कमटैक्स की वसूली की तरह होगा। कहते हैं कि ३००० के ऊपर केवल १२ रुपया पड़ेगा, लेकिन जो फार्म भरना है, उसके बाद उसे वकील करना पड़ेगा, पेशी पड़ेगी और उस में उसका काफी खर्च हो जायगा। यह १२ रुपया तो कहने की बात है। इसके बाद पेनाल्टी क्लाज भी है। यह एक विचित्र स्थिति है कि थोड़ी सी रकम के लिये तमाम प्रकार की परेशानियां होगी। आज मन की स्थिति, शान्त और निश्चित होनी चाहिये। बिक्री कर, स्टेट और सेंट्रल के अन्य कर आदि सब लगे हैं और एक व्यक्ति से कर वसूलने के लिये ६ एजेन्सियां हैं। मैं तो समझता हूं कि आप हैसियत निश्चित करने के बाद जिला परिषद् में टैक्स ले लें, स्टेट तथा सेंट्रल में टैक्स ले लें और इस के लिये ६ एजेन्सियों वाली प्रथा को समाप्त करें। इस तरह की पद्धति में तो परेशानी ही बढ़ेगी। तीन दिन से इसी टैक्स पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

चर्चा चल रही है और काशीनाथ जी ने जैसा बताया, सब से पहले आप को आवश्यं उपस्थित करना चाहिये खर्च कम कर के और सदन की बनाई हुई कमेटियों की सिफारिशों पर अमल कर के। अन्यथा सरकार को कोई हक नहीं रहता यह कहने का कि हमको टैक्स चाहिये। इससे कुल ८० लाख रुपया मिलेगा और जनता को तमाम तरह की परेशानी होगी। वह रुपया तो केवल कानपुर से ही मिल सकता है। अगर जनता को इस तरह से बेकार दबाया गया तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगी।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको एक सूचना दे दूं कि काश्मीर का एक डेलीगेशन आया है जो लेजिस्लेचर ग्रुप के तत्वावधान में सवा ५ बजे कांग्रेस पार्टी के हाल में आप लोगों से कुछ बातें करेगा। उसमें आप सभी निमंत्रित हैं। तिलक हाल बंधा हुआ था इसलिये वहां यह सम्मेलन हो रहा। आपसे अनुरोध है कि आप सभी वहां उपस्थित हों।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका तथा उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया। इस विधेयक का उधर के दो नये मुल्लाओं ने समर्थन किया है। जब रामायण राय जी तथा मुकन्दी लाल जी इधर बैठते थे उस समय के भाषण उन के आज के भाषण से सर्वथा विपरीत होते थे। जैसे वकील जिस तरफ का मुकदमा लेता है उसी तरफ स वह बहस करने लगता है उसी प्रकार दो नये मुल्लाओ ने यहां किया है। हरी सिंह जी ने भी संशोधन का समर्थन किया है। भले ही उन्होंने अपने भाषण में कुछ भी कहा हो, लेकिन संशोधन का समर्थन ही किया है।

समय थोड़ा है और मंत्री महोदय के सामने जितने भी सुझाव हैं वे आ चुके हैं। यह उन्हें बताया जा चुका है कि विधेयक दोषपूर्ण है। उसमें जो खामियां हैं वे उनको बता दी गयी हैं और यह भी समझा जाता है कि दो रोज बाद ही आप फिर संशोधन इसमें लायेंगे। इन सब को जानते हुए भी, थोड़े से कर के लिये अगर आप साढ़े सात करोड़ जनता को परेशान करेंगे तो क्या नतीजा होगा, आप स्वयं जानते हैं। हमारा और आपका अनुभव है कि जो कर अधिकारी होता है वह जनता को परेशान कर के जितना रुपया सरकार को मिलना होता है वह स्वयं ले लेता है और उन्हें छोड़ देता है। आप इस ८० लाख रुपये के लिए सारे प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को परेशान कर रहे हैं। आप को आमदनी के दूसरे श्रोत बताये जा चुके हैं और १४ करोड़ अभी सेल्स टैक्स का ही बाकी पड़ा है। १४ करोड़ का घपला आडिट रिपोर्ट में बतलाया गया है। करोड़ों रुपया ऋण में दिया गया है। उससे किसी तरह स्पीडी रिकवरी करके साढ़े सात करोड़ जनता को परेशानी और भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है। इन शब्दों के साथ में मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेज दें।

जो मनोबल की बात करते हैं तो आपने जो ४-४ टैक्सेज लगाये हैं इनसे मनोबल बढ़ेगा नहीं, घटेगा। जो प्रदेश का व्यक्ति अपना खून देने के लिये तैयार है वह टैक्सेज से पीछे नहीं जायगा लेकिन टैक्सेज के जो आधार हैं वह अनुचित हैं। इसलिये अच्छा होगा कि इसे जनमत को भेज दें और यह उचित ढंग से आये।

*श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक पर अपनी विचारधारा स्पष्ट की। मैं मंत्री जी से उम्मीद कर रहा था कि वह सही बात रखने की कृपा करेंगे, लेकिन इस विधेयक की आड़ में शिकार किया जा रहा है और धोखे को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टट्टी खड़ी की गयी है । मंत्री जी बड़े गर्व से कह रहे थे कि अल्प आय वालों को कर से मुक्त किया जा रहा है और ३५०० रुपया टोटल ग्रास इन्कम जिसकी होगी उस पर लगाया जायगा । मैं इस बात को नहीं कह सकता कि हमारे माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझे, लेकिन मंत्री जी की वजह से सब गुमराह हो गये। इसमें सिर्फ एक "परसन" की डेफिनीशन बताना चाहता हूं। हिन्दी में दिया हुआ है कि "व्यक्ति के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार, कम्पनी, निगमित निकाय, फर्म सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी है यानी परसन के माने हिन्दू अनडिवाइडेड फैमिली । एक आदमी के चार लड़के हैं और चारों चपरासी हैं और ७५ रुपया पाते हैं । तो चारों की तनख्वाह ३०० रुपया हो गयी और उसकी आय ३६०० रुपये हो गयी जिस पर आप टैक्स लगायेंगे । इधर आप कहते हैं कि अल्प आय वालों को मुक्त करना चाहते हैं तो क्या एक बाप के चार लड़के जो चपरासी हैं उन पर भी टैक्स लगेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

यह जो उदाहरण कमलासिंह जी ने दिया है कि चपरासियों पर इस तरह से टैक्स लग जाता है, इस पर मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

श्री जयराम वर्मा—

वह तो मैं जवाब में कहूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं दावे के साथ कहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब दें । एक परिवार है, जिसमें एक क्लर्क है । वह डेढ़ सौ रुपया महीना पाता है और उसकी वाइफ है वह भी डेढ़ सौ पाती है । बाकी परिवार को छोड़ दीजिये । तो ३०० रुपये उन सबकी आमदनी हो गयी । क्या आप उनको छोड़ने जा रहे हैं ? यह श्रीमन, ला है, चूं चूं का मुरब्बा तो है नहीं । जो डेलीगेशन आफ पावर्स हम सरकार को देने जा रहें हैं वह पावर्स यह अपने अधिकारियों को गे । वह अधिकारी टैक्स निर्धारण करेंगे । व्यक्ति की जो डेफिनेशन इसमें दी गयी है उससे बड़ा भ्रम होगा ।

दूसरी बात मैं अपील के बारे में यह पूछना चाहता हूं कि जिस परिवार में एक बाप है, चार बच्चे हैं, उसमें से रिटर्न दाखिल करने का तथा अपील आदि करने का किसका कर्त्तव्य होगा । कौन रिटर्न दाखिल करेगा ? इसके अन्दर कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि हैड आफ दि फैमिली उसको दाखिल करेगा । कौन आदमी अपील करेगा ? इसके अन्दर क्षुब्ध व्यक्ति दिया गया है । जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया, क्षुब्ध तो चारों चरपरासी होंग, इसका मतलब यह होगा कि चारों दाखिल करें । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको स्पष्ट करें ।

इसके अलावा श्रीमन, खंड २१ (क) को देखें, इसमें लिखा है कि "किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना ।" मान लीजिये कि हस्बैंड और वाइफ दोनों सर्विस करते हैं । वाइफ ,अगर पर्दानशीन है, तो उसको भी आप तलब कर सकते हैं, और इसको भी बयान आदि के लिये विवश कर सकते हैं ।

इस विधेयक की खंड ९ को आप देखें । इसमें यह है कि जो सरकारी नौकर हैं या कहीं और किसी संस्था आदि में काम करते हैं तो वहां काम करने वालों के वेतन में से वह कर काट लिया जायेगा । जो अन–डिवाइडेड फैमिली होंगी उनका क्या होगा, कैसे इसको ठीक करेंगे ? खड १३ (३) में आपने लिखा है कि यदि उक्त कर या शास्ति का भुगतान उक्त दिनांक को या उसके पूर्व न किया जाय तो देनदार व्यक्ति बाकीदार समझा जायेगा । जो उदाहरण मैंने पहले दिया, क्या चारों चपरासी बाकीदार समझे जायेंगे ? क्या चारों पर शास्ति होगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

अपील के बारे में खंड १५ में प्राविजन है । इसमें क्षुब्ध व्यक्ति के लिये लिखा है कि वह अपील कर सकता है । क्या चारों चपरासी जो क्षुब्ध व्यक्ति हैं वे अपील करेंगे ? आप कही पर भी स्पष्ट नहीं हैं । इस कर से लोगों को बड़ी दिक्कत होगी । इस तरह की कई एनामालीज इस विधेयक के अन्दर मौजूद है इसीलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप पुर्नविचार करें और मेरे प्रस्ताव को मान कर इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दें ताकि ऐसी बहुत सी खामियां जो विधेयक के अन्दर हैं उन पर डिटेल में डिस्कस करके सदन के सामने रखा जा सके । अगर यह न हो सके तो आप एक प्राइवेट कमेटी ही बैठा दें जो इस सारे मामले को अच्छी तरह से देख ले ताकि सारी दिक्कतें दूर हो सकें । अगर १५ दिन वाली बात आपको स्वीकार नहीं है तो ४ दिन में ही प्राइवेट कमेटी आपके अधिकारियों को बुला कर समझ लें ताकि कोई ऐसी बात न हो जो प्रदेश की जनता के लिये कुठारघात हो और उसका नतीजा यह हो कि हम जो अपने सैनिकों का या अपने देश के लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं उसमें कोई अन्तर या गड़बड़ी न हो । इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण कर देंगे ताकि सब बातें साफ हो सकें ।

श्री जयराम वर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले ही इस माननीय सदन में निवेदन कर चुका हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय तीसरी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय के दुगुना से अधिक होने वाला है और हमें अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये काफी धन जुटाने की आवश्यकता है । वह धन किस तरह से जुटाया जाय ? यदि कोई ऐसा तरीका या उपाय निकाला जाय ताकि नया कर न लगाना पड़े तो इससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता । लेकिन वह कौन सा तरीका हो सकता है ? हमें पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने हैं । किसी एक उपाय से अगर हम इसके लिये साधन न जुटा सके तो हमें पूरा संशोधन जुटाने के लिये बहुत से साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक हैं। मैंने बतलाया कि उसके लिये जरूरी है कि बकाया टैक्स की वसूली की जाय । उसकी वसूली की पूरी कोशिश की जा रही है और टैक्स वसूली पहले के मुकाबले मेंअच्छी हुई है । जो हमारे पुराने टैक्स हैं उनमें जहा सुधार करने की जरूरत है सुधार किया जाय, कोई त्रुटि हो उनको दूर किया जाय और उससे आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाय । अगर कहीं करापवंचन के लिये कोई लूप होल्स हैं तो उनको दूर किया जाय और उसकी आमदनी बढ़ायी जाय । उसके लिये भी प्रयास किया जा रहा है । जो हमारा पुराना कानून है उसमें संशोधन किया गया है और उसके द्वारा टैक्स की दर बढ़ा कर आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया है ।

दूसरा विधेयक जो भूमि भवन कर सम्बन्धी आपने पास किया है उसमें सरकार को अधिकार है कि वह विभिन्न दरों से भूमि भवन कर लगा सकती है । जो कमी है उसको पूरा करने के लिये सरकार ऐसे कारोबार के भू-गृहादि पर जहां कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं, कुछ ज्यादा कर लगा सकती है। साथ ही जो लोग टेम्पोरेरी कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट के अंतर्गत आने वाले मकानों में रहते हैं वे उनसे लाभ उठाते हैं और समान कर पड़ने से उनके ऊपर बहुत कम असर पड़ता है । इसीलिये इस ऐक्ट में संशोधन किया गया है कि ऐसे लोगों से कुछ ज्यादा टैक्स लिया जाय । अगर प्लान के लिये हमें साधन जुटाने हैं तो आवश्यक है कि नये कर लगाये जायं और साथ ही जो खर्च है उसमें कमी की जाय । आज जो खर्चा है उसमें कमी की जा रही है । इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रशासन की दक्षता में कोई कमी न आने पावे, जितना खर्च कम कर सकते हैं कम किया जाय । खर्च कम करने के आदेश जारी भी हो चुके हैं और अगर ये सब तरीके अपनाये जायें तो जितने साधन या पैसे हम चाहते हैं, उतने जुटा सकते हैं । मैंने केवल यह प्रार्थना की थी कि केवल बकाया की वसूली से काम नहीं चलने वाला है । बकाया वसूली पूर्ण हो नहीं सकती क्योंकि ३१ मार्च तक जो टैक्स लगता है

वही पहली अप्रैल को बकाया हो जाता है । इसलिये कभी भी यह स्थिति पैदा नहीं हो सकती कि आप कह सकें कि कर का बकाया नहीं है। बकाया हमेशा रहेगा । और यदि हम उसे सब का सब वसूल भी करलें तो वह स्थायी आय नहीं है, केवल एक साल के लिये होगा, और उसके १४ करोड़ ९२ लाख के कोटे की पूर्ति हो जायगी । इसलिये स्थायी आय जुटाने से ही काम चलेगा । सभी उपायों को साथ साथ प्रयोग में लाकर साधन जुटाने की बात की जा रही है । सबका सामूहिक परिणाम होगा कि हम योजना के लिये पूरे साधन जुटा सकेंगे ।

शिकायत की गई कि २५० रुपये तक ही टैक्स क्यों लगाया जा रहा है । माननीय सदस्य जानते हैं कि संविधान हमको इजाजत नहीं देता है । अगर संविधान में वह सीमा बढ़ जाय तब तो बात दूसरी है । लेकिन आज सीमा के भीतर रहते हुये २५० रुपये से ऊपर टैक्स लगाना सम्भव नहीं है ।

माननीय त्रिपाठी जी यह कह रहे थे कि उनको आशंका है कि २५० की सीमा का पूरा टैक्स हमको नहीं मिलने वाला है । क्योंकि संविधान की धारा २७६ के अनुसार स्थानीय संस्था और राज्य सरकार दोनों का टैक्स मिलाकर २५० रुपये हो सकता है । यह खयाल सही नहीं है । दोनों अलग-अलग लगा सकते हैं । यह हमने एडवोकेट जनरल से भी पूछ लिया है और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है इस तरह की ।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ३५००रु० पर १२ रुपये रखा है और फिर ४ और ५ हजार के बीच के लिये जो बढ़ाया गया है, उसमें काफी अंतर हो गया है और यह आमदनी के अनुपात में नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका ध्यान आर्टिकिल ३०४ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया है :

"Notwithstanding anything in Article 301 or Article 303, the Legislature of a State may by law—

(*a*) impose on goods imported from other States or the Union territories any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced ; and

(*b*) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest :

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b)—यानी ट्रेड और कार्म्स वगैरह से संबंधित जो कानून बनेंगे—shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President."

तो इसमें प्रेसीडेंट की सैंक्शन नहीं मिली है और यह विधेयक पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री अधिष्ठाता---

यह बात आपको शुरू में ही उठानी चाहिये थी, अब नहीं ।

श्री कमलासिंह यादव---

लीगल आसपैक्ट तो किसी समय उठाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता---

नहीं । व्यवस्था का प्रश्न पहले आना चाहिये था ।

श्री जयराम वर्मा---

एक माननीय सदस्य ने राय दी थी कि आमदनी के अनुपात से लगाया जाय तो ज्यादा न्यायसंगत होगा और उस तरह से सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो सकेगी ।

[श्री जयराम वर्मा]

आपके कहने के अनुसार यह मतलब हो जाता है कि १ रुपया आमदनी वाले पर भी टैक्स लग जाय। हम ३५०० रुपया तक की आमदनी वाले पर टैक्स नहीं लगायेंगे। अब ३५०० से ऊपर आप किसी भी प्रतिशत से टैक्स लगा दीजिये, उसका अनुपात क्या होगा? इसलिये यह तर्क करना कि उसकी आमदनी से टैक्स का अनुपात समान न होगा, वह सामाजिक न्याय नहीं होगा, यह ठीक न होगा। वरना उसके मानी हो जायेंगे कि आप एक रुपया वाले को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिये यह बात नहीं चल सकती। अब ३५०० से ऊपर ४००० तक हमने केवल १२ रुपया लगाया है, यानी उसके ऊपर कर का बहुत थोड़ा भार डाला है। इसी प्रकार जैसे जैसे आगे बढ़ते गये हैं कर का भार थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले गये हैं। इससे तो यही साबित होता है कि कम आमदनी वालों पर कर का भार बहुत कम पड़ता है।

एक साहब ने यह भी कह दिया कि १२००० से ऊपर सब पर २५० रुपया टैक्स है। जिसकी आमदनी २५–३० हजार है उस पर भी २५० रुपया लगेगा। लेकिन २५० से अधिक टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं है। इसलिये उनकी यह बात भी बेकार सी हो जाती है।

माननीय कमलासिंह जी ने एक आपत्ति यह उठायी कि अविभाजित हिन्दू परिवार भी तो व्यक्ति की परिभाषा में आता है। अगर किसी एक परिवार में कई व्यक्ति नौकरी करते हैं तब उन सबकी आमदनी मिला कर जोड़ ली जायगी। यह बात सही है कि उनके परिवार के सारे सदस्यों की आमदनी जोड़ ली जायगी, और उस पर टैक्स लग जायगा। लेकिन उनका यह कहना ठीक नहीं है कि चार व्यक्ति हैं तो चारों अपील करने के लिये जायेंगे। अविभाजित परिवार का जो भी कर्त्ता होगा, वही अपील करेगा। जो रिटर्न दाखिल करेगा वही अपील करेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें यह कहां लिखा है ?

श्री जयराम वर्मा—

इसमें 'व्यक्ति' शब्द लिखा है और व्यक्ति की परिभाषा इसमें दी गयी है। व्यक्ति में अकेला व्यक्ति भी आ गया, कम्पनी भी आ गयी और अविभाजित हिन्दू परिवार भी आ गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

प्राधिकारियों को इसमें रिश्वत लेने की बहुत छूट है। वे इसका मनमाना अर्थ लगायेंगे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

अविभाजित हिन्दू परिवार का कौन व्यक्ति अपील करेगा, या सारे के सारे करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—

जो उस परिवार का कर्त्ता है जो उसको रिप्रेजेन्ट करता है, वही अपील करेगा। अविभाजित हिन्दू परिवार में जैसे कर्त्ता करता है वैसे ही यहां भी होगा। अ र आप यह कहें कि यह अविभाजित हिन्दू परिवारों पर नहीं लगेगा तो वह अलग तर्क की बात है लेकिन इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है।

एक माननीय सदस्य यह आपत्ति कर रहे थे कि अभी जो सिंचाई की व्यवस्था हो सकी है वह कुल खेती के अन्दर जो जमीन है उसके बहुत थोड़े से हिस्से पर ही हो पायी है। यह बात तो इस बात की दलील है कि हमको ज्यादा साधन जुटाकर इन सब चीजों को पूरा करना चाहिये ताकि खेती की तरक्की जल्दी हो सके और अधिक अन्न पैदा हो सके। इसका मतलब यह नहीं

है कि हम योजनाओं का प्रबन्ध न करें और उन को छोड़ दें और वह अपने आप पूरी हो जायेंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। माननीय नेकराम शर्मा ने खंड १८ को पढ़ा नहीं और उन्होंने यह शिकायत कर दी कि अगर किसी ने गलती से विवरण प्रस्तुत न किया तो क्या ५०० रुपया जुरमाना लग जायगा ?

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने कहा था कि अगर किसी ने असत्य विवरण दिया तो क्या होगा, जुर्माना होगा ?

श्री जयराम वर्मा—

इसमें यह है कि यदि कोई मिथ्या विवरण प्रस्तुत करे, भुगतान का मिथ्या विवरण कपट रूप से प्रवंचन करे या अपने दायित्व को स्वेच्छापूर्वक छिपाये तो उस पर जुर्माना होगा। अगर इस पर भी जुर्माना न हो तो कब होगा ? माननीय विकल जी की तो राय है कि सजा भी हो।

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने असत्य विवरणी देने की बात कही थी।

श्री जयराम वर्मा—

वह कानून की बंदिश में आता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखें, उन्हें अधिक न समझायें।

श्री जयराम वर्मा—

इसलिये यह ५०० रुपये का जुर्माना न हल्का है न बहुत सख्त है, बीच की चीज है और यह व्यवस्था ही उचित है। बकाया के लिये इसमें व्यवस्था है कि जो बकाया रह जायगा वह बकाया मालगुजारी की तरह वसूल होगा और अगर कोई कर नहीं देता है तो उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है उस कर का आधा जो बकाया है। यह व्यवस्था बकाया की वसूली की आसानी के लिये जरूरी है ताकि दिक्कत उसमें न हो।

काशीनाथ जी कुछ तथ्य रखते हुये यह आक्षेप कर रहे थे कि कानपुर में कुछ मिल मालिकों को बिक्रीकर का १७–१८ लाख रुपया माफ कर दिया गया और सरकार ने यह बहुत बुरा किया। कई साल पहले की यह बात है। वहां के मिल मालिकों ने एक कर के बारे में पूछा कि यह कर लगेगा या नहीं और सदस्यों को यह ज्ञात ही होगा कि व्यापारी कोई कर अपने पास से नहीं देते वह वसूल करके ही सरकार को देते हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो हमारे बिक्री-कर कमिश्नर ने कह दिया कि कर नहीं लगेगा इसलिये.....

श्री कमलासिंह यादव—

एक श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस में अविभाजित हिन्दू परिवार की बात तो है, लेकिन मुसलिम या इसाई परिवार के लिये कोई बात नहीं है। तो क्या यह कर हिन्दू परिवारों के लिये ही है या अन्य सम्प्रदायों के लिये भी है ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री कुछ कहना चाहें तो जवाब दे दें।

श्री जयराम वर्मा—

मैं सेल्स टैक्स के बारे में कह रहा था। हमारे सेल्स टैक्स कमिश्नर ने कहा उस पर बिक्री कर नहीं लगेगा इस वास्ते व्यापारियों ने बिक्री कर वसूल नहीं किया। उनकी जगह

[श्री जयराम वर्मा]

दूसरे बिक्री-कर कमिश्नर आये। उनकी राय हुई कि वहां पर टैक्स लगना चाहिये था और पहले वाले कमिश्नर द्वारा जो सूचना दी गयी थी वह गलत थी। उसके बाद कर निर्धारण यह मान कर हुआ कि टैक्स लगना चाहिये था। व्यापारियों ने यह बात गवर्नमेन्ट के सामने रखी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब बिक्री–कर आयुक्त ने यह लिख कर दिया कि नहीं लगना चाहिये और दूसरे ने कहा कि लगना चाहिये तो यह १७ लाख रुपये का टैक्स पहले वाले कमिश्नर की जेब से क्यों नहीं वसूल किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

आपकी राय से तो हाई कोर्ट में यह बिल ही खत्म हो जायगा। क्यों आप इसे ठीक करा रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

जब व्यापारियों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और सरकार ने उनकी बात को ठीक समझा तो जो उन पर लगा दिया गया था उसे छोड़ दिया गया। उनके साथ कोई रियायत नहीं की गयी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

इसमें जो हिन्दू परिवार आया है इसे जरा साफ कर दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—

जैसा इनकम टैक्स वाले ऐक्ट में है वैसा ही यहां पर है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

हिन्दू परिवार में चार कमाने वाले हैं, लेकिन उनकी कमाई एक करके उस पूरी पर इनकम टैक्स लगा दिया जाता है इसके बरखिलाफ जो अहिन्दू परिवार हैं उसमें चार कमाने वालों की कमाई जोड़ी नहीं जाती है और इस तरह से उन पर एक में जोड़ कर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

जरा आप कानून में देखिये। अहिन्दू परिवारों में डिवाइडेड फेमिलीज को कोई मान्यता प्राप्त है या नहीं जिस प्रकार कि हिन्दू परिवारों को है ?

कुंवर श्रीपालसिंह—

मान्यता का सवाल नहीं है। हिन्दू परिवार में चारों परिवारों की आमदनी एक होगी और टैक्सेबिल होगी, लेकिन अहिन्दू परिवारों की आदमनी अलग-अलग होगी ?

श्री जयराम वर्मा—

हिन्दू संयुक्त परिवार की मान्यता है लेकिन मुसलमानों में संयुक्त परिवार की कोई मान्यता नहीं है। उनका अपना अलग अलग हिस्सा होता है और उन पर अलग-अलग उनके हिस्से पर कर लगेगा। इसलिये उन पर कोई इकट्ठा करके लगाने का सवाल नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

हिन्दू परिवार में चार साथ रह रहे हैं तो उनकी आमदनी पर जोड़ कर टैक्स लग जायगा, लेकिन अहिन्दू परिवारों में भले ही साथ रह रहे हों चार परिवार, लेकिन उन पर नहीं लगेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

क्या किया जाय ? विधि का ऐसा विधान है। अहिन्दुओं में कारपोरेट लाइफ नहीं मानी जाती है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रूखाबाद)—

यहां हिन्दू परिवार रखने की क्या आवश्यकता है ? "हिन्दू" शब्द निकाल दिया जाय ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं भी सहमत हूं कि " हिन्दू" शब्द निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

रक्षपाल सिंह का संशोधन हिन्दू अनडिवाइड फैमिली के संबंध में आ रहा है। उसे मान लिया गया तो समस्या अपने आप हल हो जायगी। मुसलमानों में कोई अनडिवाइडेड फेमिली नहीं होती, लिहाजा उन पर यह लागू नहीं होता ।

श्री जयराम वर्मा—

हिन्दू परिवार की एक मान्यता है जिससे इस तरह की चीज होती है। इसीलिये उनकी पूरी आमदनी पर टैक्स लगाने की व्यवस्था है। लेकिन मुसलमानों में अलग-अलग आमदनी होती है और अलग अलग सम्पत्ति होती है। इसलिये अलग-अलग आमदनी पर कर लगाया जा सकता है। कुछ माननीय सदस्य किसानों की बात कर रहे थे। वह इससे बरी हैं। खती इसमें छोड़ दी गई है। इसलिये इस अवसर पर किसानों की बात कहने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक लीगल फ्ला की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके हेडिंग में शब्द हैं " वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन "। ये शब्द डिफाइन होने चाहिये। लेकिन यह इसमें डिफाइन नहीं हैं। इसलिये इसी बुनियाद पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप रिड्राफ्टिंग के लिये इसको भेज दें। जो शब्द इसके हैडिंग में हैं उनकी परिभाषा आनी चाहिये। यह नहीं आ सकता है। इस पर अपनी व्यवस्था दीजिये। जो " शब्द वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन" हैं यह कहीं भी परिभाषित नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यदि किसी विधेयक में कोई शब्द परिभाषित नहीं रहता है तो परम्परा के अनुसार उनका अर्थ माना जाता है ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह ज्वाइंट स्टाक कम्पनी का प्रोसपैक्टस नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन जी, सारा कानून ही उसका प्रोसपैक्टस है।

श्री जयराम वर्मा—

उनकी यहां आवश्यकता नहीं थी इसलिये परिभाषा नहीं रखी गई है। जिनकी आवश्यकता थी उनकी परिभाषा रख दी गई है। मैं दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं और माननीय प्रस्तावक महोदयों स प्रार्थना करता हूं कि वे इनको वापस ले लें ।

श्री रामअधार कनौजिया—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कमीशन ने जो इनकम टैक्स में से हमें केवल ९ करोड़ रुपया दिया है वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में जिनको आबादी हमारे यहां से कम है और वह हम से तरक्की पर हैं। यह पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया गया है। इस संबंध में क्या प्रदेशीय सरकार भारत सरकार से अनुरोध करने जा रही है कि जो धन कम दिया गया है उसकी पूर्ति की जाय जिससे हमें अपनी जनता पर टैक्स न लगाना पड़े।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, यह बात नहीं है। हमने जो अपना हिसाब भेजा था इस बात का कि हमारी जो वर्तमान योजनायें हैं उनको चलाने के लिये अगले पांच वर्षों में हमें कितने रुपये की जरूरत पड़ेगी। वह हमने केन्द्र को ५५० करोड़ रुपये का हिसाब भेजा था। उसमें से हमको ३७३ करोड़ रुपया मिला जिस में से ५० करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा अध्यापकों के वेतन के संबंध में मिला है। पिछली दफा हमको केवल १५० करोड़ रुपया ही मिला था और चौथी योजना के लिये ३७३ करोड़ रुपया मिला है इस बात को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि हमको कम मिला पहले के मुकाबले में। पहले के मुकाबले में हमें ज्यादा मिला है, यह हमारे लिये सन्तोष की बात है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिये ६ मास तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर भेजे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएं २—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(१) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;

(२) "कर निर्धारण प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;

(३) "धर्मार्थ प्रयोजन" के अन्तर्गत निर्धनों को सहायता देना, शिक्षा, चिकित्सा सहायता देना और सामान्य जनोपयोगी किसी ऐसे अन्य उद्देश्य को बढ़ाना है जिसमें लाभ के लिये कोई कार्य करना नहीं है ;

ऐक्ट संख्या १, १९५६।

(४) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ में यथा परिभाषित कम्पनी से है ;

(५) "सहकारी समिति" का तात्पर्य सहकारी समितियों के संबंध में तत्समय प्रचलित किसी विधि में यथा परिभाषित सहकारी समिति से है ;

(६) "व्यक्ति" के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार, कम्पनी, निगमित निकाय, फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी है ।

(७) " नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(८) "पूर्व वर्ष" का तात्पर्य उस वर्ष के जिसके लिये कर निर्धारित किया जाना हो, ठीक पहले के ३१ मार्च को समाप्त होने वाले बारह महीनों से है ;

(९) सरकार, स्थानीय, प्राधिकारी, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन वाले निगम, कम्पनी अथवा सहकारी समिति के अधीन सेवायोजित व्यक्ति के अभिदेश में "मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य उस सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, निगम अथवा समिति के ऐसे अधिकारी से है जो नियत किया जाय ;

(१०) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;

(११) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(१२) "कुल सकल आय" का तात्पर्य राज्य के भीतर किसी व्यक्ति को कृषि से भिन्न किसी वृत्ति, व्यापार, या आजीविका अथवा सेवायोजन से प्रोद्भूत या प्राप्त कुल आय से है और इसके अन्तर्गत वेतन के बदले में किसी परिलब्धि या लाभ का मूल्य भी है ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं प्रताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (६) की प्रथम पंक्ति में शब्द, 'अविभाजित हिन्दू परिवार' निकाल दिये जाएं ।

श्रीमन्, यह बहुत ही आवश्यक संशोधन है, जिसके बिना यह विधेयक अदालत में जाकर अवश्य गैरकानूनी घोषित हो जायगा । यदि इस पक्ष को छोड़ भी दें तो जैसा इस समय संकटकाल में हमारे देश का वातावरण बना हुआ है, एकता का वातावरण व्याप्त है उसमें बाधा पड़ सकती है । इस विधेयक में हिन्दू और मुसलमान के बीच में विभेद करना उचित नहीं है । यह दोनों में वर्ग भेद पैदा करने वाली बात है ।

दूसरी बात, कानून के अन्दर जो परिवार है, उससे यदि पूरे परिवार की बात को हम छोड़ भी दें तो यदि एक पुरुष डेढ़ सौ रुपये का क्लर्क है और उसकी स्त्री भी डेढ़ सौ रुपये पर क्लर्क है और उन दोनों को मिलाकर आय ३०० रुपये हो जाती है तो वह भी इस कानून की परिधि में आ जाता है । एक पेयर जो हिन्दू परिवार का है उसकी आय कहीं कम होते हुये भी यह टैक्स लग जायगा, परन्तु यदि यही अवस्था मुसलमान या किसी अन्य धर्मावलम्बी की होगी तो उस पर

[श्री रक्षपालसिंह]

यह टैक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिन्दू परिवार में ज्वाइन्ट माना गया है जबकि अन्य समाजों में नहीं । मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या किसी मुसलमान परिवार में स्त्री अपने पति से अलग भी रहती है । यह जो इस तरह से विभेद पैदा किया गया है यह वर्ग विशेष को प्रभावित करने वाला है । इसके कारण से जो हिन्दू परिवार के गरीब लोग हैं और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हिन्दू परिवार में पैदा हो गये हैं जिनकी आय डेढ़ सौ रुपया भी है उन पर यह टैक्स पड़ जायगा और दूसरों पर नहीं लग सकेगा । इसलिये यह बड़ा आवश्यक है, आशा है इस मेरे संशोधन को मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकट—

हमारी सेक्युलर स्टेट कही जाती है, किन्तु कानून में परिवारों के मध्य इस प्रकार की भिन्नता रखना उचित नहीं मालूम पड़ता है । इसलिये जब आप कहते हैं कि जो छोटे क्लास वाले हैं, उन पर हम नहीं लगाना चाहते हैं, किन्तु इससे आपका कथन सत्य नहीं जान पड़ता है । तो इस प्रकार से आप छोटी आय वालों पर भी कर लगाना चाहते हैं । इससे बहुत कुछ उपद्रव पैदा किया जा सकता है और हो सकता है ।

श्री दयाराम शाक्य—

जो संशोधन रखा गया है, स्पष्ट रूप से देखने से यह साफ जाहिर होता है कि यह बिल बहुत अनुचित है । अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है कि हिन्दू ज्वायन्ट फेमली है, लेकिन मुसलमान परिवार की कोई ज्वायन्ट फेमली नहीं है इस कथन का कोई तर्क समझ में नहीं आता है, यह बिलकुल ही असंगत बात कही जाती है । यदि पहले से ही कानून में ऐसी बात दी रहती तो भी समझ में आता, किन्तु अब रखना बिलकुल उचित नहीं मालूम देता है । इस ऐक्ट से इस शब्द को हटाने में सरकार को क्या आपत्ति है समझ में नहीं आता है । यदि किसी हिन्दू परिवार में चार भाई हैं और चारों कमाते हैं तो चारों भाइयों की आय पर इकट्ठा मानकर टक्स कर दिया गया है और दूसरे समाजों पर नहीं है । मालूम होता है कि कानून बनाते समय वोटों का विचार रखा गया है । हिन्दू से इतर जो समाज है उनके लोग यदि लाभान्वित होंग तो कांग्रस को वोट मिलेगा, इसलिये उनको छोड़ दिया गया है । माननीय मंत्री जी हृदय म अवश्य सोचते होंगे कि भूल हो गयी, लेकिन अब वह जिद पर अड़ गये । तो जिद न कर के आप इसे स्वीकार करगे, इस प्राविधान को वापस लेंगे और इसमें दोष जो आ रहा है उसको वह ठीक कर देंगे ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं कहना है । अपने को सरकार धर्मनिरपेक्ष कहती है तो निरपेक्षता सब चोजों पर आंकनी चाहिये, लेकिन किसी एक धर्म क परिवार के ऊपर इस प्रकार से टैक्स लगा कर उसको टैक्स देने के लिये बाधित करना मेरी राय में अनुचित है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपस में बातें न करें, गम्भीरतापूर्वक सुनें, बड़े महत्व के विषय पर वार्ता हो रही है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

चार व्यक्तियों की आमदनी मिलाकर ३ सौ रुपये हो जाती है तो उसमें जो परिवार हिन्दुओं के अतिरिक्त हैं वह तो बच जायेंगे, लेकिन हिन्दू परिवार के चार व्यक्तियों की आमदनी यदि है तो चाहे एक छप्पर के नीचे रहते हैं चाहे एक घर में उनको एक में लिया जायगा जबकि दूसरे परिवार के लोग अलग अलग हो जावेंगे और उन पर टैक्स नहीं लगेगा संयुक्त रूप में

जबकि हिन्दुओं के संयुक्त परिवार पर लग जायगा। यह आपकी धर्मनिरपेक्षता वाली नीति के विरुद्ध है। और ४ को छोड़ भी दीजिये, मियां, बीबी को लीजिये, तो यह सरकार उनको भी अलग-अलग करवाना चाहती है। क्या परिवार नियोजन के लिये यह कोई नया तरीका सोचा गया है कि वह अलग-अलग रहे तो मियां बीबी यह कह कि वे अलग-अलग, उनकी चारपाइयां अलग, उनका चूल्हा चौका अलग ? तो यह बिलकुल गलत नीति है। इसमें केवल परिवार शब्द कर दें, परिभाषा कर दें ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें हिन्दू शब्द हटा देने से काम नहीं चलेगा, कुंवर श्रीपाल सिंह जी, या तो फिर इसको बिलकुल ही निकाल दिया जाय, तब हो सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आप चाहे जो कीजिये, लेकिन हिन्दू शब्द रख कर बहुत बड़ी ज्यादती हिन्दुओं के साथ है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर पुनः विचार करे। मैं प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी को एक दलील देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बड़े राष्ट्र हम पर इसलिये दबाव डालना चाहते हैं क्योंकि हम बड़े राष्ट्र हैं। इसलिये अपनी जमीन हम छोड़ दें और क्या हम बड़े राष्ट्र हैं इसलिये हमारी जमीन जमीन नहीं है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार क्या हिन्दू परिवार से अधिक इसीलिये चाहा जाता है कि हिन्दू यहां अधिक रहते हैं ? तो मैं यही निवेदन करता हूं कि धर्म निरपेक्ष राज्य में किसी विशेष धर्म पर अत्याचार नहीं होना चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, अब इसमें यह हो जायगा कि व्यक्ति के अन्तर्गत कम्पनी निगमित निकाय, फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ भी है, इन पर टैक्स लगेगा। इस तरीके पर यह अच्छा होता कि जो और भी हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगता। हमारे यहां आर्टिकिल १४ में यह दिया है :

"The State shall not deny to any person equality before the law".

और १५ में यह दिया है कि :

"The State shall not discriminate against any citizen on ground of religion."

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक हिन्दू परिवार में ४ चपरासी हैं और ७५ रुपए हर आदमी पाता है तो उनकी आमदनी ३०० रुपए हो जायगी जो गिनी जायगी। लेकिन अगर मुस्लिम परिवार में ४ चपरासी हैं तो उनके यहां आदमी की आमदनी ७५ रुपए ही गिनी जायगी। इस तरीके पर मैं देखता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेशन है। हिन्दू होने के नाते आप उसको पनिश करने जा रहे हैं। अगर कोई दूसरे धर्म का है मुसलमान है या क्रिश्चियन है तो उसको छोड़ने जा रहे हैं। इस तरह से धर्म के नाम पर उसके अन्दर यह अन्तर किया जा रहा है। इस तरीके पर इस कानून के जरिए से आज औरत और मर्द एक जगह नहीं रह सकते हैं। अगर मर्द १५० रुपए पाता ह और औरत १५० रुपए पाती है तो उस समय उनके लिए यह जरूरी हो जायगा कि वे सेपरेट हो जायं। उनको सेपरेशन दिखाना पड़ेगा। म समझता हूं कि हर ज्वाइन्ट फेमिली में हर भाई को अपने को अलग-अलग दिखाना पड़ेगा। एक एसा वातावरण आप पैदा कर रहे हैं कि जिससे मनोवृत्ति लोगों की ऊंची नहीं होगी। यह इस वक्त एक आपस में संघर्ष पैदा कर रहे हैं कि भाई-भाई अलग हो जायं। मर्द और औरत एक जगह न रहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मैं तो यह देखता हूं कि जिस तरह से सीलिंग के अन्दर हुआ था जब आपने ४० एकड़ का ऐक्ट पास किया कि सब एक दूसरे फैमिली से अलग हो गए थे। उसी तरह से इसके अन्दर भी होगा। इस टैक्स के अन्दर भी वही तरीका अपनाया जायगा। इस वजह से वह लोग भी बच जायंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप यह देखें कि संविधान के अनुच्छेद १५ के भाग ३ में यह दिया है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध अथवा धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" तो यह धर्म के आधार पर भेद हो रहा है। यह संविधान के विरुद्ध है।

श्री जयराम वर्मा—

यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है। हिन्दू परिवार को रखने की आवश्यकता है। हिन्दू परिवार संयुक्त होता है लेकिन मुस्लिम परिवार को इस तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं किया जा रहा है। दूसरी जगह जो कानून बने हुए हैं उनमें हिन्दू परिवार के अविभाजित होने पर टैक्स लगने की व्यवस्था है।

एक बात मैं जरूर मानने के लिए तैयार हूं। जहां और लोगों पर ३,५०० रुपए से ऊपर टैक्स लगने का विधान है वहां हम यह इसमें संशोधन कर सकते हैं कि संयुक्त हिन्दू परिवार में वही सीमा ६,००० रुपए हो जाय। तो हम यह करने के लिए तैयार हैं। खंड ५ में हम यह ६,००० रुपए तक विमुक्ति का संशोधन मानने के लिए तैयार हैं।

श्री अधिष्ठाता—

१५ मिनट या जब तक यह विधेयक पारित न हो सदन बैठेगा।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं संशोधन को वापस लेने की स्थिति में नहीं हूं। जो तर्क दिए गए हैं उनसे गरीब आदमियों पर भी टैक्स लगेगा और वर्ग विशेष पर भी टैक्स पड़ने वाला है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के उपखण्ड (६) की प्रथम पंक्ति में शब्द "अविभाजित हिन्दू परिवार" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३—४

कर का दायित्व

कर का दायित्व

३—प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्व वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान में, राज्य के भीतर, स्वयं अथवा किसी अभिकर्त्ता या प्रतिनिधि द्वारा व्यापार करता हो, या जो कृषि से भिन्न वृत्ति या आजीविका करता हो अथवा जो पूर्णतः या अंशतः सेवा-योजित हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, १ अप्रैल, १९६६ से और उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वृत्ति, व्यापार आजीविका

या सेवा योजन के सम्बन्ध में किसी ऐसे कर, स्थानीय कर, शुल्क या फीस के अतिरिक्त, जिसका वह तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन उस वृत्ति, व्यापार, आजीविका या सेवायोजन के सम्बन्ध में देनदार हो, कर का भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो छुट्टी पर हो इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायगा कि वह उस क्षेत्र के भीतर, जिसमें वह अपनी छुट्टी प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सेवायोजित था, सेवायोजित है।

पूर्व वर्ष की आय के आधार पर कर का अवधारण

४—इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा देय कर का अवधारण उसकी पूर्व वर्ष की कुल सकल आय के आधार पर किया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, आप खण्ड ५ में संशोधन देने वाले हैं। उसे भिजवायें। इसे मैं स्थगित करता हूं।

खंड ६ से १७
कर-निर्धारण और स्रोत पर कटौती

कर प्राधिकारी

६—कर निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें दिए जायें या उन पर आरोपित किए जायें ।

विवरणियां

७—प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का देनदार हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल से चार मास के भीतर कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों के साथ जो नियत किए जायें, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी पूर्व वर्ष की कुल सकल आय दी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण प्राधिकारी पर्याप्त कारण से विवरणी प्रस्तुत करने के दिनांक को बढ़ा सकता है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि उस व्यक्ति से जिसने धारा ५ की उपधारा (२) में उल्लिखित कर की अधिकतम धनराशि का भुगतान स्रोत पर ही कर दिया हो या उसे नियत रीति से सरकारी खजाने में जमा कर दिया हो, उस वर्ष के लिए जिसके लिए कर का इस प्रकार भुगतान किया गया हो या वह इस प्रकार जमा किया गया हो, कोई विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा न की जायगी।

कर निर्धारण

८—(१) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत विवरणी शुद्ध और पूर्ण है तो वह, लिखित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति का कर-निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय कर का अवधारण उस विवरणी के आधार पर करेगा।

(२) यदि कर निर्धारण प्राधिकारी का इस बात का समाधान न हो कि धारा ७ के अधीन प्रस्तुत विवरणी शुद्ध और पूर्ण है तो वह सम्बद्ध व्यक्ति पर नियत प्रपत्र में एक नोटिस तामील करेगा जिसमें उससे नोटिस में उल्लिखित दिनांक को और समय तथा स्थान पर या तो स्वयं उपस्थित होने या विवरणी के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा प्रस्तुत कराने की अपेक्षा की जायगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन नोटिस में उल्लिखित दिनांक को या उसके पश्चात् यथाशीघ्र कर निर्धारण प्राधिकारी, ऐसा साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाय, और ऐसा अन्य साक्ष्य जिसके प्रस्तुत किए जाने की वह अपेक्षा करे, लेने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति का कर निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय कर का अवधारण करेगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति धारा ७ द्वारा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत न करे या विवरणी प्रस्तुत करने के बाद उपधारा (२) के अधीन जारी किए गए नोटिस की अपेक्षाओं की पूर्ति न करे तो कर निर्धारण प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उस व्यक्ति का कर-निर्धारण करेगा और उसके द्वारा देय कर का अवधारण करेगा।

स्रोत पर कर की कटौती

९—(१) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा देय कर जो किसी सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन वाले निगम, कम्पनी अथवा सहकारी समिति के सेवायोजन में हो, मुख्य अधिकारी द्वारा नियत रीति से उस सेवायोजन के सम्बन्ध में उस व्यक्ति को देय वेतन, भत्ते, कमीशन या किसी अन्य पारिश्रमिक से काट लिया जायेगा।

मुख्य अधिकारी द्वारा विवरणी

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई कटौती करने वाला मुख्य अधिकारी करदाता को उसकी नियत प्रपत्र में रसीद देगा और कर निर्धारण प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसे ब्योरे देते हुए, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो नियत की जायें।

मुख्य अधिकारी द्वारा कर खजाने में जमा किया जाना

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी कर की कटौती करने वाला मुख्य अधिकारी उस कटौती के तीस दिन के भीतर उस धनराशि को सरकारी खजाने में नियत रीति से जमा कर देगा और उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों के साथ इस प्रकार जमा करने के साक्ष्य स्वरूप उस खजाने की एक रसीद भी प्रस्तुत करेगा।

मुख्य अधिकारी द्वारा अधियाचन पर किसी कर या शास्ति की कटौती किया जाना

१०—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी मुख्य अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी व्यक्ति को उसके सेवायोजन के सम्बन्ध में देय वेतन, भत्ते, कमीशन या किसी अन्य पारिश्रमिक में से कोई कर या शास्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा देय हो, काटे और मुख्य अधिकारी उस अधियाचन का पालन करेगा।

खजान में किया जाना

(२) उपधारा (१) के अधीन काटे गए कर या शास्ति को मुख्य अधिकारी कटौती करने के तीस दिन के भीतर सरकारी खजाने में जमा कर देगा और उसे इस प्रकार जमा करने के साक्ष्य स्वरूप एक रसीद कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजगा।

मुख्य अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व

११—यदि कोई मुख्य प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार जानबूझ कर किसी कर की कटौती न करे या कटौती करने के पश्चात उसको जानबूझ कर जमा न करे तो उसे इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसके द्वारा उपागत किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कटौती या जमा न किए गए कर के सम्बन्ध में बाकीदार समझा जायगा।

अध्याय ४

मांग, भुगतान और वसूली

कर का भुगतान

१२—(१) इस अधिनियम के अधीन देय कर या शास्ति का भुगतान नियत रीति से किया जायगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा ७ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने का दायित्व हो, विवरणी प्रस्तुत करने के पूर्व, उसके आधार पर देय कर की पूरी धनराशि सरकारी खजाने में जमा कर देगा और विवरणी के साथ उस भुगतान के साक्ष्य स्वरूप उस खजाने की नियत प्रपत्र में एक रसीद भी प्रस्तुत करेगा, सिवाय उस दशा में जब उस व्यक्ति द्वारा देय कर मुख्य अधिकारी द्वारा स्रोत पर ही काट लिया गया हो और वह व्यक्ति इस बात का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे।

मांग का नोटिस

१३—(१) यदि कोई कर या शास्ति इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसरण में दिए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप देय हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी सम्बद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों पर नियत प्रपत्र में मांग का नोटिस तामील करेगा जिसमें इस प्रकार देय धनराशि निर्दिष्ट होगी।

भुगतान करने का समय

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित मांग के नोटिस में निर्दिष्ट कर या शास्ति की धनराशि का भुगतान उस दिनांक तक किया जायगा जो मांग क नोटिस म निर्दिष्ट हो और यदि कोई ऐसा दिनांक निर्दिष्ट न हो तो उस धनराशि का भुगतान मांग का नोटिस तामील होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर किया जायगा।

बाकीदार

(३) यदि उक्त कर या शास्ति का भुगतान उक्त दिनांक को या उसके पूर्व न किया जाय तो देनदार व्यक्ति बाकीदार समझा जायगा।

मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

(४) यदि कोई व्यक्ति बाकीदार हो और धारा १० के अधीन कार्यवाही न कर ली गयी हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी आदेश देगा कि देय धनराशि मालगजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

शास्ति

१४—यदि कोई व्यक्ति बाकीदार हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी स्वमति से आदेश दे सकता है कि देय कर के अतिरिक्त कर के आधे से अधिक धनराशि बाकीदार से शास्ति के रूप में वसूल की जायगी।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अधिकारी पर, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार कटौतियां न करने या काटी गयी धनराशि जमा न करने पर कोई शास्ति आरोपित नहीं की जा सकेगी।

अध्याय ५

अपील और पुनरीक्षण

अपील

१५—(१) इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति उस आदेश के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को नियत रीति से अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण था तो वह उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीस और दिन की अवधि के भीतर अपील ग्रहण कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई अपील तब तक ग्रहण न की जायगी जब तक कि उसके साथ निर्धारित कर के आय तक का या कर की निर्विवाद धनराशि का, जो भी अधिक हो, भुगतान कर दिए जाने का सन्तोषजनक प्रमाण न हो।

(२) अपीलीय प्राधिकारी अपील पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे और उस आदेश की एक-एक प्रतिलिपि अपीलार्थी तथा कर निर्धारण प्राधिकारी को भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कर में तब तक कोई वृद्धि न की जा सकेगी जब तक कि करदाता को उस वृद्धि के विरुद्ध कारण प्रकट करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

पुनरीक्षण

१६—(१) पुनरीक्षण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय प्राधिकारी या कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, स्वतः अथवा क्षुब्ध व्यक्ति या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर उस मामले के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे मामले में, जिसमें आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती हो किन्तु वह प्रस्तुत न की गयी हो, कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा।

(२) जिस आदेश के विरुद्ध शिकायत हो उसकी जानकारी होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी पर्याप्त कारण प्रकट किए जाने पर तीस और दिन की अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र ग्रहण कर सकता है।

(३) पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना कोई ऐसा आदेश न देगा जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

स्पष्टीकरण—पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र को स्वीकार न करने का आदेश ऐसा आदेश नहीं समझा जायगा जिससे प्रार्थी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

धनराशि का लौटाया जाना

धनराशि का लौटाया जाना

१७—यदि इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि से अधिक कोई कर या शास्ति किसी व्यक्ति से वसूल की गयी हो या उसके द्वारा दी गयी हो, तो कर निर्धारण प्राधिकारी स्वतः अथवा, यथास्थिति, कर निर्धारण आदेश के तामील होने या अपील अथवा पुनरीक्षण कर दिए गए आदेश के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर इस प्रकार अधिक वसूल की गयी या दी गयी धनराशि लौटाने का आदेश दे सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ से १७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

अपराध

१८—यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक या जान-बूझ कर मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे या इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान का कपटपूर्ण रीति से अपवंचन करे या ऐसे कर के सम्बन्ध में अपने दायित्व को स्वेच्छापूर्वक छिपाए तो दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ-दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है। मिथ्या विवरणी और कपटपूर्ण अपवंचन के लिए दण्ड

श्री बलवन्तसिंह यादव—

श्रीमन्, मैं इस धारा का विरोध करना चाहता हूं। इस में मिथ्या विवरण या कपटपूर्ण अपवंचन के लिए दण्ड देने की व्यवस्था है। इस का निपटारा कैसे किया जायगा कि यह कपटपूर्ण अपवंचन है और उसका आधार क्या होगा? जो कर अधिकारी होगा उसको आप इतने अधिकार देने जा रहे हैं। वे जैसा चाहेंगे इन्टरप्रेटेशन करेंगे और वह कह सकते हैं कि तमाम बातें टैक्स इवेड करने के लिए गलत दी गयी हैं। इस प्रकार की विचारधारा उनकी हो सकती है। इसके लिए ५०० रुपया जुर्माने की व्यवस्था है। आप देखें कि १२ रुपया तो टैक्स होगा, शास्ति का १८ रुपया होगा और ५०० रुपया जुर्माना होगा। यह जुर्माना हमारे चपरासी पर भी हो सकता है। तो इस तरह से तो वे तबाह हो जायंगे। इस लिए मैं चाहूंगा कि इस मामले में ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें अर्थ दण्ड का सवाल न हो, बल्कि टैक्स का इवेजन रुके। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस धारा को निकाल दिया जाय।

श्री जयराम वर्मा—

५०० रुपया जुर्माने की सीमा दी हुई है। यह देखा जायगा कि कितना जुर्माना किया जाना चाहिए। सब पर ५०० रुपया जुर्माना नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९–२४

विविध

१९—यदि किसी कारण से, किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति का कर-निर्धारण न किया गया हो या उस पर कम कर निर्धारित किया गया हो तो कर निर्धारण प्राधिकारी, यहां पहले दी हुई किसी बात के होते हुये भी, उस वर्ष के, जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारण हो, अगले तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय कर के देनदार व्यक्ति पर ऐसे प्रपत्र में नोटिस तामील करेगा जो नियत किया जाय और उसके सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण करने की कार्यवाही कर सकता है, और इस अधिनियम के उपबन्ध, यथासम्भव, तदनुसार लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लिया जायगा जिस दर से वह उस दशा में लिया गया होता जब उस व्यक्ति का, यथास्थिति, कर निर्धारण या सम्पूर्ण कर निर्धारण छूट न गया होता।

छूट गयी आय का कर-निर्धारण

२०—(१) कर निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी उस कर निर्धारण अथवा आदेश के दिनांक से, जिसमें सुधार अपेक्षित

भूल सुधार

हो तीन वर्ष के भीतर किसी समय अभिलेख से ही स्पष्ट किसी भूल का सुधार स्वतः कर सकता है, और यदि तदर्थ कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो वह ऐसा सुधार अवश्य करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भूल सुधार जो कर-दाता के प्रतिकूल हो तब तक न किया जायगा, जब तक कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

(२) यदि निर्धारित कर में इस प्रकार की किसी भूल सुधार के परिणाम-स्वरूप कमी हो जाय तो कर निर्धारण प्राधिकारी यह आदेश देगा कि जो धनराशि उस व्यक्ति को देय हो, वह उसे लौटा दी जाय।

कोड आफ सिविल प्रोसीजर के अधीन अधिकार

२१—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही अधिकार होंगे जो किसी वाद का परीक्षण करते समय कोड आफ सिविल प्रासीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थित होने के लिए वाध्य करना और शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना; संख्या ५, १९०८

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना; और

(ग) ऐसे अन्तरिम आदेश देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों,

तथा इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ के अर्थों में, और उक्त संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए भी, न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी।

मुख्य अधिकारी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा

२२—कर निर्धारण प्राधिकारी, किसी मुख्य अधिकारी से ऐसे किसी या सभी व्यक्तियों के नाम और उनके पूरे पते मंगा सकता है जिनके अभिदेश में वह मुख्य अधिकारी है, और तब वह मुख्य अधिकारी कर निर्धारण प्राधिकारी को इस प्रकार मांगी गयी सूचना देगा।

वादों या अन्य कार्यवाहियों के विरुद्ध संरक्षण

२३—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण या दिये गये किसी आदेश को रद्द करने या उसे परिष्कृत करने के लिए कोई भी वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत न किया जायगा।

(२) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा दिये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के लिए किसी अधिकारी या किसी मुख्य अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार

२४—(१) राज्य सरकार, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) वे व्यक्ति जो मुख्य अधिकारी समझे जायेंगे;

(ख) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार कुल सकल आय की विवरणी प्रस्तुत की जायगी;

(ग) धारा ८ की उपधारा (२), धारा १३ या धारा १९ के अधीन करदाता पर तामील किये जाने वाले नोटिस का प्रपत्र;

(घ) वह रीति जिसके अनुसार मुख्य अधिकारी स्रोत पर ही कर की कटौती करेगा और उसे खजाने में जमा करगा;

(ङ) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार तथा वह समय जिसके भीतर मुख्य अधिकारी अपने द्वारा की गयी कटौतियों के संबंध में विवरणियां प्रस्तुत करेगा तथा वह प्रपत्र जिसमें वह उक्त कटौतियों की रसीदें देगा;

(च) अपीलों और पुनरीक्षणों की सुनवाई करने में अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) वह प्रपत्र जिसमें और वह रीति जिसके अनुसार करदाता द्वारा कर या शास्ति जमा की जायगी और सरकारी खजाने द्वारा रसीदें जारी की जायेंगी;

(ज) सभी अन्य विषय जिनका इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना अपेक्षित हो अथवा जो नियत किये जायें।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्यक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उस एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट म प्रकाशन क दिनांक स ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन उन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १९ से २४ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

कर की दरें

५—(१) कर अनुसूची में उल्लिखित दरों से लगाया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि १ अप्रैल, १९६६ से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कर उक्त अनुसूची में उल्लिखित दरों के आधे पर लगाया जायगा।

कर की सीमा

(२) किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए इस प्रकार देय कर दो सौ पचास रुपये से अधिक न होगा।

(३) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जिसकी पूर्व वर्ष में कुल सकल आय तीन हजार पांच सौ रुपये से अधिक न हो।

(४) भारत के सशस्त्र सेना के किसी सदस्य द्वारा कर देय न होगा।

(५) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जिसकी पूर्व वर्ष में कुल सकल आय धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए उपयोग की गयी हो।

श्री अधिष्ठाता---

मंत्रीजी, अब आप खंड ५ में जबानी ही संशोधन रख दें ।

श्री उग्रसेन---

क्या कोई सदस्य जबानी संशोधन रख सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

इसमें आप का ही लाभ है। यह कहीं नहीं लिखा है कि संशोधन लिखित ही दिया जायगा।

श्री जयराम वर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, खंड ५ के उपखंड (३) में जहां पर यह लिखा है कि "किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा" उसमें इस प्रकार से होगा कि "अविभाजित हिन्दू परिवार को छोड़ कर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय न होगा जिसकी पूर्व वर्ष में कुल सकल आय तीन हजार पांच सौ रुपये से अधिक न हो। किन्तु अविभाजित हिन्दू परिवार में ऐसी दशा में जब कि कुल सकल आय ६,००० से अधिक न हो तब तक कोई कर देय न होगा" इस प्रकार का संशोधन होगा। मैं इसको रखता हूं।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा खयाल है कि जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने रखा है उसके स्थान पर ऐसा रख दिया जाय कि खंड ५ के उपखंड (३) में निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाय, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अविभाजित हिन्दू परिवार के संबंध में जब तक कि उसकी आमदनी ६ हजार रुपया से अधिक न हो, कोई कर ऐसा नहीं लगाया जायगा।"

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

अधिष्ठाता महोदय, अभी जो संशोधन रखा गया है जिसमें ६,००० कर दिया है, अगर एक ही परिवार में ८ लोग रहते हैं तो क्या करेंगे ? उसमें १२,००० हो जाता है। तो इस हिन्दू विरोधी नीति के विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड ५ (१) में प्रथम पंक्ति में लिखे शब्दों से पूर्व 'उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' तथा खंड ५ (३) के अन्त में 'किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अविभाजित हिन्दू परिवार की दशा में उक्त राशि के स्थान पर '६ हजार रुपया समझा जावेगा', बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

कर की दरें

[धारा ५ (१)]

यदि वार्षिक कुल सकल आय–	कर की धनराशि रुपये
(१) ३,५०० रुपये से अधिक हो किन्तु ४,००० रुपये से अधिक न हो	१२
(२) ४,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ५,००० रुपये से अधिक न हो	३६
(३) ५,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ६,००० रुपये से अधिक न हो	६०
(४) ६,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ७,००० रुपये से अधिक न हो	८४
(५) ७,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ८,००० रुपये से अधिक न हो	१०८
(६) ८,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ९,००० रुपये से अधिक न हो	१३२
(७) ९,००० रुपये से अधिक हो किन्तु १०,००० रुपये से अधिक न हो	१५६
(८) १०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ११,००० रुपये से अधिक न हो	१८६
(९) ११,००० रुपये से अधिक हो किन्तु १२,००० रुपये से अधिक न हो	२१६
(१०) १२,००० रुपये से अधिक हो	२५०

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और सेवायोजनों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए — संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

एक सदस्य---

टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

वह तो मैं कर चुका हूं कि १५ मिनट और बढ़ाया जाता है। उसके अन्दर पास हो जायगा, वरना फिर देखा जायगा।

*श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। आप इसके उद्देश्य और कारण में देखें, उसमें जिक्र है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के परिव्यय का। दो बातों में से एक हो सकती है। आज जैसी कि युद्ध की परिस्थिति है जिसमें आप इसमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को शामिल किये हुए हैं। तो या तो योजनाएं चलायी जा सकती हैं या युद्ध के लिए तैयारी की जा सकती है। यदि पंचवर्षीय योजना में कोई कार्य होना हो तो युद्ध के काम को कैसे कर सकेंगे और जो युद्ध पाकिस्तान न छड़ रखा है इसके लिए आपके ध्यान की आवश्यकता है, तो यह योजनाएं कैसे चल सकेंगी? मेरा कहना यह है कि सरकार को कितने पैसे की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि साधारण व्यक्ति के लिए माननीय मंत्री जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पे कमीशन की। आज आपद्कालीन स्थिति में जिसमें कुछ क्लास के अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाती है। क्या उनके लिए आपाद्काल नहीं है? क्या उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे भी यह समझें कि आज देश युद्ध की स्थिति में है और युद्ध होने जा रहा है और वे भी कुछ बलिदान करें? ५५० करोड़ रुपया सरकार ने साधारण खर्च के लिए मांगा है, जिसमें पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की सिफारिशों से होने वाला खर्च भी शामिल है। इस रुपये में से ३७३ करोड़ रुपया केन्द्र से मिल रहा है और १७७ करोड़ रुपया सरकार को चाहिए। इसके साथ ही साथ चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए १,००० करोड़ की मांग है, जिसमें से ६०० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार दे रही है और शेष ४०० करोड़ में से २०० करोड़ रुपये के लोन्स चाहते हैं। इस प्रकार से उन्हें कुल २०० करोड़ रुपया की आवश्यकता है। युद्ध के लिए पांच साल के लिए १० करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इसको अपन बजट में कमी करके पूरा कर सकती है।

अभी कुछ दिन हुए हमने अखबारों में पढ़ा है कि हमारी सरकार ने १ करोड़ रुपये की बचत की है। यह तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी पुरुष को १०० रुपये वेतन मिलता हो और उसकी गृहणी एक रुपया बचा सकती हो।

श्री अधिष्ठाता---

आप की मंशा को हम भी समझ गये हैं। अब आप इसे समाप्त करें। समय काफी हो रहा है। यह बिल आज ही पास होना है।

श्री विजयसिंह---

श्रीमन्, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इस बिल का इसलिए भी विरोध कर रहा हूं कि सरकार एक ही काम कर सकती है या तो आपाद्काल के कारण प्लानिंग को एक तरफ रख दे या प्लानिंग का ही काम चला ले। आज आपको पैसे की जरूरत है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शायद आप समझ रहे हैं कि युद्ध होगा, लेकिन अगर युद्ध नहीं होता है तो फिर क्या जरूरत है ? इसे आप युद्ध के नाम पर क्यों लेते हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

खंड ५ (३) के अन्त में निम्नलिखित---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अविभाजित हिन्दू परिवार की दशा में उक्त राशि के स्थान पर 'छः हजार रुपया' रखा गया समझा जावेगा।"

तथा

खंड ५ (१) की प्रथम पंक्ति में लिखे शब्दों से पूर्व निम्नलिखित---

"उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए"

स्वीकार किये जा चुके हैं।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मैं इस विधेयक को सिद्धान्तः और हर अमली जामें में इसका विरोध करता हूं। यह अच्छा है कि आपने २००, ३००, ४०० और ५०० रुपया पाने वालों को छोड़ दिया है लेकिन वे १२,००० रु० से ज्यादा पाने वाले लोग कहां गये ? उन पर क्यों नहीं आपने कर लगाया। इसके संबंध में आप तर्क देते हैं कि चूंकि हमें २५० रुपया तक ही टैक्स लगाने को अधिकार है इसलिये हम उन पर कोई टैक्स नहीं लगा सकते है। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान की जिस तरह से और जितनी दुर्गति इस सरकार द्वारा हुई है शायद चांकाईशेक के जमाने में चीन में भी न हुई हो। इतने थोड़े समय में १४–१५ संशोधन कर दिए गये ह। हमारे देश में इस समय दो बड़े मिल मालिक हैं। एक हैं चीनी मिल मालिक और दसरे हैं कपड़े के मिल मालिक। अकेले देवरिया में १४ चीनी मिलें हैं। ४२ लाख रुपये शुद्ध लाभ वे कमा रहे हैं। अगर मिश्रित लाभ उनका जोड़ा जाय तो वह करोड़ों में बैठेगा। केन्द्रीय सरकार आज की आपत्तिकालीन स्थिति में जब हमारे फन्डामेन्टल राइट्स को सस्पेन्ड कर सकती है तो क्या माननीया मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार से इस धारा को सस्पेन्ड करने के लिये नहीं कह सकती हैं ? हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप कृपया बैठिये।

श्री उग्रसेन---

मास्टरों को ४–४ महीने तक वेतन नहीं मिलता है आज उन पर टैक्स लगाया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों को आपने छोड़ दिया है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को वापस लें। इससे जनता का मनोबल बढ़ेगा, अगर वापस नहीं लिया तो मनोबल कम होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल को रखने का सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों को ही सब से ज्यादा परेशान किया जा रहा है। इस मंहगायी के जमाने में जो सबसे ज्यादा परेशान तबका है उसी को इस विधेयक के द्वारा हिट किया गया है और दूसरे रास्ते थे जिनके द्वारा रुपया प्राप्त किया जा सकता था। इसलिये इस विधेयक का कोई मारल, लीगल, तथा न्यायोचित जस्टीफिकेशन नहीं है। जो सबसे सम्पन्न तबका था उससे टैक्स वसूल किया जा सकता था। एकोनामी करके रुपया प्राप्त किया जा सकता था। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर योजना को चलाना है और युद्धकालीन स्थिति से भी निबटना है तो उसके लिये रुपये की जरूरत होगी। आज युद्ध की स्थिति का मुकाबला करने के लिये पैसे की जरूरत है। योजना के किसी किसी अंग को अधिक बल देना होगा, उसके लिये भी पैसे की जरूरत होगी। पैसा कम कर देने से हम स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। खेती की तरक्की के लिये नाना प्रकार के साधन जुटाने होंगे, बिजली का उत्पादन बढ़ाना होगा, सड़कों का निर्माण करना होगा, जब इन सभी क्षेत्र में हम उन्नति करेंगे तभी हम युद्ध का मुकाबला कर सकेंगे और उस सबके लिये पैसे की जरूरत है। इसलिये यह ख्याल सही नहीं। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि हर एक टैक्स खराब है इस तरह तो कोई तरीका बिल चलाने का हो नहीं सकता। जो भी टैक्स लगाया जाय वह खराब है, गवर्नमेन्ट लादे तो खराब है। तो इस तरह हमारे पास कोई तरीका नहीं। हम चश्मा आंखों का कैसे बदलें। आंख पर पीला चश्मा है इसलिये हर चीज पीली दिखाई देती है। जिनको हमेशा संशय है उस संशय की कोई दवा नहीं मजबूरी है। इसलिये हम यही प्रार्थना करेंगे कि हर एक चीज को संशय से न देखिये। "संशयात्मा विनश्यति" कुछ विश्वास से काम करना पड़ेगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पारित कर दें और जो विरोध बेकार का है उसको वापिस करें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १६६५ जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२७ सितम्बर, १६६५।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३–५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर]

अनुसूची

उत्तर प्रदेश के फारेस्ट डिवीजन और उसके हेडक्वार्टर

सन् १९६३ के पर्व		इस समय (अर्थात् १–९–६५ को)	
फारेस्ट डिवीजन का नाम	हेडक्वार्टर	फारेस्ट डिवीजन का नाम	हेडक्वार्टर
१	२	३	४
पूर्वी वृत्त		**पूर्वी वृत्त**	
१–डाइरेक्शन डिवीजन	नैनीताल	१–डाइरेक्शन डिवीजन	गोरखपुर ।
२–उत्तर खरी ,,	लखीमपुर खीरी	२–दक्षिण गोन्डा	गोन्डा ।
३–दक्षिणी खीरी ,,	,,	३–उत्तर गोन्डा	,,
४–बहराइच ,,	बहराइच	४–बहराइच	बहराइच ।
५–उत्तर गोंडा	गोंडा	५–दक्षिण गोरखपुर	गोरखपुर ।
६–गोरखपुर ,,	गोरखपुर	६–उत्तर गोरखपुर	,,
७–पीलीभीत ,,	पीलीभीत		
८–दक्षिण गोंडा	गोंडा		
		केन्द्रीय वृत्त	
		१–डाइरेक्शन डिवीजन	लखीमपुर खीरी
		२–उत्तर पीलीभीत, ,,	पीलीभीत
		३–दक्षिण पीलीभीत ,,	,,
		४–दक्षिण खीरी ,,	लखीमपुर खीरी
		५–पश्चिम खीरी ,,	,,
		६––पूर्व खीरी ,,	,,
		७––खीरी-प्लान्टेशन ,,	,,
पश्चिमी वृत्त		**पश्चिमी वृत्त**	
१–डाइरेक्शन डिवीजन	नैनीताल	१–डाइरेक्शन डिवीजन	नैनीताल
२–हल्द्वानी ,,	,,	२–रामगंगा ,,	कालागढ़
३–राम नगर ,,	,,	३–राम नगर ,,	रामनगर
४–कालागढ़ ,,	लैन्सडाउन	४–हल्द्वानी ,,	हल्द्वानी
५–लैन्सडाउन ,,	,,	५–तराई व भावर ,,	,,
६–सहारनपुर ,,	देहरादून	६–हल्द्वानी प्लान्टेशन ,,	हल्द्वानी
७–देहरादून ,,	,,	७–राम नगर प्लान्टेशन,,	राम नगर
८–तराई व भावर ,,	हल्द्वानी		
९–हल्द्वानी प्लान्टेशन ,,	,,		

सन् १९६३ के पूर्व		इस समय (अर्थात् १-९-६५ को)	
फारेस्ट डिवीजन का नाम	हेडक्वार्टर	फारस्ट डिवीजन का नाम	हेडक्वार्टर
१	२	३	४
	शिवालिक वृत्त		
		१-डाइरेक्शन डिवीजन	देहरादून
		२-शिवालिक ,,	,,
		३-पश्चिमी देहरादून ,,	,,
		४-पूर्व ,,	,,
		५-लैन्सडाउन ,,	लैन्सडाउन
		६-कालागढ़ ,,	,,
		७-बिजनौर प्लान्टेशन ,,	कोटद्वार
	कुमाऊं वृत्त		कुमाऊं वृत्त
१-डाइरेक्शन डिवीजन	नैनीताल	१-डाइरेक्शन डिवीजन	नैनीताल
२-उत्तर गढ़वाल ,,	पौढ़ी	२-पश्चिम अल्मोड़ा ,,	अल्मोड़ा
३-दक्षिणी ,,	,,	३-पूर्व अल्मोड़ा ,,	,,
४-दक्षिणी अल्मोड़ा ,,	अल्मोड़ा	४-पिथौरागढ़ ,,	पिथौरागढ़
५-पश्चिम ,,	ननीताल	५-नैनीताल ,,	ननीताल
६-नैनीताल ,,	,,	६-स्वाइल कंजरवेशन ,,	रानीखेत
७-उत्तर अल्मोड़ा ,,	पिथौरागढ़		
८-स्वाइल कंजरवशन ,,	रानीखेत		
			गढ़वाल वृत्त
		१-डाइरेक्शन डिवीजन	देहरादून
		२-टहरी ,,	टेहरी नरेन्द्रनगर
		३-भिलंगना ,,	मुनी की रेती
		४-दक्षिण गढ़वाल ,,	पौड़ी
		५-उत्तर गढ़वाल ,,	गोपेश्वर
	टेहरी-गढ़वाल वृत्त		टेहरी-गढ़वाल वृत्त
१-डाइरक्शन डिवीजन	देहरादून	१-डाइरेक्शन डिवीजन	देहरादून
२-टोंस ,,	चकराता	२-चकराता ,,	चकराता
३-यमुना ,,	मसूरी	३-टोन्स ,,	चकराता
४-उत्तरकाशी ,,	उत्तरकाशी	४-यमुना ,,	मसूरी
५-टेहरी ,,	टेहरी	५-उत्तरकाशी ,,	उत्तरकाशी
६-चकराता ,,	चकराता	,,	,,

१	२	३	४
दक्षिणी वृत्त		**दक्षिणी वृत्त**	
१–डाइरेक्शन	डिवीजन इलाहाबाद	१–डाइरेक्शन	डिवीजन इलाहाबाद।
२–बुन्देलखण्ड	,, झांसी	३–बुन्देलखण्ड	,, झांसी
३–बांदा	,, बांदा	३–बांदा	,, बांदा
४–वाराणसी	,, वाराणसी	४–बुद्धी	,, मिर्जापुर
५–बुद्धी	,, मिर्जापुर	५–उत्तर मिर्जापुर	,, ,,
६–सोन	,, ,,	६–वाराणसी	,, रामनगर (वाराणसी)
		७–बुन्देलखण्ड स्वाइल कंजरवेशन	,, उरई।
भूमि प्रबन्ध वृत्त		**एक्सटेंशन वृत्त (विस्तारवृत्त)**	
१–डाइरेक्शन	डिवीजन नैनीताल	१–डाइरेक्शन	डिवीजन (कलक्टर (बकगंज) बरेली
२–उत्तरी दोआब	,, मेरठ	२–बृजभूमि	आगरा
३–दक्षिणी	इटावा	३–उत्तरी दोआब	मेरठ
४–बिजनौर	कोटद्वार	४–दक्षिणी	इटावा
५–रुहेलखण्ड	बरेली	५–रुहेलखण्ड	बरेली
६–वृजभूमि	आगरा	६–रेवीन रिकलेमशन	आगरा
कार्य योजना वृत्त		**कार्य योजना वृत्त–१**	
१–डाइरेक्शन	डिवीजन नैनीताल	१–डाइरेक्शन	डिवीजन नैनीताल
२–गोरखपुर वर्किंग प्लान	गोरखपुर	२–हल्द्वानी वर्किंग प्लान	हल्द्वानी
३–लैन्सडाउन	लैन्सडाउन	३–तराई व भावर	,,
४–टोन्स ,,	चकराता	४–चकराता	,, चकराता
५–बहराइच ,,	बहराइच	५–दक्षिणी गोडा	,, गोन्डा
६–फारेस्टर्स ट्रेनिंग ,,	नैनीताल	६–फारेस्टर्सट्रेनिंग	,, (१) ,,
७– ,, ,,	देहरादून	७–	,, ,, (२) ,,
		८–	,, ,, (३) ,,
अतिरिक्त कार्य योजना वृत्त		**कार्य योजना वृत्त–२**	
१–डाइरेक्शन	डिवीजन नैनीताल	१–डाइरेक्शन	डिवीजन नैनीताल
२–सिल्वीकल्चर ,,	(१) ,,	२–वाराणसी वर्किंग प्लान	–– राम नगर (वाराणसी)
३– ,,	,, (२) ,,	३–पश्चिमी अल्मोड़ा	अल्मोड़ा
४–बान्दा वर्किंग प्लान	डिवीजन बांदा	४–बुन्देलखण्ड वर्किंग प्लान	डिवीजन झांसी
५–टेहरी वर्किंग प्लान ,,	टेहरी	५–लार्गिंग	उत्तरकाशी
६–फारेस रिसोर्सेज सर्वे ,,	नैनीताल		
७–बुद्धी वर्किंग प्लान ,,	मिर्जापुर		

१	२	३	४
मुख्यालय वृत्त		अनुसंधान एवं विकास वृत्त	
१–डाइरेक्शन डिवीजन,	लखनऊ	१–डाइरेक्शन डिवीजन,	लखनऊ
२–अवध	,, ,,	२–अवध ,,	,,
३–गोमती राप्ती एफोरेस्टेशन	डि० ,,	३–एफारेस्टेशन ,,	फैजाबाद
४–फारेस्ट इक्सटेंशन डिवीजन	,, ,,	४–सिल्वीकल्चर (१) ,,	हल्द्वानी
		५– ,, (१) ,,	नैनीताल
		६– ,, (३) ,,	कानपुर
		७–फारेस्ट रिसोसेज सर्वे ,,	लखनऊ
		८–फारेस्ट यूटीलाइजेशन ,,	,,
जनरल डाइरेक्शन		जनरल डाइरेक्शन	
१––जनरल डाइरेक्शन डिवीजन, नैनीताल, लखनऊ		१––जनरल डाइरेक्शन डिवीजन, लखनऊ ।	
२––मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, लखनऊ ।			
३––फारेस्ट यूटीलाइजेशन, डि०, ननीताल ।			

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर]

अप्रैल, १९६२ से जून, सन् ६५ तक उत्तर प्रदेश का जिलेवार वार्षिक सीमेन्ट, एलाटमेंट तथा प्राप्तियों के आंकड़े (संख्या टनों में)

क्रम-संख्या	जिला	एलाटमेन्ट २-६२-६३	प्राप्ति २-६२-६३	एलाटमेन्ट ६३-६४	प्राप्ति ६३-६४	एलाटमेन्ट ६४-६५	प्राप्ति ६४-६५	एलाटमेन्ट २-६५	प्राप्ति २-६५
१	देहरादून	६,२१०	३,६८३	६,१२१	५,१०९	३,८४१	३,८८७	५७५	३७१
२	सहारनपुर	७,८९१	४,५६१	७,७४०	५,४४८	६,४६३	६,२८९	१,४४९	५४४
३	मुजफ्फरनगर	७,५९०	६,०८५	६,८३३	६,०२३	७,६१३	२,९४९	१,१५०	२८६
४	मेरठ	१५,१३४	१४,३७८	१३,८४९	११,०९८	११,०४०	७,४३३	३,२२०	९०८
५	बुलन्दशहर	७,७५१	७,१२७	७,८५४	८,९१३	६,९४६	६,६९४	२,७३७	१,२९३
६	अलीगढ़	११,०४०	९,२७०	१०,५५०	११,६७३	१७,३८८	१०,८५३	४,४३१	१,५३५
७	मथुरा	६,०७२	६,३९८	६,०७०	६,१६३	६,३२५	४,६७३	२,५७६	१,१६९
८	आगरा	२०,५६२	१२,५८९	१८,९१२	१५,७७९	१३,५९३	११,५९१	४,२०९	२,८१६
९	मैनपुरी	६,२७९	५,३५६	६,१९६	६,१२०	५,७७३	४,६८७	१,५४१	१,५९५
१०	एटा	६,३९४	६,०६२	६,०७०	५,४८५	५,५८९	५,१४७	१,७४८	१,१७६
११	बरेली	९,५९१	१,१४६	८,९१९	अप्राप्त	७,८६६	३,८९०	२,०९३	७९०
१२	बिजनौर	४,१६३	३,८४१	३,७८६	३,४१०	४,६९२	३,२०९	१,४०३	५५२
१३	बदायूं	५,०८३	३,८५६	४,९७३	४,०२९	५,६७३	३,५४७	१,३४९	७६४
१४	मुरादाबाद	८,६९४	७,३६९	८,०६६	७,४४३	७,४५५	६,८८९	३,५४२	१,०९७
१५	शाहजहांपुर	५,०६०	२,७८४	४,७०९	३,४६०	४,४३९	२,२२८	१,३५७	७८३
१६	पीलीभीत	४,१६३	१,५०२	३,७९०	२,११४	३,३२०	२,१३५	१,२१९	५२९
१७	रामपुर	५,५४३	२,३३५	४,९७३	२,९३२	३,१६५	३,६२६	१,०८१	६९७
१८	फर्रुखाबाद	५,८८८	४,५५१	४,९७३	३,८१३	५,६३५	३,७८९	२,२७७	२,०२४

क्रम-संख्या	जिला		एलाटमेन्ट २/६२–६३	प्राप्ति २/६२–६३	एलाटमेन्ट ६३–६४	प्राप्ति ६३–६४	एलाटमेन्ट ६४–६४	प्राप्ति ६४–६५	एलाटमेन्ट २/६५	प्राप्ति २/६५
१९	इटावा		६,०७२	५,४७९	५,५८९	५,०९०	४,६६९	२,९०१	१,८१७	१,०५८
२०	कानपुर		२०,५४७	१६,६६२	१८,७१२	१५,२४१	१४,२५०	१०,२७०	३,५४२	३,५६५
२१	फतेहपुर		२,८५२	२,१३९	२,७३९	१,३९०	३,५८४	२,४००	१,०८१	४३६
२२	इलाहाबाद		१७,९१७	१३,५१८	१६,४४२	१३,०८७	१९,२१९	८,८१७	२,९९०	१,९११
२३	बांदा		३,३१२	२,१४०	३,०२६	२,५२२	४,०७१	२,६९१	१,३३४	७८६
२४	हमीरपुर		२,९२१	४,२०३	२,९८०	३,२४७	४,३०८	४,३८९	१,३३४	१,२९६
२५	झांसी		३,८८७	३,५१९	३,६३३	३;४४२	४,६६९	३,३३७	२,११६	९८३
२६	जालौन		३,६३४	३,९१९	३,३५४	३,६०३	३,५२७	२,१४१	१,०५८	६९६
२७	वाराणसी	..	१४,६४८	१६,३९७	१३,७२३	१३,०९३	१०,९३०	६,९८९	२,१३९	१,२४२
२८	मिर्जापुर	..	३,१०५	४,६५२	२,७०३	२,५३२	३,४९३	२,३४१	९१९	५५६
२९	जौनपुर	..	६,५०९	५,१२९	६,२०८	२,८६६	१२,३२८	३,२७२	३,०३६	१,९६१
३०	गाजीपुर	..	५,०३७	५,६८६	५,१४३	५,२०८	११,८९८	४,४०८	२,११६	१,९५७
३१	बलिया		६,६७०	४,४८०	६,७३५	४,६२७	७,६१३	३,३६३	१,२६५	१,०७०
३२	गोरखपुर		८,८५५	८,२७९	८,२२४	४,४६६	१३,५७०	३,३०६	२,३४६	२,४२६
३३	बस्ती		५,९११	५,५६६	५,५६२	३,८२३	१३,०४९	३,४१३	३,६८०	२,८२७
३४	आजमगढ़	..	६,३९४	९,९०६	६,५५४	८,७५३	१२,१९०	७,६३८	२,५०७	१,५४५
३५	देवरिया	..	६,३९४	६,१६१	६,३९२	५,०८१	१७,१२१	४,४०१	३,५३६	१,२०१
३६	नैनीताल	..	६,६४७	३,९५१	६,१७१	४,००५	३,६३४	२,५९५	६४४	४६६
३७	अल्मोड़ा	..	३,०१३	६०३	३,०२६	१,२९७	२,३२३	१,५९३	४८३	१९०
३८	गढ़वाल	..	२,५४७	८४८	२,५७८	१,०९८	२,३५५	१,३५२	३६८	२१३
३९	टी० गढ़वाल	..	२,०२४	७१३	२,०८०	९४६	१,८६३	८५१	६६७	९४
४०	लखनऊ	..	२०,११८	१५,४८०	१८,४७५	१३,८३८	१२,५५८	७,९६६	२,२१३	१,५४१
४१	उन्नाव	..	३,६५७	२,९०७	३,६८९	१,२३८	४,१६३	२,९४२	१,२४२	६४१
४२	राय बरेली	..	२,८६९	४,३२६	२,५८८	२,६६६	३,२८९	१,९०७	१,१५०	३४०

४३	सीतापुर	..	४,६२३	१,४७६	४,११४	३,६५५	४,१८७	१,६७३	१,४७२	३८३
४४	हरदोई	..	४,६२३	४,३८६	४,११४	३,८२५	३,८८७	१,७२३	१,७०२	६७३
४५	खीरी	..	३,६३६	२४,१२७	३,५८७	३,६७०	३,४२७	२,२१८	६६६	१४२
४६	फैजाबाद	..	५,४६७	४,२५३	४,६८३	४,०८५	८,१४२	३,७०३	१,८८६	७२४
४७	गोंडा	..	४,२१५	३,२३२	३,६३८	३,२४८	६,६६७	२,३०३	४,३०१	१,६६०
४८	बहराइच	..	२,८५२	२,४५४	२,५८६	२,४५३	८,००४	२,८५४	३,६११	१,०६८
४६	सुल्तानपुर	..	२,८५२	१,८६२	२,५८६	१,७३३	७,४२६	२,६७२	१,३३४	८२२
५०	प्रतापगढ़	..	२,८५२	२ ४००	२ ५८६	२,०७६	३,३३५	१,७५६	१,३३४	४१३
५१	बाराबंकी	..	३,४६३	३ ७६६	३,४१३	२,६४३	४,१८६	१,६८६	१,३५७	४२६
५२	पिथौरागढ़	..	६१३	२१०	३४५	२१३	३६६	३३२	६२	४८
५३	चमोली	..	५८६	४८०	८८७	३३४	६५५	४३०	६२	१४१
५४	उत्तरकाशी	..	६४४	निल	४७६	२६	३६६	१४२	६२	४८
	योग	..	३,५०,७४८	२,८३,६२३	३,२४,०२४	२,५८,७६०	३,६६,७०१	२,०४,३१५	१,००३,०२	५४,४०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

राजनगर तथा कविनगर के प्लाटों की तालिका

स्कीम का नाम	आकार	क्षेत्रफल वर्ग गज में	प्लाटों की कुल संख्या	प्लाटों की संख्या जिसमें आंशिक रूप से रुपया जमा हो चुका है	प्लाटों की संख्या जिसमें रिट है	स्कीमों में रिजर्व प्लाटों की संख्या स्कूल, खेल के मैदान आदि के लिये	प्लाटों की संख्या जिसमें रुपया जमा करने की म्याद बाकी है	प्लाटों की संख्या जो पूर्ण विकास न होने के कारण नहीं बिक सके	शेष प्लाटों की संख्या जिनका एलाटमेंट होना बाकी है	प्लाटों की बेचे जाने की दर का विवरण
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
कविनगर ..		३०/६०फ०	२००	८५९	२२०	३८५	३२	२०२	..	२०	नजराना एक हजार वर्ग गज तक के प्लाटों का अठारह रुपया प्रति वर्ग गज की दर से तथा कोने के प्लाटों के लिये एक रुपया प्रति वर्ग गज व पार्क के सामने और हरी घास की पट्टी के सामने वाले प्लाटों का पचास पैसे प्रति वर्ग गज की दर से अधिक लिया गया है। १,००० वर्ग गज से अधिक के प्लाटों को पचास पैसे प्रति वर्ग गज कम-कम की दर से बेचा गया है।
		४०/८० ,,	३५५	४२३	१४५	१७४	१	९६	..	७	
		४५/१०० ,,	५००	१०५	३८	२१	२	३७	..	७	
		५०/१०० ,,	५५५	३१२	८४	१३५	..	७२	..	२१	
		६०/१२० ,,	८००	६५	१८	३२	..	१०	..	५	
		६०/१४० ,,	९३३	८३	३७	४	..	२७	..	१५	
		८०/१६० ,,	१,४२०	५२	१७	..	..	२४	..	११	
		९०/१८० ,,	१,८००	३०	१६	१०	..	२	..	२	
		योग ..		१,९२९	५७५	७६१	३५	४७०	..	८८	

राजनगर ..	३०/६०	फ० २००	७२३	२१३	३१	१८०	२२२	३०	४७	वार्षिक किराया
	३७/७८	,, ३१२	४१	३६	..	..	..	..	५	(१) पहले १५ वर्ष में दो
	३९/७८	,, ३३८	३६४	१०८	४७	२२	८७	५७	४३	रुपया प्रति सौ वर्ग गज।
	५०/९०	,, ५००	४२७	१२२	२६	३४	१२६	६४	५५	(२) दूसरे १५ वर्ष में
	५०/१०८	,, ६००	१९	१७	..	..	..	..	२	५ रु० प्रति सौ वर्ग गज।
	६०/१२०	,, ८००	५१२	५१	२६	४१	४७	२०४	१४३	(३) ३० वर्ष व्यतीत होने
	६६/१३५	,, ९९०	१३९	२६	१२	..	१२	४५	४४	पर १० रु० प्रति सौ वर्गगज।
	७५/१५०	,, १,२५०	४२	१२	..	..	१२	७	११	(४) ६० वर्ष व्यतीत होने
		योग ..	२,२६७	५८५	१४२	२७७	५०६	४०७	३५०	पर १५ रु० प्रति सौ वर्ग गज।
कुल दोनों बस्तियों का योग ..			४,१९६	१,१६०	९०३	३१२	९७६	४०७	४३८	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५ पर)

जिलाधीश (जिला पूर्ति कार्यालय में पेंडिंग)

प्रार्थी का नाम	पेंडिंग होने का कारण
१—श्री राम कृपाल तिवारी २—श्री बी० एन० श्रीवास्तव	दोनों प्रार्थना-पत्र सितम्बर के पहले सप्ताह में प्राप्त हुए जिला पूर्ति अधिकारी इस समय तक निर्धारित ३ बैंगन के प्रार्थना-पत्र पहले ही भेज चुके थे।

राज्य सरकार के पास पेंडिंग

१—श्री मोहन लाल गुप्ता २—श्री बद्री नरायण जैसवाल	दोनों प्रार्थना-पत्र, सितम्बर के तृतीय सप्ताह में जब कि इस त्रैमास का कोटा खत्म हो चुका था, प्राप्त हुए हैं।

नत्थी 'ङ'

सूची १

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

पिछले दस वर्षों में नगरपालिका, औरेया को दिये गये अनुदानों की सूची उन कार्यों की सूची समेत जिनके लिए अनुदान दिये गये

अनुदान का विवरण	स्वीकृत धनराशि	उपभोग की गई धनराशि	शेष
१—सड़क अनुदान ..	१,४८,१००.००	१,००,९३३.७५	४७,१६६.२५
२—शिक्षा अनुदान ..	१,७७,३४५.००	१,५९,३०७.००	१८,०३८.००
३—मेहतरों के लिये हाथगाड़ी अनुदान।	८०.००	८०.००	..
४—ट्रेक्टर व ट्रेलर अनुदान	४,५००.००	४,५००.००	..
५—खाद बनाने हेतु अनुदान	१०,०००.००	१०,०००.००	..
६—हरिजनों के निवास-गृह निर्माण हेतु अनुदान।	७,५०.००	७,५००.००	..

सूची २

पिछले दस वर्षों में दिये गये अनुदानों की अप्रयुक्त धनराशि की सूची

विवरण	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	योग
सड़क अनुदान	८०२–८९	३१,३६३.३६	१५,०००.००	४७,१६६.२५
शिक्षा अनुदान	..	१५,९७६.००	२,०६२.००	१८,०३८.००
			अप्रयुक्त धनराशि कुल ..	६४,२०४.२५